



राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001
THE RAJASTHAN CO-OPERATIVE SOCIETY ACT, 2001

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1.	प्रारम्भिक	1
2.	निगमन	8
3.	सहकारी सोसाइटियों के सदस्य और उनके अधिकार तथा दायित्व	26
4.	सहकारी सोसाइटियों का प्रबन्ध	35
5.	निर्वाचन	51
6.	सहकारी सोसाइटियों के विशेषाधिकार	54
7.	सहकारी सोसाइटियों को राज्य सहायता	65
8.	सहकारी सोसाइटियों की सम्पत्तियां और निधियां	70
9.	लेखापरीक्षा, जांच और अधिभार	76
10.	विवादों का निपटारा	84
11.	सहकारी सोसाइटियों का परिसमापन और विघटन	91
12.	भूमि विकास बैंक	103
13.	अधिनिर्णयों, डिक्रियों आदेशों और विनिश्चयों का निष्पादन	134
14.	अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन	141
15.	अपराध और शास्तियां	150
16.	प्रकीर्ण	160
	अनुसूची-क : सहकारिता के सिद्धान्त	188
	अनुसूची-ख : उपविधियों की विषयवस्तु	191

अध्याय-1
प्रारम्भिक
Chapter-I
Preliminary



1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और प्रसार— (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

1. **Short title, commencement and extent.**— (1) This Act may be called the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. **परिभाषायेँ—** जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,—

(क) “शीर्ष सोसाइटी” से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है जिसका प्रमुख उद्देश्य उससे संबद्ध अन्य सोसाइटियों के कार्य संचालन के लिए सुविधाएं देना है और जिसके कार्यक्षेत्र का प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है;

(ख) “सहकारी सोसाइटी का कार्यक्षेत्र” से उपविधियों में यथाविनिर्दिष्ट ऐसा भौगोलिक क्षेत्र अभिप्रेत है जिस तक सोसाइटी की सदस्यता और कार्यकलाप साधारणतः सीमित हैं;

(ग) “उपविधियाँ” से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई और

तत्समय प्रवृत्त किसी सोसाइटी की उपविधियाँ अभिप्रेत हैं और इनके अन्तर्गत ऐसी उपविधियों के रजिस्ट्रीकृत संशोधन भी हैं;

- (घ) "केन्द्रीय सोसाइटी" से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है जिसका कार्यक्षेत्र किसी राजस्व जिले से अन्यून राज्य के किसी भाग तक सीमित है और जिसका अपने मुख्य उद्देश्यों में, प्रमुख उद्देश्यों का संप्रवर्तन करना और उससे संबद्ध अन्य सोसाइटियों के प्रवर्तन के लिए सुविधाओं का उपबंध करना है और जिसके कम से कम पांच सदस्य स्वयं सोसाइटियाँ हैं;
- (ङ) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" से ऐसा व्यक्ति, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाये, अभिप्रेत है जिसे समिति के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशों के अध्वधीन रहते हुए सोसाइटी का प्रबंध सौंपा जाता है;
- (च) "प्रमुख उद्देश्य" से किसी सहकारी सोसाइटी के संबंध में, सोसाइटी के ऐसे मुख्य उद्देश्य अभिप्रेत हैं जिनके लिए उसका गठन किया गया है; और जो नियमों के अनुसार उसके वर्गीकरण के आधार हैं;
- (छ) "कलक्टर" से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 20 के अधीन नियुक्त किसी जिले का कलक्टर अभिप्रेत है;
- (ज) "समिति" से किसी सहकारी सोसाइटी का ऐसा शासी निकाय, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाये, अभिप्रेत है जिसे सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध सौंपा जाता है;
- (झ) "सहकारी सोसाइटी" या "सोसाइटी" से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई सोसाइटी अभिप्रेत है;
- (ञ) "परिसीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी" से ऐसी सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है जिसमें सोसाइटी के परिसमापन की दशा में, उसके ऋणों के लिए उसके सदस्यों का दायित्व उसकी उपविधियों द्वारा निम्नलिखित तक परिसीमित है :-
- (i) ऐसी रकम तक, यदि कोई हो, जो उनमें से प्रत्येक द्वारा धारित शेयरों पर असंदत्त है, और
- (ii) ऐसी रकम तक, जो सदस्यों द्वारा अभिदत्त शेयर पूँजी की रकम की पाँच गुनी से अधिक न हो और जिसका उनमें से प्रत्येक सोसाइटी की आस्तियों के प्रति अभिदाय करने के लिए वचन दे;
- (ट) "अपरिसीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी" से ऐसी सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है

जिसके सदस्य उसके परिसमापन की दशा में, उसकी बाध्यताओं के लिए और उनके संबंध में और सोसाइटी की आस्तियों में किसी भी कमी के प्रति अभिदाय करने के लिए संयुक्ततः और पृथक्तः दायी हैं;

- (ठ) "कार्यपालक अधिकारी" से ऐसा अधिकारी, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाये, अभिप्रेत है जो किसी सोसाइटी के कार्यकलापों के प्रबंध में समिति के अधीक्षण, नियंत्रण एवं निदेशों के अधीन, मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सहायता के लिए धारा 29 की उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त किया जाता है;
- (ड) "कुटुम्ब" से पति और पत्नी और उन पर आश्रित सन्तानें और पति की विधवा माता, जो उन पर आश्रित हो, से मिलकर बनने वाला कुटुम्ब अभिप्रेत है;
- (ढ) "वित्तीय बैंक" से तात्पर्य ऐसी सहकारी सोसाइटी से है, जिसका मुख्य उद्देश्य अन्य सोसाइटियों को धन उधार देना है तथा जिसमें भूमि विकास बैंक सम्मिलित है;
- (ण) "सरकार" से राजस्थान राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
- (त) "सदस्य" से किसी सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में सम्मिलित कोई व्यक्ति, और ऐसे रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् इस अधिनियम और नियमों तथा उपविधियों के अनुसार सदस्य बनाया जाने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई नाममात्र का और सहयुक्त सदस्य भी है;
- (थ) "अधिकारी" से किसी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रशासक, समापक या कोई सदस्य और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाये, अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत किसी सहकारी सोसाइटी के कारबार के संबंध में निदेश देने के लिए नियमों और उपविधियों के अधीन सशक्त कोई अन्य व्यक्ति भी है;
- (द) "प्राथमिक सोसाइटी" से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है जो न तो शीर्ष सोसाइटी है न केन्द्रीय सोसाइटी;
- (ध) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (न) "रजिस्ट्रार" से इस अधिनियम के अधीन सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत रजिस्ट्रार की सहायता के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति भी है जब वह रजिस्ट्रार की समस्त या उनमें से किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग करता है;
- (प) "राजस्व अपील प्राधिकारी" से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का

अधिनियम सं. 15) की धारा 20-क के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में नियुक्त या पदाभिहित अधिकारी अभिप्रेत है;

- (फ) “नियम” से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;
- (ब) “विशेष संकल्प” से किसी सोसाइटी के साधारण निकाय का ऐसा संकल्प अभिप्रेत है जिसे, मत देने का अधिकार रखने वाले सदस्यों के पचास प्रतिशत से अधिक और बैठक, जिसमें उसे पारित किया गया है, में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त है;
- (भ) “स्वसाहाय्य समूह” से व्यक्तियों का उनके उपार्जन से अल्प रकम की बचत करने के लिए और उसके सदस्यों को ऐसे निबंधनों पर, जो परस्पर करार पाये जायें, उधार दिये जाने हेतु उधार लेने के लिए भी स्वेच्छा से बनाया गया सजातीय समूह अभिप्रेत है;
- (म) “अधिकरण” से धारा 105 के अधीन गठित अधिकरण अभिप्रेत है;
- (य) “कमजोर वर्ग” से ऐसे भूमिहीन कृषि-श्रमिक, ग्रामीण कारीगर, सीमान्त कृषक, लघु कृषक और आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े अन्य व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो राज्य सरकार द्वारा, उनकी जोत के आकार, आय और ऐसे विभिन्न इलाकों को, जिनमें राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम सं. 11) के अधीन अधिकतम सीमा अवधारित करने के प्रयोजनार्थ, राज्य को विभाजित किया जाता है, ध्यान में रखते हुए राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें;
- (र) “वर्ष” से बारह मास की ऐसी कालावधि अभिप्रेत है जो किसी सहकारी सोसाइटी के लेखे रखने के लिए विहित की जाये।

2. Definitions.— In this Act, unless the context otherwise requires,-

- (a) “apex society” means a society whose core object is to provide facilities for the operation of other societies affiliated to it and whose area of operation extends to the whole of the State of Rajasthan;
- (b) “area of operation of a co-operative society” means the geographical area, as specified in the bye-laws, to which the membership and activities of the society are confined in general;
- (c) “bye-laws” means the bye-laws of a society, registered or deemed to be registered under this Act and for the time being in force and includes the

registered amendments of such bye-laws;

- (d) “central society” means a society whose area of operation is confined to a part of the State not being less than a revenue district and which has in its main objects the promotion of the core objects of, and the provision of facilities for the operations of, other societies affiliated to it; and not less than five members of which are societies themselves;
- (e) “chief executive officer” means a person, by whatever name called, who subject to the superintendence, control and directions of the committee, is entrusted with the management of the society;
- (f) “core objects” in relation to a co-operative society means the main objects of the society for which it is formed; and which form the basis of its classification as per the rules;
- (g) “collector” means the Collector of a district, appointed under section 20 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956);
- (h) “committee” means the governing body of a co-operative society, by whatever name called, to which the management of the affairs of the society is entrusted;
- (i) “co-operative society” or “society” means society registered or deemed to be registered under this act;
- (j) “co-operative society with limited liability” means a co-operative society, in which the liability of its members for the debts of the society in the event of its being wound up is limited by its bye-laws,—
 - (i) to the amount, if any, unpaid on the shares respectively held by them, and
 - (ii) to such amount not more than five times the amount of the share capital subscribed by the members, which they may respectively undertake to contribute to the assets of the society;
- (k) “co-operative society with unlimited liability” means a co-operative society

the members of which are, in the event of its being wound up, jointly and severally liable for, and in respect of, its obligations and to contribute to any deficit in the assets of the society;

- (l) "executive officer" means an officer, by whatever name called, who is appointed under sub-section (2) of section 29 to assist the Chief Executive Officer in the management of the affairs of a society subject to the superintendence, control and directions of the committee;
- (m) "family" means a family consisting of a husband and wife, and their dependent children and the widowed mother of the husband dependent on them;
- (n) "financing bank" means a co-operative society, the main object of which is to lend money to other societies and includes a Land Development Bank;
- (o) "government" means the Government of the State of Rajasthan;
- (p) "member" means a person joining in the application for the registration of a co-operative society and a person admitted to membership after such registration in accordance with this Act and the rules and the bye-laws and includes a nominal and an associate member;
- (q) "officer" means the Chairperson, Vice-chairperson, Administrator, Liquidator, or a member of a committee and the Chief Executive Officer, by whatever name called, and includes any other person empowered under the rules and the bye-laws to give directions in regard to the business of a co-operative society;
- (r) "primary society" means a society which is neither an apex society nor a central society;
- (s) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;
- (t) "registrar" means a person appointed to perform the functions of the Registrar of co-operative societies under this Act, and includes any person

appointed to assist the Registrar when exercising all or any of the powers of the Registrar;

- (u) “revenue appellate authority” means the officer appointed or designated as such authority under section 20A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956);
- (v) “rules” means the rules made under this Act;
- (w) “special resolution” means a resolution of the general body of a society which has the approval of more than fifty per cent of the members having right to vote and not less than two-third of the members present and voting at the meeting in which it is passed;
- (x) “self help group” means a homogeneous group of persons voluntarily formed to save small amounts of their earnings and also to raise loans to be lent to its members on terms, as mutually agreed upon;
- (y) “tribunal” means the tribunal constituted under section 105;
- (z) “weaker sections” means such landless agricultural labourers, rural artisans, marginal farmers, small farmers and other economically and socially backward persons as the State Government may, by order published in the Official Gazette, specify, having regard to the size of their holding, income and the various zones into which the State is divided for the purpose of determining the ceiling limits under the Rajasthan imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973 (Act No. 11 of 1973);
- (za) “year” means such period of twelve months as may be prescribed for keeping the accounts of a co-operative society.

□ □

निगमन

Chapter-II

Incorporation

3. सहकारी आंदोलन की अभिवृद्धि— (1) सरकार की यह नीति होगी कि राज्य में सहकारी आंदोलन को प्रोत्साहित और प्रोन्नत किया जाये और इस दिशा में ऐसे कदम उठाये जायें जो आवश्यक या वांछनीय हों।

3. Promotion of Co-operative movement.— It shall be the policy of the Government to encourage and promote the co-operative movement in the State and to take such steps in this direction, as may be necessary or desirable.

4. रजिस्ट्रार— (1) सरकार किसी व्यक्ति को राज्य के लिए सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी तथा उसकी सहायता करने के लिए अन्य व्यक्ति नियुक्त कर सकेगी।

(2) सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, और ऐसी शर्तों के अध्वधीन रहते हुए, जिन्हें वह अधिरोपित करना उचित समझे, रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिए नियुक्त किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन की रजिस्ट्रार की समस्त या कोई भी शक्तियां प्रदत्त कर सकेगी, या किसी भी सोसाइटी के किसी भी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी। सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश भी दे सकेगी कि इस अधिनियम या नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य समस्त या किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग रजिस्ट्रार या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, और ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अध्वधीन रहते हुए किया जा सकेगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जायें। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे रजिस्ट्रार की शक्तियां प्रदत्त या प्रत्यायोजित की गई हैं, रजिस्ट्रार के साधारण अधीक्षण और नियंत्रण के अध्वधीन रहते हुए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

4. Registrar.— (1) The Government may appoint a person to be the Registrar

of Co-operative Societies for the State and may appoint other persons to assist him.

(2) The Government may, by general or special order, and subject to such conditions as it may think fit to impose, confer on any person appointed to assist the Registrar, or may delegate to any officer of any society, all or any of the powers of the Registrar under this Act. The Government may also, by notification, direct that all or any of the powers exercisable by it under this Act or the rules may be exercised by the Registrar or such other officer, and subject to such conditions, if any, as may be specified in the notification. Every person, conferred on or delegated with the powers of the Registrar shall exercise such powers, subject to the general superintendence and control of the Registrar.

5. सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन— (1) जहां,—

(क) कम से कम पन्द्रह व्यक्ति, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति भिन्न कुटुम्ब का सदस्य हो, अनुसूची-क में यथाविनिर्दिष्ट सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए कतिपय सहकारी क्रियाकलापों का जिम्मा लेने के उद्देश्यों से सहकारी सोसाइटी बनाने का आशय रखते हैं; या

(ख) कम से कम पाँच सहकारी सोसाइटियाँ, ऐसी सोसाइटियों के उद्देश्यों को सुकर बनाने के उद्देश्य से अन्य सहकारी सोसाइटी बनाने का आशय रखती हैं,

वहां वे ऐसी उपविधियाँ, जिन्हें वे अंगीकार करना चाहते हैं, संलग्न करते हुए रजिस्ट्रार को ऐसी रीति से आवेदन करेंगे जो विहित की जाये:

परन्तु न्यूनतम शेयर पूँजी सोसाइटी के संबंधित वर्ग, जैसा कि नियमों के अधीन वर्गीकृत किया गया हो, के लिए विहित न्यूनतम शेयर पूँजी, यदि कोई हो, से कम नहीं होगी और सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य के लिए कम से कम एक शेयर धारित करना आवश्यक होगा।

(2) इस प्रकार संलग्न उपविधियाँ, अनुसूची 'ख' में विनिर्दिष्ट विषयों पर विनिर्दिष्ट होंगी और साधारणतः नियमों में यथाविहित, सोसाइटियों के वर्ग या उपवर्ग के व्यापक परिमाणों के अनुरूप होंगी जिनमें सोसाइटी का उसके प्रमुख उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र, सदस्यता, या कोई भी अन्य मानदण्ड, जो विहित किये जायें, के अनुसार रजिस्ट्रीकृत किया जाना आशयित है।

(3) कोई सहकारी सोसाइटी परिसीमित या अपरिसीमित दायित्व के साथ रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी और जहां कोई सोसाइटी परिसीमित दायित्व के साथ रजिस्ट्रीकृत की जाती है तो शब्द 'परिसीमित' या अंग्रेजी भाषा में इसका पर्यायवाची इसके नाम का अन्तिम शब्द होगा:

परन्तु किसी ऐसी सहकारी सोसाइटी का दायित्व, जिसकी सहकारी सोसाइटी सदस्य है, परिसीमित होगा।

5. Application for Registration of co-operative societies.— (1) Where,—

- (a) atleast fifteen number of persons, each of them being a member of a different family, intend to form a co-operative society having objects to undertake certain co-operative activities, for promotion of the economic interests of its members in accordance with the co-operative principles as specified in Schedule A; or
- (b) atleast five number of co-operative societies, intend to form another co-operative society, with the object of facilitating the objects of such societies,

they shall, appending the bye-laws they wish to adopt, apply to the Registrar in the manner as may be prescribed :

Provided that the minimum share capital shall not be less than the prescribed minimum share capital, if any, for the respective class of society as classified under the rules and that it shall be necessary for every member of the society to hold atleast one share.

(2) The bye-laws, so appended with, shall be specific on the matters specified in the schedule 'B', and shall, in general, conform the broad parameters of the class or sub-class of societies, as prescribed in the rules, in which the society is intended to be registered according to its core objects, area of operation, membership or any other criterion, as may be prescribed.

(3) A co-operative society may be registered with limited or unlimited liability and where a society is registered with limited liability, the word 'Limited' or its synonym in Hindi language shall form the last word in its name :

Provided that the liability of a co-operative society, which has a co-operative society as its member, shall be limited.

6. रजिस्ट्रीकरण— (1) यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है—

- (क) कि प्रस्तावित सोसाइटी उसके प्रस्तावित कार्यक्षेत्र में सुस्थ कारबार की अपेक्षाओं का पालन करती है;
- (ख) कि आवेदन इस अधिनियम और नियमों के उपबंधों का पालन करता है;
- (ग) कि प्रस्तावित उपविधियां इस अधिनियम और नियमों के उपबंधों के प्रतिकूल नहीं हैं; और
- (घ) कि प्रस्तावित सोसाइटी के उद्देश्य सामाजिक न्याय, सहकारिता और लोक सदाचार के सिद्धांतों से असंगत नहीं हैं और प्रदेश की विधियों के अल्पोकरण में नहीं हैं,

तो वह, आवेदन के प्रस्तुत किये जाने से साठ दिन के भीतर-भीतर यथाविहित वर्ग या उपवर्ग के अधीन इसकी उपविधियों सहित सहकारी सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत करेगा और अपने हस्ताक्षर और मुद्रा से उसका प्रमाणपत्र जारी करेगा जो इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगा कि सहकारी सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत है, जब तक कि वह साबित नहीं कर दिया जाये कि ऐसा रजिस्ट्रीकरण रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रद्द कर दिया गया है।

(2) यदि रजिस्ट्रार यह पाता है कि उप-धारा (1) में अधिकथित शर्तों में से किसी भी शर्त को पूरा नहीं किया गया है तो वह, ऐसे आवेदकों को, जो विहित किये जायें, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, आवेदन के प्रस्तुत किये जाने से साठ दिन के भीतर-भीतर नामंजूरी के आदेश से, उसके कारणों सहित, संसूचित करेगा।

(3) यदि उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर किसी नामंजूरी से संसूचित नहीं किया जाता है तो आवेदक ऐसी कालावधि की समाप्ति से तीस दिन के भीतर-भीतर उनके आवेदन पर विनिश्चय के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान को, जहां रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी उसका अधीनस्थ है और सरकार को, जहां रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान स्वयं रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी है, समावेदन कर सकेंगे और रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी, राजस्थान या, यथास्थिति, सरकार आवेदन की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर-भीतर इसका विनिश्चय करेगी और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को आवश्यक और निश्चायक निदेश जारी करेगी, जिसमें विफल रहने पर सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत की हुई समझी जायेगी।

6. Registration.— (1) if the Registrar is satisfied -

- (a) that the proposed society complies with the requirements of sound business in its proposed area of operation;
- (b) that the application complies with the provisions of this Act and the rules;
- (c) that the proposed bye-laws are not contrary to the provisions of this Act and the rules; and

(d) that the aims of the proposed society are not inconsistent with the principles of social justice, co-operation and public morality and are not in derogation to the laws of the land,

he shall, within sixty days from the submission of the application, register the co-operative society together with its bye-laws under the class or sub-class, as prescribed and issue a certificate thereof under his hand and seal, which shall be the conclusive evidence of the fact that the society is duly registered under this Act unless proved that such registration has been cancelled by the Registrar under the provisions of this Act.

(2) If the Registrar finds that any one of the conditions laid down in sub-section (1) is not satisfied, he shall, after giving such of the applicants, as may be prescribed, an opportunity of being heard, communicate the order of refusal together with the reasons thereof, within sixty days from the submission of the application.

(3) If no refusal is communicated within the period specified under sub-section (2), the applicants may, within thirty days from the expiry of such period, move the Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan, where the registering authority is subordinate to him, and the Government, where the Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan is himself the registering authority, for decision on their application and the Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan or the Government, as the case may be, shall within thirty days of receipt of the application, decide it and issue necessary and decisive directions to the registering authority, failing which the society shall be deemed to be registered.

7. सहकारी सोसाइटियों का निगमित निकाय होना— रजिस्ट्रीकरण हो जाने से सहकारी सोसाइटी उस नाम से, जिससे उसका रजिस्ट्रीकरण किया गया है, निगमित निकाय बन जायेगी, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मोहर होगी तथा जिसे सम्पत्ति धारण करने, संविदा करने, वाद तथा अन्य विधिक कार्यवाहियाँ संस्थित करने और उनका प्रतिवाद करने की तथा जिन प्रयोजनों के लिए वह गठित की गई थी, उनके लिए आवश्यक सभी कार्य करने की शक्ति होगी।

7. Co-operative Societies to be bodies corporate.— The registration of a co-operative society shall render it a body corporate by the name under which it is registered, having perpetual succession and a common seal, and with power to hold

property, enter into contracts, institute and defend suits and other legal proceedings and to do all things necessary for the purposes for which it was constituted.

8. उपविधियाँ— (1) इस अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के कृत्य इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत उपविधियों के सैट द्वारा विनियमित किये जायेंगे, जिसकी विषयवस्तु अनुसूची-ख के रूप में संलग्न है और उनमें कोई भी संशोधन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक ऐसा संशोधन रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत न कर लिया गया हो।

(2) किसी सहकारी सोसाइटी की उपविधियों का कोई संशोधन, ऐसे दिन से प्रवृत्त होगा जिसको उसे रजिस्ट्रीकृत किया गया है, जब तक कि उसमें किसी विशिष्ट दिन को उसका प्रवर्तन में आना अभिव्यक्त नहीं किया जाये।

8. Bye-laws.— (1) Subject to the provisions of this Act and the rules, functions of every co-operative society shall be regulated by a set of bye-laws registered under this Act, the subject matter of which is enclosed as Schedule B; and no amendment therein shall be valid unless such amendment has been registered by the Registrar under the provisions of this Act.

(2) An amendment of the bye-laws of a co-operative society shall, unless it is expressed to come into operation on a particular day, come into force on the day, on which it is registered.

9. सहकारी सोसाइटी का नाम परिवर्तन— (1) जहां कोई सहकारी सोसाइटी अपनी साधारण निकाय में पारित विशेष संकल्प द्वारा अपना नाम परिवर्तन करने का विनिश्चय कर लेने के पश्चात् रजिस्ट्रार को आवेदन करती है, वहां रजिस्ट्रार, इस आशय का एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करवायेगा तथा ऐसे प्रकाशन के एक माह की अवधि के भीतर-भीतर प्राप्त आपत्तियों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात्, सहकारी सोसाइटियों के रजिस्टर में पूर्ववर्ती नाम के स्थान पर नया नाम प्रविष्ट करेगा और रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र को तदनुसार संशोधित करेगा।

(2) किसी सहकारी सोसाइटी के नाम परिवर्तन से सहकारी सोसाइटी के अधिकारों या बाध्यताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या उसके द्वारा या उसके विरुद्ध की गयी कोई भी विधिक कार्यवाहियां त्रुटिपूर्ण नहीं हो जायेंगी, और कोई भी विधिक कार्यवाहियां, जो सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध उसके पूर्ववर्ती नाम से चालू हों या प्रारंभ की गई हों, उसके नये नाम से चालू रखी या प्रारंभ की जा सकेंगी।

9. Change of name of co-operative society.— (1) Where a co-operative so-

ciety after having decided to change its name, by a special resolution passed in its general body meeting, applies to the Registrar, the Registrar shall cause published a public notice to this effect and after considering the objections, if any, received within one month of such publication, enter the new name on the register of co-operative societies in place of the former name and shall amend the certificate of registration accordingly.

(2) The change of name of a co-operative society shall not affect any rights or obligations of the co-operative society, or render defective any legal proceedings by or against it; and any legal proceedings which may have been continued or commenced by or against the society by its former name may be continued or commenced by its new name.

10. उपविधियों का संशोधन— (1) किसी सोसाइटी की उपविधियों के संशोधन के लिए प्रत्येक प्रस्ताव, सोसाइटी द्वारा उसके साधारण निकाय की बैठक में विशेष संकल्प द्वारा उसे पारित कर दिये जाने के पश्चात्, रजिस्ट्रार को ऐसी रीति से अग्रेषित किया जायेगा जो विहित की जाये और यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि प्रस्तावित संशोधन ऐसी अपेक्षाओं की पूर्ति करता है जो धारा 6 के अधीन उपविधियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यक हैं तो, वह संशोधन का रजिस्ट्रीकरण करेगा और प्रस्तुत किये जाने की तारीख से साठ दिन के भीतर-भीतर उसका प्रमाणपत्र जारी करेगा। रजिस्ट्रार द्वारा इस प्रकार जारी, हस्ताक्षरित और मुद्रांकित किया गया प्रमाणपत्र इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगा कि संशोधन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

(2) यदि रजिस्ट्रार को यह प्रतीत हो कि प्रस्तावित संशोधन ऐसी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है जो उपविधियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यक हैं तो वह उस पर अपनी टिप्पणियों सहित, उसके प्रस्तुत किये जाने के साठ दिन के भीतर-भीतर उस पर पुनर्विचार करने के लिए उसे सोसाइटी को वापस भेजेगा।

(3) जहां सोसाइटी उप-धारा (2) के अधीन यथा-अपेक्षित पुनर्विचार के पश्चात्, प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करे तो रजिस्ट्रार प्रस्तावित संशोधन का साठ दिन के भीतर-भीतर रजिस्ट्रीकरण करेगा, यदि उसका उपविधियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यक अपेक्षाओं की पूर्ति से समाधान हो जाता है या अन्यथा नामंजूरी के अपने आदेश से सोसाइटी को संसूचित करेगा।

(4) यदि कोई नामंजूरी उप-धारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर संसूचित नहीं की जाती है तो सोसाइटी प्रस्तावित संशोधन पर विनिश्चय के लिए ऐसी कालावधि की समाप्ति से तीस दिन के भीतर-भीतर रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान को, जहां रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी उसका

अधीनस्थ है और सरकार को, जहां रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान स्वयं रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी है, समावेदन कर सकेगी और रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान या, यथास्थिति, सरकार ऐसे संशोधन की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर-भीतर उस पर विनिश्चय करेगी और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को आवश्यक और निश्चायक निदेश जारी करेगी, जिसमें विफल रहने पर प्रस्तावित संशोधन रजिस्ट्रीकृत किया हुआ समझा जायेगा।

10. Amendment of bye-laws.— (1) Every proposal for an amendment of the bye-laws of a society, after it has been passed by the society in its general body meeting by a special resolution, shall be forwarded to the Registrar in the manner as may be prescribed and if the Registrar is satisfied that the proposed amendment fulfils the requirements, as are essential for the registration of bye-laws under section 6, he shall register the amendment and issue a certificate thereof within sixty days from the date of submission. The certificate so issued, signed and sealed by the Registrar shall be the conclusive evidence of the fact that the amendment has been duly registered.

(2) If the Registrar feels that the proposed amendment does not fulfil the requirements, as are essential for the registration of bye-laws, he shall, alongwith his comments thereon, send it back to the society, for reconsidering it, within sixty days of its submission.

(3) Where the society, after reconsideration as required under sub-section (2), submits the proposal again, the Registrar shall, within sixty days, register the proposed amendment, if he is satisfied with the fulfillment of the requirements essential for the registration of bye-laws or else communicate his order of refusal to the society.

(4) If no refusal is communicated within the period specified under sub-section (3), the society may, within thirty days from the expiry of such period, move, the Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan, where the registering authority is subordinate to him, and the Government, where the Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan, is himself the registering authority, for decision on the proposed amendment and the Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan or the Government, as the case may be, shall, within thirty days of receipt of such amendment, take a decision thereon and issue necessary and decisive directions to the registering authority, failing which the proposed amendment shall be deemed to be registered.

11. रजिस्ट्रार द्वारा उपविधियों में संशोधन के लिए प्रस्ताव— (1) यदि किसी भी समय रजिस्ट्रार को यह प्रतीत होता है कि किसी सहकारी सोसाइटी या सोसाइटियों के किसी वर्ग की उपविधियों का संशोधन ऐसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग या उसके सदस्यों के व्यापक हित में या लोकहित में आवश्यक या वांछनीय है तो वह ऐसे संशोधन के प्रस्ताव सोसाइटी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को यह अपेक्षा करते हुए भेज सकेगा कि प्रस्ताव पर सोसाइटी के साधारण निकाय की बैठक में तीन मास की कालावधि के भीतर-भीतर विचार किया जाये।

(2) जहां सोसाइटी प्रस्तावित संशोधन पर अपनी सहमति से संसूचित करती है वहां रजिस्ट्रार संशोधन का रजिस्ट्रीकरण कर सकेगा और उसका प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा, जो सोसाइटी की उपविधियों का भागरूप होगा।

(3) जहां सोसाइटी रजिस्ट्रार के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इन्कार करती है और रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा संशोधन किया जाना आवश्यक है वहां वह ऐसे इन्कार की संसूचना की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर-भीतर प्रस्ताव को उसके कारणों सहित उस पर विचार के लिए राज्य सरकार को भेजेगा। राज्य सरकार, सोसाइटी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, रजिस्ट्रार को ऐसे उपान्तरणों सहित, यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे, संशोधन रजिस्ट्रीकृत करने का निदेश दे सकेगी और ऐसा संशोधन सोसाइटी और उसके सदस्यों पर बाध्यकारी होगा।

(4) जहां सोसाइटी उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर रजिस्ट्रार के प्रस्तावों पर विनिश्चय करने में विफल रहती है वहां ऐसी कालावधि की समाप्ति पर प्रस्तावित संशोधन सोसाइटी द्वारा सम्यक् रूप से पारित किया हुआ समझा जायेगा और रजिस्ट्रार संशोधनों का रजिस्ट्रीकरण करेगा और इस आशय का प्रमाणपत्र जारी करेगा।

11. Proposal by Registrar for amendment in the bye-laws.— (1) If at any time, it appears to the Registrar that an amendment of the bye-laws of a co-operative society, or, any class of societies is necessary or desirable in the interest of such society or class of societies or its members at large or in the public interest, he may send the proposals of such amendment to the Chairperson and the Chief Executive Officer of the society, requiring that the proposal be considered in the general body meeting of the society within a period of three months.

(2) Where the society communicates its consent to the proposed amendment, the Registrar may register the amendment and issue a certificate thereof, which shall form part of the bye-laws of the society.

(3) Where the society refuses to accept the proposal of the Registrar and the Registrar is satisfied that it is necessary in the public interest to make such an amendment, he may, within a period of thirty days from the date of communication of such refusal, send the proposal, with reason therefor, to the State Government for its consideration. The State Government may, after giving the society, an opportunity of being heard, direct the Registrar to register the amendment with such modifications if any, as it may deem fit and such amendment shall be binding on the society and its members.

(4) Where the society, within the period specified under sub-section (1), fails to take a decision on the proposals of the Registrar, on the expiry of such period the proposed amendment shall be deemed to have been duly passed by the society and the Registrar shall register the amendments and issue a certificate to this effect.

12. सहकारी सोसाइटियों की आस्तियों और दायित्वों का अन्तरण, विभाजन और समामेलन— (1) जहां कोई सहकारी सोसाइटी, कम से कम पन्द्रह दिन पहले रजिस्ट्रार को सूचित करने के पश्चात्, अपने साधारण निकाय की बैठक में पारित विशेष संकल्प द्वारा,—

(क) अपनी आस्तियों और दायित्वों का पूर्णतः या भागतः किसी अन्य सहकारी सोसाइटी को अंतरित करने, यदि अन्य सोसाइटी भी साधारण निकाय की बैठक में पारित विशेष संकल्प द्वारा ऐसे विनिश्चय का अनुमोदन कर देती है; या

(ख) अपने को दो या अधिक सहकारी सोसाइटियों में विभाजित करने; या

(ग) कोई नयी सहकारी सोसाइटी बनाने के लिए अन्य सोसाइटी में समामेलन करने, यदि अन्य सोसाइटी भी अपने साधारण निकाय की बैठक में पारित विशेष संकल्प द्वारा ऐसे विनिश्चय का अनुमोदन करती है,

का प्रस्ताव करती है तो ऐसा प्रस्ताव रजिस्ट्रार को ऐसी रीति से अग्रेषित किया जायेगा जो विहित की जाये और यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा प्रस्ताव सहकारी आंदोलन और लोकहित में है तो वह उसके प्रस्तुत किये जाने के साठ दिन के भीतर-भीतर प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा या अन्यथा उसे अपने संप्रेक्षणों सहित पुनर्विचार के लिए सोसाइटी को वापस भेजेगा।

(2) जहां सोसाइटी उप-धारा (1) के अधीन यथा-अपेक्षित पुनर्विचार के पश्चात्, प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करती है और रजिस्ट्रार, यदि उसकी राय में, ऐसा उपांतरित प्रस्ताव उसके संप्रेक्षणों में यथा-

अभिव्यक्त अपेक्षाओं की पूर्ति करता है तो, प्रस्तुत किये जाने के साठ दिन के भीतर-भीतर उसका अनुमोदन करेगा या अन्यथा नामंजूरी के अपने आदेश से सोसाइटी को संसूचित करेगा।

(3) यदि उप-धारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर सोसाइटी के प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो, सोसाइटी ऐसी कालावधि की समाप्ति से तीस दिन के भीतर-भीतर, अपने आवेदनों पर विनिश्चय के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान को, जहां रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी उसका अधीनस्थ है और सरकार को, जहां रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान स्वयं रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी है, समावेदन कर सकेगी और रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान या, यथास्थिति, सरकार, आवेदन की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर-भीतर उस पर विनिश्चय करेगी और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को आवश्यक और निश्चायक निदेश जारी करेगी जिसमें विफल रहने पर प्रस्ताव अनुमोदित हुआ समझा जायेगा।

(4) जहां सोसाइटी का प्रस्ताव रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है या अनुमोदित किया हुआ समझा जाता है वहां सोसाइटी उसकी सभी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करते हुए अपने सभी सदस्यों और लेनदारों को लिखित नोटिस देगी और किसी भी प्रतिकूल उपविधि या संविदा के होते हुए भी, किसी भी सदस्य या लेनदार को उस पर ऐसे नोटिस के तामील की तारीख से एक मास की कालावधि के दौरान अपने शेयर, निक्षेप या, यथास्थिति, उधार वापस लेने का विकल्प होगा।

(5) ऐसे किसी भी सदस्य या लेनदार के लिए, जो उप-धारा (4) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर अपने विकल्प का प्रयोग नहीं करता है, यह समझा जायेगा कि उसने संकल्प में अन्तर्विष्ट प्रस्तावों पर अनुमति दे दी है।

(6) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा इस धारा के अधीन पारित कोई संकल्प तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि-

(क) सभी सदस्यों और लेनदारों की उस पर अनुमति प्राप्त नहीं कर ली गई है; या

(ख) ऐसे सदस्यों और लेनदारों के सभी दावों, जो उप-धारा (4) में निर्दिष्ट विकल्प का उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर प्रयोग करते हैं, का पूर्णतया चुकारा नहीं कर दिया गया है।

(7) जहां किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा इस धारा के अधीन पारित संकल्प में किन्हीं भी आस्तियों और दायित्वों का अन्तरण अन्तर्वलित है वहां संकल्प, तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई और आश्वासन के बिना अन्तरिती में आस्तियों और दायित्वों को निहित करने का पर्याप्त हस्तांतरण होगा।

(8) इस धारा के अधीन किया गया सम्मेलन, विभाजन या अन्तरण इस प्रकार सम्मेलित

सोसाइटियों के या इस प्रकार विभाजित सोसाइटी के या अन्तरिती के किन्हीं अधिकारों या दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा या उससे ऐसी कोई भी विधिक कार्यवाहियां त्रुटिपूर्ण नहीं होंगी जो समामेलित या विभाजित सोसाइटियों या अन्तरिती द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकती हों या प्रारंभ की जा सकती हों और तदनुसार ऐसी विधिक कार्यवाहियां समामेलित सोसाइटी, विभाजित सोसाइटी या, यथास्थिति, अन्तरिती द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकेंगी या प्रारंभ की जा सकेंगी।

12. Transfer of assets and liabilities, division and amalgamation of co-operative societies.— (1) Where a co-operative society, after having informed the Registrar atleast fifteen days beforehand, by a special resolution passed in its general body meeting, proposes -

- (a) to transfer its assets and liabilities in whole or in part to any other co-operative society, if the other society also, by a special resolution passed in its general body meeting approves such decision; or
- (b) to divide itself into two or more co-operative societies; or
- (c) to amalgamate with another society to form a new co-operative society, if the other society also, by a special resolution passed in its general body meeting approves such decision,

such proposal shall be forwarded to the Registrar in the manner as may be prescribed and if the Registrar is satisfied that such proposal is in the interest of the co-operative movement and the public, he shall approve the proposal within sixty days of its submission or else send it back to the society for reconsideration alongwith his observations.

(2) Where the society, after reconsideration as required under sub-section (1), submits the proposal again, the Registrar shall, if in his opinion such modified proposal meets the requirements as expressed in his observations, approve it within sixty days of submission or else communicate his order of rejection to the society.

(3) If no action is taken on the proposal of the society within the period specified under sub-section (2), the society may, within thirty days from the expiry of such period, move, the Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan, where the registering authority is subordinate to him, and the Government, where the Registrar,

Co-operative Societies, Rajasthan is himself the registering authority, for decision on their application and the Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan or the Government, as the case may be, shall, within thirty days of receipt of the application, decide it and issue necessary and decisive directions to the registering authority, failing which the proposal shall be deemed to have been approved.

(4) Where the proposal of the society has been approved by the Registrar or is deemed to have been approved, the society shall give notice containing all the particulars thereof in writing to all its members and creditors and, notwithstanding any bye-law or contract to the contrary, any member or creditor shall, during a period of one month from the date of service of such notice upon him, have the option of withdrawing his shares, deposits or loans, as the case may be.

(5) Any member or creditor who does not exercise his option within the period specified in sub-section (4) shall be deemed to have assented to the proposals contained in the resolution.

(6) A resolution passed by a Co-operative Society under this section shall not take effect until, either -

- (a) the assent thereto of all the members and creditors has been obtained; or
- (b) all claims of members and creditors, who exercise the option referred to in sub-section (4) within the period specified therein, have been met in full.

(7) Where a resolution passed by a co-operative society under this section involves the transfer of any assets and liabilities, the resolution shall, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, be a sufficient conveyance to vest the assets and liabilities in the transferee without any further assurance.

(8) The amalgamation, division or transfer made under this section shall not affect any rights or obligations of the societies so amalgamated, or of the society so divided or of the transferee, or render defective any legal proceedings which might have been continued or commenced by or against the societies which have been amalgamated or divided, or the transferee; and accordingly such legal proceedings may be continued or commenced by or against the amalgamated society, the divided societies or the transferee, as the case may be.

13. रजिस्ट्रार द्वारा लोकहित इत्यादि में समामेलन, विभाजन और पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव—

(1) जहां रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में या सहकारी आंदोलन के हित में या किसी भी सहकारी सोसाइटी का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ यह आवश्यक है कि दो या अधिक सहकारी सोसाइटियों का समामेलन किया जाना चाहिए या किसी सहकारी सोसाइटी का पुनर्गठन किया जाना चाहिए या दो या अधिक सोसाइटियां बनाने के लिए विभाजन किया जाना चाहिए वहां धारा 12 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वह ऐसे गठन, सम्पत्ति के अधिकारों, हितों और प्राधिकारों और ऐसे दायित्वों, ऋणों और बाध्यताओं के साथ, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, इन सोसाइटियों का एकल सोसाइटी में या सोसाइटियों में समामेलन, विभाजन या पुनर्गठन का प्रस्ताव करेगा। रजिस्ट्रार प्रस्तावों को सोसाइटी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सोसाइटी के साधारण निकाय की बैठक में तीन मास की कालावधि के भीतर-भीतर प्रस्तावों पर विचार किये जाने और विनिश्चित किये जाने की अपेक्षा करते हुए भेजेगा।

(2) यदि सोसाइटी उप-धारा (1) के अधीन किये गये प्रस्तावों पर अपनी सहमति संसूचित कर दे तो रजिस्ट्रार समामेलन, विभाजन या, यथास्थिति, पुनर्गठन के आदेश पारित करेगा।

(3) यदि उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर सोसाइटी रजिस्ट्रार के प्रस्ताव पर कोई विनिश्चय करने में विफल रहती है तो प्रस्तावित समामेलन, पुनर्गठन या विभाजन ऐसी कालावधि की समाप्ति पर, सोसाइटी द्वारा सहमति प्राप्त हुआ समझा जायेगा और तदनुसार रजिस्ट्रार आवश्यक आदेश पारित करेगा।

(4) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य में कोई नयी सहकारी सोसाइटी गठित करने के प्रयोजनार्थ किसी सहकारी सोसाइटी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् सरकार की पूर्व अनुमति से विभाजित करने या पुनर्गठित करने की शक्तियां रजिस्ट्रार में निहित होंगी।

(5) इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि—

(क) प्रस्तावित आदेश के प्रारूप की प्रति संबंधित सोसाइटी या प्रत्येक सोसाइटी को नहीं भेज दी गई हो,

(ख) रजिस्ट्रार ने प्रारूप पर ऐसे किन्हीं भी सुझावों और आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए, जो उसे, या तो सोसाइटी से या उसके किसी भी सदस्य या सदस्यों के वर्ग से या किसी भी लेनदार या लेनदारों के वर्ग से ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर जो रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त नियत की जाये, प्राप्त हों, विचार न कर लिया हो और उसमें ऐसे उपान्तरण न कर दिये हों जो उसे वांछनीय प्रतीत हों।

(6) उप-धारा (2) या (3) में निर्दिष्ट आदेश में ऐसे आनुषंगिक, पारिणामिक और अनुपूरक उपबंध अन्तर्विष्ट हो सकेंगे जो रजिस्ट्रार की राय में समामेलन, विभाजन या पुनर्गठन को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

(7) समामेलित, विभाजित या पुनर्गठित की जाने वाली सोसाइटियों में से प्रत्येक सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य या लेनदार, जिसने समामेलन, विभाजन या पुनर्गठन की स्कीम के बारे में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर आपत्ति की है, समामेलन, विभाजन या पुनर्गठन का आदेश जारी होने पर, यदि वह सदस्य है तो, अपना शेयर या हित प्राप्त करने का और यदि वह लेनदार है तो, अपने ऋणों की तुष्टि में रकम प्राप्त करने का हकदार होगा।

(8) उप-धारा (2) या (3) के अधीन कोई आदेश जारी होने पर, धारा 12 की उप-धारा (7) और (8) में अन्तर्विष्ट उपबंध इस प्रकार समामेलित, विभाजित या पुनर्गठित सोसाइटी पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह उस धारा के अधीन समामेलित, विभाजित या पुनर्गठित हो, और समामेलित, विभाजित या पुनर्गठित सोसाइटी पर भी लागू होंगे।

13. Proposal by Registrar for amalgamation, division and re-organisation in public interest etc.—

(1) Where the Registrar is satisfied that it is essential in the public interest or in the interest of the co-operative movement or for the purpose of securing the proper management of any co-operative society that two or more co-operative societies should be amalgamated or any co-operative society should be reorganised or should be divided to form two or more societies then, notwithstanding anything contained in section 12, but subject to the provisions of this section, he shall propose the amalgamation, division or reorganisation, of these societies into a single society, or into societies with such constitution, property rights, interests and authorities and such liabilities, debts and obligations, as may be specified by him. The Registrar shall send the proposals to the Chairperson and the Chief Executive Officer of the society, requiring the proposals to be considered and decided in the general body meeting of the society within a period of three months.

(2) If the society communicates its consent to the proposal made under sub-section (1), the Registrar shall pass the orders of the amalgamation, division or reorganization as the case may be.

(3) If, within the period specified under sub-section (1), the society fails to take any decision on the proposal of the Registrar, the proposed amalgamation,

reorganisation or division shall, on the completion of such period, be deemed to have been consented to by the society and accordingly the Registrar shall pass the necessary orders.

(4) Notwithstanding anything contained in this section, the powers of dividing or reconstituting a co-operative society, after affording it an opportunity of being heard and with the prior approval of the Government, for the purpose of constituting a new co-operative society in the State shall vest in the Registrar.

(5) No order under this section shall be made unless -

(a) a copy of the draft of the proposed order has been sent to the society or each of the societies concerned,

(b) the Registrar has considered and made such modifications in the draft as may seem to him desirable in the light of any suggestions and objections, which may be received by him within such period as the Registrar may fix in that behalf either from the society or from any member or class of members thereof or from any creditor or class of creditors.

(6) The order referred to in sub-section (2) or (3) may contain such incidental, consequential and supplemental provisions as may, in the opinion of the Registrar, be necessary to give effect to the amalgamation, division or reorganisation.

(7) Every member or creditor of each of the societies to be amalgamated, divided or reorganised, who has objected to the scheme of amalgamation, division or reorganisation, within the period specified, shall be entitled to receive, on the issue of order of amalgamation, division or reorganisation, his share or interest if he is a member and the amount in satisfaction of his debts if he is a creditor.

(8) On the issue of an order under sub-section (2) or (3), the provisions contained in sub-sections (7) and (8) of section 12 shall apply to the society so amalgamated, divided or reorganised as if they were amalgamated, divided or reorganised under that section, and to the society amalgamated, divided or reorganised.

14. कतिपय मामलों में सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का रद्दकरण—

(1) जहां किसी सहकारी सोसाइटी की सम्पूर्ण आस्तियां और दायित्व धारा 12 या 13 के उपबंधों के अनुसार किसी दूसरी सहकारी सोसाइटी को अन्तरित कर दिये जायें, वहां प्रथम उल्लिखित सहकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द हो जायेगा और वह सोसाइटी विघटित की हुई समझी जायेगी और निगमित निकाय के रूप में उसका अस्तित्व समाप्त हो जायेगा।

(2) जहां दो या अधिक सहकारी सोसाइटियां धारा 12 या 13 के उपबंधों के अनुसार किसी नई सहकारी सोसाइटी में समामेलित हो जायें, वहां नई सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण हो जाने पर समामेलित सोसाइटियों में से प्रत्येक सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द हो जायेगा और प्रत्येक सोसाइटी विघटित की हुई समझी जायेगी और निगमित निकाय के रूप में उसका अस्तित्व समाप्त हो जायेगा।

(3) जहां कोई सहकारी सोसाइटी धारा 12 के उपबंधों के अनुसार अपने आपको दो या अधिक सोसाइटियों में विभाजित कर लेती है या धारा 13 के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा विभाजित की जानी है वहां नई सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण हो जाने पर उस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द हो जायेगा और वह सोसाइटी विघटित की हुई समझी जायेगी तथा निगमित निकाय के रूप में उसका अस्तित्व समाप्त हो जायेगा।

(4) जहां किसी सहकारी सोसाइटी के, जिसके संबंध में धारा 63 के अधीन कोई समापक नियुक्त किया गया हो, कार्यकलाप परिसमाप्त हो गए हों, वहां रजिस्ट्रार उस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का आदेश करेगा और वह सोसाइटी विघटित की हुई समझी जायेगी तथा रद्दकरण के ऐसे आदेश की तारीख से निगमित निकाय के रूप में उसका अस्तित्व समाप्त हो जायेगा।

(5) जहां, सरकार की जानकारी में यह आये कि कोई सहकारी सोसाइटी, जो धारा 6 उप-धारा (3) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझ ली गई है, धारा 6 की उप-धारा (1) में यथा वर्णित रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करती है, तो वह, ऐसी सोसाइटी को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् रजिस्ट्रार को, ऐसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण विहित रीति से रद्द करने का निदेश दे सकेगी और ऐसे रद्दकरण के पश्चात् सोसाइटी का एक निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

14. Cancellation of registration certificates of co-operative societies in certain cases.— (1) Where the whole of the assets and liabilities of a co-operative society are transferred to another co-operative society in accordance with the provisions of section 12 or 13, the registration of the first mentioned co-operative society shall be cancelled and that society shall be deemed to have been dissolved and

shall cease to exist as a corporate body.

(2) Where two or more co-operative societies are amalgamated into a new co-operative society in accordance with the provisions of section 12 or 13, the registration of each of the amalgamated societies shall stand cancelled on the registration of the new society and each society shall be deemed to have been dissolved and shall cease to exist as a corporate body.

(3) Where a co-operative society divides itself into two or more co-operative societies in accordance with the provisions of section 12 or is to be divided by the Registrar in accordance with the provisions of section 13, the registration of the society shall stand cancelled on the registration of the new societies, and that society shall be deemed to have been dissolved and shall cease to exist as a corporate body.

(4) Where the affairs of a co-operative society, in respect of which a Liquidator has been appointed under section 63, have been wound up, the Registrar shall make an order cancelling the registration of the society and the society shall be deemed to have been dissolved and shall cease to exist as a corporate body from the date of such order of cancellation.

(5) Where it comes to the knowledge of the Government that a Co-operative Society, which has been deemed to be registered under the provisions of sub-section (3) of section 6, does not fulfill the requirements of registration as described in sub-section (1) of section 6, it may, after giving the society an opportunity of being heard, direct the Registrar to cancel the registration of the society in the manner prescribed and after such cancellation, the society shall cease to exist as a corporate body.

अध्याय-3

सहकारी सोसाइटियों के सदस्य और उनके अधिकार तथा दायित्व

Chapter-III

Member of Co-operative Societies and their rights and liabilities

15. सदस्यता— (1) निम्नलिखित को किसी सहकारी सोसाइटी के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकेगा, अर्थात् :-

(क) भारत का कोई भी नागरिक जो,-

(i) 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है;

(ii) स्वस्थचित्त का है;

(iii) तत्समय प्रवृत्त और उस पर लागू किसी विधि द्वारा संविदा करने से निरहित नहीं है;

(iv) सोसाइटी की सेवाओं का उपयोग करने का इच्छुक है; और

(v) ऐसी सदस्यता से संबद्ध उत्तरदायित्वों और दायित्वों को स्वीकार करने के लिए तैयार है;

(ख) कोई भी अन्य सहकारी सोसाइटी;

(ग) राज्य सरकार; या

(घ) ऐसा कोई भी अन्य व्यक्ति, निकाय या स्थानीय प्राधिकारी, जो विहित किया जाये:

परन्तु कोई व्यक्ति भूमि विकास बैंक से भिन्न किसी वित्तीय बैंक या किसी ऐसे वर्ग की सहकारी सोसाइटी की सदस्यता का पात्र नहीं होगा जो इस निमित्त विहित किया जाये:

परन्तु यह और कि किसी विद्यालय या महाविद्यालय के छात्रों के फायदे के लिए अनन्य रूप से बनाई गई किसी सोसाइटी में आयु संबंधी शर्त लागू नहीं होगी:-

परन्तु यह भी कि ऐसी किसी सोसाइटी की, जो महिलाओं के फायदे के लिए अनन्य रूप से बनायी गयी हो, उपविधियां पुरुष व्यष्टियों की सदस्यता को निर्बंधित कर सकेंगी।

(2) किसी सहकारी सोसाइटी के सदस्य रूप में सम्मिलित होने के लिए आवेदन उस सहकारी सोसाइटी की समिति को किया जा सकेगा। ऐसी समिति आवेदन प्राप्ति से तीस दिन की कालावधि के भीतर-भीतर आवेदन पर विनिश्चय करेगी और अपने विनिश्चय से आवेदक को संसूचित करेगी और जहां आवेदन नामंजूर कर दिया जाये वहां उक्त कालावधि के भीतर-भीतर ऐसी नामंजूरी के कारणों से आवेदक को संसूचित करना भी समिति के लिए आवश्यक होगा।

(3) यदि समिति-

- (i) सदस्य के रूप में सम्मिलित होने के आवेदन को नामंजूर करती है तो ऐसी नामंजूरी के विरुद्ध अपील रजिस्ट्रार को हो सकेगी जो उस सोसाइटी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् इस अधिनियम और नियमों तथा उपविधियों के उपबंधों के अनुसार आवेदन पर विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम तथा उस सोसाइटी पर आबद्धकर होगा;
- (ii) उप-धारा (2) के अधीन अपना विनिश्चय या नामंजूरी के कारण उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर-भीतर संसूचित करने में विफल रहती है तो आवेदक ऐसे समय की समाप्ति से साठ दिन की कालावधि के भीतर-भीतर अपने आवेदन पर विनिश्चय के लिए रजिस्ट्रार को समावेदन कर सकेगा, जिसका निपटारा उसी रीति से किया जायेगा मानो वह खण्ड (i) के अधीन कोई अपील है।

15. Membership.— (1) The following may be admitted as members of a co-operative society, namely :-

(a) Any citizen of India, who —

- (i) has attained age of 18 years;
- (ii) is of sound mind;
- (iii) is not disqualified from contracting by any law for the time being in force and applicable to him;
- (iv) is desirous to utilize the services of the society; and
- (v) is ready to accept the responsibilities and liability associated with such membership;

(b) any other co-operative society;

(c) the State Government; or

(d) any other person, body or local authority, as may be prescribed :

provided that an individual shall not be eligible to the membership of a financing bank other than a Land Development Bank or such class of co-operative society as may be prescribed in this behalf :

Provided further that in a society exclusively formed for the benefit of students of a school or a college, the condition regarding the age shall not apply :

Provided also that the bye-laws of a society, which is exclusively formed for the benefit of women, may restrict the membership of male individuals.

(2) An application for admission as a member of a co-operative society shall lie to the committee of that co-operative society. Such committee shall decide the application and communicate its decision to the applicant within a period of thirty days from the receipt of the application, and where the application is refused, it shall also be necessary for the committee to communicate to the applicant, the reasons for such refusal, within the said period.

(3) If the committee —

- (i) refuses the application for admission as a member, an appeal shall lie against such refusal to the Registrar, who may after giving the society a reasonable opportunity of being heard, decide the application in accordance with the provisions of this Act and the rules and bye-laws and his decision shall be final and binding on the society;
- (ii) fails to communicate its decision or the reasons of refusal under subsection (2), within the time specified therein, the applicant may, within a period of sixty days from the expiration of such time, move the Registrar for the decision on his application, which shall be disposed of in the same manner, as if it is an appeal under clause (i).

16. सदस्यता की समाप्ति— (1) कोई व्यक्ति, सोसाइटी की सदस्यता से अपना त्यागपत्र देने पर उसकी स्वीकृति पर या उसकी मृत्यु पर, सदस्यता से हटाये जाने या निष्कासन पर या इस अधिनियम,

नियमों या सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट किन्हीं निरर्हताओं से ग्रस्त होने पर, उसका सदस्य नहीं रहेगा। सदस्यता की ऐसी समाप्ति पर सोसाइटी, सोसाइटी की शेयर पूँजी में ऐसे सदस्य का शेयर या हित, उसके लिए ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, अवधारित मूल्य का संदाय करके अर्जित कर सकेगी।

(2) ऐसा कोई सदस्य, जिसका कारबार सोसाइटी के कारबार के विरुद्ध या प्रतिस्पर्धा में है या जो साधारण निकाय की बैठक में लगातार तीन वर्ष तक किसी भी युक्तियुक्त कारण के बिना उपस्थित नहीं हुआ है या जो अपने देयों का संदाय करने में बारबार व्यतिक्रम कर रहा है या जो सोसाइटी की सेवाओं का न्यूनतम आवश्यक उपयोग करने के संबंध में या सोसाइटी के साथ अन्य व्यवहार करने के संबंध में उपविधियों के उपबंधों, यदि कोई हों, का पालन करने में विफल रहा है या जिसने, समिति की राय में, सोसाइटी को बदनाम किया है या ऐसा कोई अन्य कार्य किया है जो सोसाइटी के हित या समुचित कार्यकरण के लिए अहितकर है तो, उस प्रयोजन के लिए बुलाये गये साधारण निकाय के समक्ष उसे अपना मामला अभ्यावेदित करने का अवसर देने के पश्चात् ऐसे साधारण निकाय की बैठक में विहित रीति से पारित विशेष संकल्प द्वारा, सदस्यता से हटाया या निष्कासित किया जा सकेगा।

16. Cessation of membership.— (1) A person shall cease to be a member of a society on his resignation from the membership thereof being accepted or on his death, removal or expulsion from membership or on his incurring any of the disqualifications specified in this Act, the rules or the bye-laws of the society. On such cessation of membership the society may acquire the share or interest of such member in the share capital of the society by paying for it at the value determined in the manner as may be prescribed.

(2) A member whose business is in conflict or competition with the business of the society, or who has not attended the general body meeting without any reasonable excuse for three consecutive years or who has been persistently defaulting payment of his dues or has been failing to comply with the provisions of the bye-laws, if any, regarding minimum essential utilisation of the services of the society or regarding other dealings with the society or who, in the opinion of the committee, has brought disrepute to the society or has done other acts detrimental to the interests or proper working of the society, may after giving him an opportunity of representing his case before the general body called for the purpose, be removed or expelled from membership by a special resolution passed in such general body meeting in the prescribed manner.

17. नाममात्र का तथा सहयुक्त सदस्य— (1) धारा 15 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई सहकारी सोसाइटी—

- (i) व्यक्तियों के किसी विहित वर्ग या विहित किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी स्वसाहाय्य समूह को नाममात्र के सदस्य के रूप में; या
- (ii) सोसाइटी के किसी विहित वर्ग के किसी सदस्य की पत्नी/पति को सहयुक्त सदस्य के रूप में,
सम्मिलित कर सकेगी।

(2) नाममात्र का या सहयुक्त सदस्य न तो सोसाइटी की आस्तियों या लाभों में किसी भी प्रकार के किसी भी शेयर का हकदार होगा, न उसे सोसाइटी के कार्यकलापों में मत देने का अधिकार होगा; किन्तु उसे किसी सदस्य के ऐसे अन्य अधिकार होंगे और वह ऐसे दायित्वों के अध्यक्षीन होगा जो इस अधिनियम, नियमों या सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट किये जायें और सदस्यता से संबंधित इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों के समस्त उपबंध उस पर लागू होंगे।

17. Nominal and associate member.— (1) Notwithstanding anything contained in section 15, a co-operative society may admit —

- (i) a prescribed class of persons or a prescribed local authority or a self help group, as a nominal member; or
- (ii) the spouse of a member in a prescribed class of society, as an associate member.

(2) A nominal or an associate member shall neither be entitled to any share in any form whatsoever in the assets or profits of the society nor have any right to vote in the affairs of the society; but shall have such other rights of a member and be subject to such liabilities of a member as may be specified in this Act, rules or the bye-laws of the society and all the provisions of this Act, rules and the bye-laws relating to membership, shall apply to him.

18. देय का संदाय न किये जाने तक सदस्य द्वारा अधिकारों का प्रयोग न किया जाना— सहकारी सोसाइटी का कोई भी सदस्य, सदस्य के अधिकारों का प्रयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने सोसाइटी को सदस्यता के संबंध में ऐसे संदाय न कर दिये हों या सोसाइटी में ऐसा हित अर्जित न कर लिया हो जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाये।

18. Member not to exercise rights till due payment made.— No member of a co-operative society shall exercise the rights of a member unless he has made such payments to the society in respect of membership or has acquired such interest in the society, as may be specified in the bye-laws.

19. सदस्यों के मत— किसी सोसाइटी के, नाममात्र के और सहयुक्त सदस्य से भिन्न, प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का हक होगा।

19. Votes of members.— Every member, other than a nominal and an associate member, of a co-operative society, shall be entitled to cast one vote.

20. मत प्रयोग की रीति— (1) सहकारी सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य अपने मत का व्यक्तिशः प्रयोग करेगा और किसी भी सदस्य को परोक्षी से मत देने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) किसी सहकारी सोसाइटी का, जो किसी अन्य सहकारी सोसाइटी का सदस्य हो, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, उस अन्य सोसाइटी के कार्यकलाप में उसकी ओर से मत देने के लिये प्रतिनिधित्व उसके अध्यक्ष द्वारा या, उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा;

(ख) जहां सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकारी या कोई निकाय किसी सहकारी सोसाइटी का सदस्य है वहां वह ऐसी सोसाइटी के कार्यकलापों में अपनी ओर से मत देने के लिए कोई प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।

20. Manner of exercising votes.— (1) Every member of a co-operative society shall exercise his vote in person and no member shall be permitted to vote by proxy.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where —

(a) a co-operative society is a member of another co-operative society, its Chairperson or, in his absence Vice-Chairperson shall, subject to any rules made under this act, represent to cast vote on its behalf in the affairs of their another society;

(b) the Government or a local authority or a body is a member of a co-operative society, it may nominate a representative to cast vote on its behalf, in the affairs of such society.

21. शेयर धारण करने पर निर्बन्धन— किसी सहकारी सोसाइटी का व्यक्ति सदस्य सोसाइटी की कुल शेयर पूँजी के अधिकतम पाँचवें भाग तक ही शेयर धारण कर सकेगा।

21. Restriction on holding of shares.— An individual member in a co-operative society shall hold shares only upto a maximum of the one-fifth of the total share capital of the society.

22. सदस्य की मृत्यु पर हित का अन्तरण— (1) किसी सहकारी सोसाइटी के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर सोसाइटी, मृत सदस्य का शेयर या हित नियमों के अनुसार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों को या यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया है तो, ऐसे व्यक्ति को, जो समिति को मृत सदस्य का वारिस या विधिक प्रतिनिधि प्रतीत हो, अन्तरित करेगी और जहां दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य उत्तराधिकार का कोई विवाद हो, समिति ऐसे दावेदारों से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी :

परन्तु ऐसे नामनिर्देशिती, वारिस या, यथास्थिति, विधिक प्रतिनिधि को सोसाइटी के सदस्य के रूप में सम्मिलित कर लिया जाता है:

परन्तु यह और कि इस उप-धारा में की कोई बात किसी अवयस्क या किसी विकृतचित्त व्यक्ति को किसी सहकारी सोसाइटी में मृत सदस्य के शेयर या हित विरासत द्वारा या अन्यथा अर्जित करने से नहीं रोकेगी।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई भी नामनिर्देशिती, वारिस या, यथास्थिति, विधिक प्रतिनिधि मृत सदस्य के शेयर या हित के नियमों के अनुसार अभिनिश्चित मूल्य का संदाय स्वयं को किये जाने की सोसाइटी से अपेक्षा कर सकेगा।

(3) जहां ऐसा नामनिर्देशिती, वारिस या, यथास्थिति, विधिक प्रतिनिधि उप-धारा (1) के अधीन सोसाइटी के सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाता है वहां सोसाइटी मृत सदस्य को सोसाइटी द्वारा देय अन्य समस्त धन उसे संदत्त करेगी।

(4) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा इस धारा के उपबंधों के अनुसार किये गये समस्त अन्तरण और संदाय, किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा सोसाइटी से की गई किसी मांग के विरुद्ध विधिमान्य और प्रभावी होंगे।

22. Transfer of interest on death of member.— (1) On the death of a member of a co-operative society, the society shall transfer the share or interest of the deceased member to the person or persons nominated in accordance with the rules,

or if no person has been so nominated, to such person as may appear to the committee to be the heir or legal representative of the deceased member and where there is any dispute of succession between two or more persons, the committee may require the claimants to produce the succession certificate :

Provided that such nominee, heir or legal representative, as the case may be, is admitted as a member of the society :

Provided further that nothing in this sub-section shall prevent a minor or a person of unsound mind from acquiring by inheritance or otherwise the share or interest of a deceased member in a co-operative society.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), any such nominee, heir or legal representative, as the case may be, may require the society to pay him the value of the share or interest of the deceased member ascertained in accordance with the rules.

(3) Where such nominee, heir or legal representative, as the case may be, is not admitted as a member of the society under sub-section (1), the society shall pay him all other moneys due to the deceased member from the society.

(4) All transfer and payments made by a co-operative society in accordance with the provisions of this section shall be valid and effectual against any demand made upon the society by any other person.

23. भूतपूर्व सदस्य और मृत सदस्य की सम्पदा का दायित्व— (1) उप-धारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सोसाइटी के ऐसे ऋणों के लिए जो—

(क) किसी भूतपूर्व सदस्य की दशा में, उस तारीख को विद्यमान थे जिसको उसकी सदस्यता समाप्त हुई; और

(ख) किसी मृत सदस्य की दशा में, उसकी मृत्यु की तारीख को विद्यमान थे,

किसी सहकारी सोसाइटी के किसी भूतपूर्व सदस्य का या किसी मृत सदस्य की सम्पदा का दायित्व दो वर्ष की कालावधि तक बना रहेगा।

(2) जब किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन का आदेश धारा 61 के अधीन किया जाये तब ऐसे किसी भूतपूर्व सदस्य का या मृत सदस्य की सम्पदा का दायित्व, जो परिसमापन के आदेश की तारीख

से ठीक पूर्ववर्ती दो वर्षों के भीतर-भीतर सदस्य न रहा हो या मर गया हो, उस समय तक बना रहेगा जब तक कि समापन की समस्त कार्यवाहियां पूरी न हो जायें, किन्तु ऐसा दायित्व सोसाइटी के केवल ऐसे ऋणों के लिए होगा जो उसकी सदस्यता की समाप्ति की तारीख को या, यथास्थिति, उसकी मृत्यु की तारीख को विद्यमान थे।

23. Liability of past member and estate of deceased member.— (1) Subject to the provisions of sub-section (2), the liability of a past member or of the estate of a deceased member of a co-operative society for the debts of the society as they existed—

- (a) in the case of a past member, on the date on which he ceased to be a member, and
- (b) in the case of a deceased member, on the date of his death, shall continue for a period of two years.

(2) Where a co-operative society is ordered to be wound up under section 61, the liability of a past member or of the estate of a deceased member who ceased to be a member or died within two years immediately preceding the date of order of winding up, shall continue until the entire liquidation proceedings are completed, but such liability shall extend only to the debts of the society as they existed on the date of his ceasing to be a member or the date of his death, as the case may be.

सहकारी सोसाइटियों का प्रबन्ध

Chapter-IV

Management of Co-operative Societies

24. किसी सहकारी सोसाइटी में अन्तिम प्राधिकार— (1) इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी सहकारी सोसाइटी में अन्तिम प्राधिकार सदस्यों के साधारण निकाय में निहित होगा :-

परन्तु इस धारा की कोई बात नियमों या उपविधियों द्वारा किसी सहकारी सोसाइटी की समिति को या किसी भी अधिकारी को प्रदत्त किन्हीं भी शक्तियों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी सोसाइटी की सदस्यता के आकार, प्रसार या प्रकार को देखते हुए प्रभावी रूप से विनिश्चय करने के लिए प्रतिनिधियों का कोई प्रतिनिधि निकाय अपेक्षित हो वहां सोसाइटी के सदस्यों में से विहित रीति से निर्वाचित प्रतिनिधि साधारण निकाय के नाम से कोई छोटा निकाय सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार गठित किया जा सकेगा। ऐसा छोटा निकाय साधारण निकाय की समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

24. Final authority in a co-operative society.— (1) The final authority in a co-operative society shall, subject to the provisions of this Act and the rules, vest in the general body of the members:

Provided that nothing in this section shall effect any powers conferred on a committee or any officer of a co-operative society by the rules or the bye-laws.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where the size, spread or type of membership of a society requires a representative body of delegates

to take decisions effectively, a smaller body called the Delegate General Body, elected from the members of the society in the prescribed manner, may be constituted in accordance with the bye-laws of the society. Such smaller body may exercise all the powers of the general body.

25. वार्षिक साधारण बैठक— (1) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए वार्षिक साधारण बैठक उसके लिए विहित रीति से बुलायेगी—

- (क) समिति द्वारा आगामी वर्ष के लिए तैयार किये गये सोसाइटी के क्रियाकलापों के कार्यक्रम का अनुमोदन;
- (ख) विहित रीति से तैयार किये गये लेखाओं और वार्षिक रिपोर्ट पर विचार;
- (ग) विहित रीति से तैयार की गयी परीक्षा रिपोर्ट पर विचार और उसका अनुपालन;
- (घ) शुद्ध लाभों का व्ययन; और
- (ङ) ऐसे अन्य किसी मामले पर विचार जो उपविधियों के अनुसार प्रस्तुत किया जाये;

परन्तु यदि उपरोक्त समय के भीतर ऐसी बैठक न बुलाई जाए तो रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति विहित रीति से ऐसी बैठक बुला सकेगा और वह बैठक

सोसाइटी द्वारा यथावत् बुलाई गई एक साधारण बैठक समझी जायगी :

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रार यह आदेश दे सकेगा कि पूर्वगामी परन्तुक के अधीन ऐसी बैठक बुलाने के कारण होने वाला व्यय सोसाइटी की निधि में से या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जो रजिस्ट्रार की राय में साधारण बैठक बुलाने के लिए मना करने या बुलाने में विफल होने के लिए उत्तरदायी थे, भुगतान की जायेगी।

(2) यदि साधारण बैठक उसके लिए विहित कालावधि के भीतर-भीतर बुलाने में या उप-धारा (1) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में व्यतिक्रम किया जाता है तो रजिस्ट्रार, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, समिति के सदस्यों को ऐसी समिति के सदस्य के रूप में बने रहने और किसी भी अन्य सोसाइटी की समिति के सदस्यों के रूप में निर्वाचित होने के लिए पांच वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित कर सकेगा; और यदि व्यतिक्रम सोसाइटी के किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी द्वारा किया जाता है तो रजिस्ट्रार उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उस पर 1000/- रुपये की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

25. Annual general meeting.— (1) Every co-operative society shall call in the manner prescribed therefor, an annual general meeting for the purpose of-

- (a) approval of the programme of the activities of the society prepared by the committee for the ensuing year;
- (b) consideration of the accounts and annual report prepared in the prescribed manner;
- (c) consideration of the audit report prepared in the manner prescribed, and the compliance thereof;
- (d) disposal of the net profits, and
- (e) consideration of any other matter which may be brought forward in accordance with the bye-laws:

Provided that if no such meeting is called within the time aforesaid, the Registrar or any other person authorised by him may call such meeting in the manner prescribed and that meeting shall be deemed to be a general meeting duly called by the society:

Provided further that the Registrar may order that the expenditure incurred in calling such a meeting under the foregoing proviso shall be paid out of the funds of the society or by such person or persons who, in the opinion of the Registrar, were responsible for the refusal or failure to convene the general meeting.

(2) If default is made in calling a general meeting within the period prescribed therefor or in complying with the requirements of sub-section (1), the Registrar may, after giving an opportunity of being heard, declare the members of the committee disqualified for continuing as members of such committee and for being elected as members of the committee of any other society, for a period of five years; and if the default is committed by an officer or an employee of the society, the Registrar may, after giving him an opportunity of being heard, impose on him a penalty of Rs. 1000.

26. विशेष साधारण बैठकें— (1) किसी सहकारी सोसाइटी की समिति, सोसाइटी की विशेष साधारण बैठक किसी भी समय बुला सकेगी और रजिस्ट्रार से या सदस्यों की कुल संख्या के पांचवें भाग से अन्यून इतने सदस्यों से, जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाये, लिखित अध्यक्षता प्राप्त होने के पश्चात्

ऐसी बैठक एक मास के भीतर-भीतर बुलायेगी।

(2) यदि सहकारी सोसाइटी की विशेष साधारण बैठक उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अध्यपेक्षा के अनुसार नहीं बुलाई जाती है तो,-

(क) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को एक माह के भीतर-भीतर ऐसी बैठक बुलाने की शक्ति होगी और वह बैठक समिति द्वारा बुलाई गई बैठक समझी जायेगी;

(ख) रजिस्ट्रार को यह आदेश करने की शक्ति होगी कि इस उप-धारा के अधीन बैठक बुलाने में उपगत व्यय सोसाइटी की निधियों में से या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा संदत्त किया जायेगा जो, रजिस्ट्रार की राय में, बैठक बुलाने से इंकार करने या उसमें विफल रहने के लिए उत्तरदायी हों।

26. Special general meetings.— (1) The committee of a co-operative society may, at any time, call a special general meeting of the society and shall call such meeting within one month after the receipt of a requisition in writing from the Registrar or from such number of members, not being less than one-fifth of the total number of members, as may be specified in the bye-laws.

(2) If a special general meeting of a co-operative society is not called in accordance with the requisition referred in sub-section (1),-

(a) the Registrar or any other person authorised by him in this behalf shall have the power to call such meeting within one month and that meeting shall be deemed to be a meeting called by the committee;

(b) the Registrar shall have power to order that the expenditure incurred in calling a meeting under this sub-section, shall be paid out of the funds of the society or by such person or persons who, in the opinion of the Registrar, were responsible for the refusal or failure to convene the meeting.

27. समितियों की नियुक्ति— (1) किसी सहकारी सोसाइटी का साधारण निकाय सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध उपविधियों के अनुसार गठित समिति को सौंपेगा :-

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की दशा में, ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के आवेदन पर हस्ताक्षर किये हैं, सोसाइटी के कार्यकलापों के संचालन के लिए रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीन मास की कालावधि के लिए कोई समिति नियुक्त कर सकेंगे, किन्तु इस परन्तुक के अधीन नियुक्त समिति, ऐसी किसी नई समिति के गठन पर कार्य करना बन्द कर देगी जिसका गठन उपविधियों के अनुसार तीन मास की उक्त कालावधि के भीतर-भीतर किया जायेगा।

(2) प्रत्येक सोसाइटी की समिति में ग्यारह निर्वाचित सदस्य होंगे जो सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होंगे।

(3) समिति के प्रत्येक सदस्य को, जिसमें राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य, यदि कोई हों, सम्मिलित हैं, एक मत देने का हक होगा :

परन्तु जहां राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य समिति द्वारा पारित किसी संकल्प से कोई भी विसम्मति रखता हो, वह ऐसी विसम्मति की सूचना एक सप्ताह के भीतर-भीतर रजिस्ट्रार को देगा :

परन्तु यह और कि राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य न तो किसी अधिकारी के निर्वाचन के लिए मतदान में भाग लेगा न उसका मताधिकार होगा।

(4) किसी ग्राम सेवा सोसाइटी, कृषक सेवा सोसाइटी, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, भूमि विकास बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक की समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं प्रत्येक में से कम से कम एक सदस्य होगा और यदि किसी भी प्रकार के किसी भी कारण से, पूर्वोक्त वर्गों के सदस्य किसी भी सोसाइटी की समिति में पूर्वोक्त सीमा तक निर्वाचित नहीं होते हैं या उनमें कोई रिक्ति हो जाती है तो पूर्वोक्त वर्गों के किसी सदस्य की कमी या रिक्ति, ऐसी सोसाइटी की समिति में पूर्वोक्त वर्गों के सदस्यों में से सहवर्ण द्वारा पूरी की या, यथास्थिति, भरी जायेगी।

27. Appointment of committees.—(1) The general body of a co-operative society shall entrust the management of the affairs of the society to a committee constituted in accordance with the bye-laws :

Provided that in the case of a society registered after the commencement of this Act, the persons who have signed the application to register the society may appoint a committee to conduct the affairs of the society for the period of three months from the date of the registration, but the committee appointed under this proviso shall cease to function upon the constitution of a new committee which shall be constituted in

accordance with the bye-laws within the said period of three months.

(2) Every society shall have eleven elected members in its committee, who shall be elected by the general body of the society for a term of five year.

(3) Each member of the committee, including the members nominated by the State Government, if any, shall be entitled to cast one vote :

Provided that where the member nominated by the State Government has any dissent with the resolution passed by the committee, he shall inform the Registrar about such dissent within a week :

Provided further that a member nominated by the State Government shall neither participate in voting for the election of any officer nor shall have any franchise therefor.

(4) At least one member each in the committee of a village service society, a farmers service society, a dairy co-operative society, a Land Development Bank and a Central Co-operative Bank shall be from scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes and women and, if for any reason, whatsoever, the members of the aforesaid sections, to the extent as aforesaid, are not elected on the committee of any society or a vacancy occurs therein, the deficiency or the vacancy of a member belonging to the aforesaid sections in the committee of such society shall be made good or filled in, as the case may be, by the committee, by co-option, from amongst members belonging to the aforesaid sections.

28. समितियों की सदस्यता इत्यादि के लिए निरर्हता— (1) कोई व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक शीर्ष सोसाइटी या एक से अधिक केन्द्रीय सोसाइटी का अध्यक्ष नहीं होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति यथापूर्वोक्त किसी शीर्ष या केन्द्रीय सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में अपने निर्वाचन या नियुक्ति की तारीख को पहले से किसी दूसरी शीर्ष या केन्द्रीय सोसाइटी का अध्यक्ष है तो पूर्वोक्त निर्वाचन या नियुक्ति से चौदह दिन की कालावधि की समाप्ति पर उसका पश्चात्पूर्व निर्वाचन या नियुक्ति शून्य समझी जायेगी जब तक कि वह पूर्वोक्त दोनों शीर्ष या, यथास्थिति, दोनों केन्द्रीय सोसाइटियों में से किसी एक के अध्यक्ष पद से, ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर, त्यागपत्र न दे दे।

(3) कोई भी व्यक्ति किसी समिति का सदस्य निर्वाचित या नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होगा

यदि वह सोसाइटी या किसी भी अन्य सोसाइटी का उसके द्वारा लिये गये किसी भी उधार या उधारों के संबंध में ऐसी कालावधि के लिए, जो संबंधित सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट है या किसी भी स्थिति में तीन मास से अधिक की कालावधि के लिए व्यतिक्रमी रहा है :

परन्तु यह निरर्हता सदस्य सोसाइटी पर लागू नहीं होगी।

(4) राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1964 (1964 का अधिनियम सं. 1) में यथापरिभाषित कोई साहूकार, नियमों के अधीन यथावर्गीकृत किसी सेवा सहकारी सोसाइटी का अधिकारी निर्वाचित या नियुक्त होने के लिये पात्र नहीं होगा और जहां यथापूर्वोक्त ऐसी सोसाइटी का कोई अधिकारी साहूकारी का कारबार प्रारंभ कर देता है तो वह तदुपरान्त ऐसी सोसाइटी का कोई अधिकारी नहीं रहेगा।

(5) किसी समिति का कोई भी सदस्य, जिसे धारा 30 के अधीन हटा दिया गया है, ऐसे हटाने जाने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन या नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(6) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा 57 के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है और ऐसा आदेश अपास्त नहीं किया गया हो, ऐसी तारीख से, जिसको वह धन या अन्य सम्पत्ति या उसके भाग का ब्याज सहित प्रतिसंदाय या प्रत्यावर्तन करता है या ऐसे आदेश की तुष्टि में अभिदाय और खर्चें या प्रतिकर का संदाय करता है, पांच वर्ष की कालावधि की समाप्ति तक किसी समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन या नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(7) कोई भी व्यक्ति किसी समिति का अध्यक्ष और केन्द्र अथवा राज्य सरकार की मंत्री परिषद् का सदस्य या किसी जिला परिषद् का प्रमुख या किसी पंचायत समिति का प्रधान, दोनों, नहीं रहेगा और यदि पहले ही केन्द्र अथवा राज्य सरकार की मंत्री परिषद् का सदस्य या किसी जिला परिषद् का प्रमुख या किसी पंचायत समिति का प्रधान है तो वह उस तारीख से, जिसको कि वह ऐसी समिति का अध्यक्ष बनता है, चौदह दिन की कालावधि की समाप्ति पर ऐसी समिति का ऐसा अध्यक्ष नहीं रह जायेगा जब तक कि ऐसी समाप्ति के पूर्व वह केन्द्र अथवा राज्य मंत्री परिषद् के सदस्य रूप में अपने स्थान से या, यथास्थिति, उस पद से, जो वह जिला परिषद् या पंचायत समिति में धारित करता है, त्यागपत्र नहीं दे देता :

परन्तु यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी समिति का अध्यक्ष पहले से है, केन्द्र अथवा राज्य सरकार की मंत्री परिषद् का सदस्य या किसी जिला परिषद् का प्रमुख या किसी पंचायत समिति का प्रधान नियुक्त अथवा निर्वाचित कर लिया जाता है तो केन्द्र अथवा राज्य मंत्री परिषद् का सदस्य या किसी जिला परिषद् का प्रमुख या, यथास्थिति, किसी पंचायत समिति का प्रधान नियुक्त अथवा निर्वाचित हो जाने की तारीख से चौदह दिन की समाप्ति पर ऐसी समिति का अध्यक्ष नहीं रहेगा जब तक कि वह केन्द्र अथवा राज्य

मंत्री परिषद् के अपने स्थान से या जिला परिषद् या, यथास्थिति, पंचायत समिति में के अपने पद से, पहले ही त्यागपत्र नहीं दे देता है :

परन्तु यह और कि वह समिति का सदस्य या निदेशक बन सकेगा।

(8) कोई भी व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा, यदि उसके दो से अधिक बच्चे हैं :

परन्तु कोई व्यक्ति, जिसके दो से अधिक बच्चे हैं, इस उप-धारा के अधीन तब तक निरर्हित नहीं होगा जब तक कि तारीख 10.7.1995 को रही उसके बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं होती।

स्पष्टीकरण :- इस उप-धारा के प्रयोजन के लिये, जहां 10.7.1995 को किसी दम्पति के पूर्ववर्ती प्रसव या प्रसवों से केवल एक बच्चा हो वहां किसी एक ही पश्चात्पूर्व प्रसव से जन्मे बच्चों की किसी संख्या को एक इकाई समझा जायेगा।

(9) इस बारे में कोई भी प्रश्न कि आया समिति का कोई सदस्य इस धारा या नियमों के अधीन उल्लिखित किन्हीं भी निरर्हिताओं के अधधीन हो गया है, निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन अधिकारी द्वारा और समस्त अन्य समयों पर रजिस्ट्रार द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

28. Disqualification of membership etc. of committees.—(1) No person shall, at the same time, be a chairperson of more than one apex societies, or more than one central societies.

(2) If a person, on the date of his election or appointment as a chairperson of an apex or a central society as aforesaid, is already a chairperson of another apex or central society, his later election or appointment shall be deemed to be void on the expiry of a period of fourteen days from the above election or appointment, unless he resigns from the chairpersonship of one of the above two apex or two central societies, as the case may be, within such period.

(3) No person shall be eligible for being elected or appointed as a member of a committee if he is in default to the society or to any other society, in respect of any loan or loans taken by him for such period as is specified in the bye-laws of the society concerned or in any case for a period exceeding three months :

Provided that this disqualification shall not apply on a member society.

(4) No money lender as defined in the Rajasthan Money Lenders Act, 1963 (Act No. 1 of 1964), shall be eligible for being elected or appointed as an officer of a service co-operative society, as classified under the rules, and where an officer of such society as aforesaid starts money lending business, he shall, thereupon, cease to be an officer of such society.

(5) No member of a committee, who has been removed under section 30, shall be eligible for election or appointment as a member of the committee for a period of five years from the date of such removal.

(6) No person against whom an order under section 57 has been passed, such order not having been set aside, shall be eligible for election or appointment as a member of a committee until the expiry of a period of five years from the date he repays or restores the money or other property or part thereof with interest or pay contribution and costs or compensation in satisfaction of such order.

(7) No person shall remain both a Chairperson of a committee and a member of the Union Council of Ministers or State Council of Ministers or the Pramukh of a Zila Parishad or the Pradhan of a Panchayat Samiti and, if already a member of the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or Pramukh of a Zila Parishad or Pradhan of a Panchayat Samiti, he shall, at the expiration of a period of fourteen days from the date he becomes a Chairperson of such committee, cease to be such Chairperson of such committee unless, before such expiration, he resigns his seat in the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or the office he holds in the Zila Parishad or the Panchayat Samiti, as the case may be :

Provided that a person who is already a Chairperson of a committee is appointed or elected as member of the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or Pramukh of a Zila Parishad or Pradhan of a Panchayat Samiti, then at the expiration of fourteen days from the date of being appointed or elected as a member of the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or Pramukh of a Zila Parishad or Pradhan of a Panchayat Samiti, as the case may be, he shall cease to be such Chairperson of the committee unless he has previously resigned

his seat in the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or the office he holds in the Zila Parishad or the Panchayat Samiti, as the case may be:-

Provided further that he may become member of the committee or director.

(8) No person shall be eligible for election as a member of the Committee if he has more than two children :

Provided that a person having more than two children shall not be disqualified under this sub-section for so long as the number of children he had on 10.7.1995 does not increase.

Explanation :— For the purpose of this sub-section, where the couple has only one child from the earlier delivery or deliveries on 10.7.1995 and thereafter, any number of children born out of a single subsequent delivery shall be deemed to be one entity.

(9) Any question as to whether a member of the committee has become subject to any of the disqualifications mentioned under this section or the rules shall be decided by the Election Officer during the process of elections and by the Registrar at all other times.

29. सरकार द्वारा नामनिर्देशन— (1) जहां सरकार ने—

(क) किसी सहकारी सोसाइटी की शेयर-पूंजी में अभिदाय किया है; या

(ख) किसी सहकारी सोसाइटी की शेयर-पूंजी के निर्माण में या वृद्धि में परोक्ष रूप से सहायता की है, जैसा कि अध्याय 7 में उपबंधित है; या

(ग) मूलधन के प्रतिसंदाय और किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा जारी किये गये डिबेंचरों के ब्याज के संदाय की प्रत्याभूति दी है; या

(घ) मूलधन की रकम के प्रतिसंदाय और किसी सहकारी सोसाइटी को दिये गये उधारों और अग्रिमों पर ब्याज के संदाय की प्रत्याभूति दी है,

तो सरकार या सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी को सहकारी सोसाइटी की समिति में तीन से अनधिक सदस्य नामनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगा :

परन्तु ऐसे नामनिर्देशिती केवल सरकारी सेवक होंगे।

(2) इस अधिनियम या किसी सोसाइटी की उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां सरकार ने किसी सहकारी सोसाइटी की शेयर पूंजी में पांच लाख रुपये या अधिक की सीमा तक अभिदाय किया है वहां सरकार या इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य प्राधिकारी उप-धारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त दूसरा सदस्य नामनिर्दिष्ट कर सकेगा और उसे ऐसी सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा जो समिति का पदेन सदस्य-सचिव होगा। सरकार या यथाविनिर्दिष्ट ऐसा प्राधिकारी ऐसी सोसाइटी में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सहायता करने के लिए किसी अन्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति भी कर सकेगा।

(3) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट या नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति सरकार या सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

(4) जहां सरकार इस धारा के अधीन कोई मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करती है वहां ऐसी नियुक्ति के ठीक पूर्व पद धारण करने वाला मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसी नियुक्ति होने पर पद पर नहीं रहेगा।

(5) इस धारा के अधीन नियुक्त किये गये मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यपालक अधिकारी के सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो सरकार द्वारा अवधारित की जायें और उन्हें संदेय पारिश्रमिक, सहकारी सोसाइटी की निधियों में से संदत्त किया जायेगा।

29. Nomination by the Government.— (1) Where the Government has—

- (a) subscribed to the share capital of a co-operative society; or
- (b) assisted indirectly in the formation or augmentation of the share capital of a co-operative society as provided in Chapter VII; or
- (c) guaranteed the repayment of the principal and payment of interest of debentures issued by a co-operative society; or
- (d) guaranteed the repayment of principal amount and payment of interest on loans and advances to a co-operative society,

the Government or any authority specified by the Government in this behalf shall have the right to nominate not more than three members on the committee of a co-operative society :

Provided that such nominees shall only be Government servants.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act or the bye-laws of a society, where the Government has subscribed to the share capital of a co-operative society to the extent of five lacs of rupees or more, the Government or any other authority specified in this behalf may nominate another member in addition to those nominated under sub-section (1) and appoint him as Chief Executive Officer of such society, who shall be the ex-officio Member-Secretary of the committee. The Government or such authority as specified may also appoint any other Executive Officer to assist the Chief Executive Officer in such society.

(3) Every person nominated or appointed by the Government shall hold office during the pleasure of the Government or the authority specified by the Government in this behalf.

(4) Where the Government appoints a Chief Executive Officer under this section, the Chief Executive Officer holding office immediately before such appointment shall cease to hold office on such appointment.

(5) The terms and conditions of service of the Chief Executive Officer and the Executive Officer appointed under this section shall be such as may be determined by the Government and the remuneration payable to them shall be paid out of the funds of the co-operative society.

30. समिति या उसके सदस्य का हटाया जाना— (1) यदि, रजिस्ट्रार की राय में, किसी सहकारी सोसाइटी की समिति या ऐसी समिति का कोई सदस्य इस अधिनियम या नियमों या उपविधियों द्वारा उस समिति या उस सदस्य पर अधिरोपित कर्तव्यों के पालन में, बार-बार व्यतिक्रम करता है या उपेक्षा करता है या ऐसा कोई कार्य करता है जो सोसाइटी या उसके सदस्यों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है या सहकारी उत्पादन और सरकार द्वारा अनुमोदित या जिम्मे लिये गये अन्य विकास कार्यक्रमों के समुचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ रजिस्ट्रार द्वारा जारी किये गये निदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करता है या अन्यथा अपने कृत्यों का समुचित रूप से निर्वहन नहीं करता है तो रजिस्ट्रार ऐसी समिति या, यथास्थिति, ऐसी समिति के सदस्य को हटाये जाने का प्रस्ताव कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किसी समिति या उसके किसी सदस्य को हटाने के प्रस्ताव पर प्राथमिक सोसाइटी की दशा में, आंचलिक रजिस्ट्रार, केन्द्रीय सोसाइटी की दशा में रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान तथा शीर्ष सोसाइटी की दशा में, राज्य सरकार समिति या, यथास्थिति, सदस्य को

अपनी आपत्तियों, यदि कोई हों, का कथन करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा, -

(क) समिति को हटा सकेगी और सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध करने के लिए छह मास से अनधिक की कालावधि के लिए किसी सरकारी सेवक को प्रशासक नियुक्त कर सकेगी; या

(ख) ऐसी समिति के सदस्य को हटा सकेगी और पदावरोही सदस्य की शेष पदावधि के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति उपविधियों के अनुसार कर सकेगी।

(3) इस प्रकार नियुक्त प्रशासक को रजिस्ट्रार के नियंत्रण और ऐसे अनुदेशों के, जो वह समय-समय पर दे, अधीन रहते हुए, निर्वाचित समिति के समस्त या कोई भी कृत्य करने और ऐसी समस्त कार्यवाइयाँ करने की शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो सोसाइटी के हित में अपेक्षित हों।

(4) उप-धारा (1) के अधीन ज्योंही किसी प्रशासक की नियुक्ति की जाती है, सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह सोसाइटी में निर्वाचनों का संचालन करने के लिए राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को अध्यक्षता भेजे।

(5) इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात धारा 62 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

30. Removal of Committee or member thereof.— (1) If, in the opinion of the Registrar, the committee of a co-operative society or any member of such committee persistently makes default or is negligent in the performance of the duties imposed on it or him by this Act or the rules or the bye-laws or commits any act which is prejudicial to the interest of the society or its members, or willfully disobeys directions issued by the Registrar for the purpose of securing proper implementation of co-operative production and other development programmes approved or undertaken by the Government, or is otherwise not discharging its or his functions properly, the Registrar may propose removal of such committee or the member of such committee, as the case may be.

(2) On the proposal to remove a committee or a member thereof under subsection (1), the Zonal Registrar, in case of a primary society, the Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan in case of a central society and the State Government in case of an apex society, may, after giving the committee or the member, as the case

may be, a reasonable opportunity to state its or his objections, if any, by order in writing,-

- (a) remove the committee and appoint a Government servant as an Administrator to manage the affairs of the society for a period not exceeding six months; or
- (b) remove the member of such committee and get the vacancy filled up for the remainder of the term of the outgoing member, according to the bye-laws.

(3) The Administrator so appointed shall, subject to the control of the Registrar and to such instructions as he may from time to time give, have powers to perform all or any of the functions of the elected committee and take all such actions as may be required in the interest of the society.

(4) It shall be the duty of the Chief Executive Officer of the society to send a requisition to the State Co-operative Election Authority, to conduct elections in the society, as soon as an Administrator is appointed under sub-section (1).

(5) Nothing contained in this section shall affect the provisions of section 62.

31. अभिलेखों इत्यादि का कब्जा प्राप्त करना— (1) जहां किसी सहकारी सोसाइटी की समिति का सोसाइटी की साधारण बैठक में पुनर्गठन किया जाता है या धारा 30 के अधीन राज्य सरकार या रजिस्ट्रार द्वारा किसी सहकारी सोसाइटी की समिति को हटा दिया जाता है या सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नियमों के अधीन परिवर्तित हो जाता है तो समिति का प्रत्येक पदावरोही सदस्य, यदि उसके पास सोसाइटी के किन्हीं अभिलेखों या सम्पत्ति का प्रभार है, अथवा सोसाइटी का पदावरोही मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सोसाइटी के समस्त अभिलेखों और सम्पत्ति का प्रभार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो सोसाइटी के समस्त अभिलेखों और सम्पत्ति का समग्र न्यासी होगा, को सौंपेंगे :

परन्तु जहां धारा 61 के अधीन सोसाइटी के परिसमापन का आदेश दिया जाता है, सोसाइटी के अभिलेख और सम्पत्ति का प्रभार धारा 63 के अधीन नियुक्त समापक को सौंपा जायेगा।

(2) यदि ऐसा कोई भी पदावरोही अधिकारी या सदस्य, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या, यथास्थिति, समापक को अभिलेख और सम्पत्ति का प्रभार सौंपे जाने से इंकार करता है; या जहां रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि किसी सोसाइटी की पुस्तकों तथा अभिलेखों को दबा दिये जाने, बिगाड़

दिये जाने या नष्ट कर दिये जाने की संभावना है या किसी सोसाइटी की निधियों तथा सम्पत्ति का दुर्विनियोग या दुरुपयोग किये जाने की संभावना है तो सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रशासक या समापक या रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति सोसाइटी के अभिलेख और सम्पत्ति की तलाशी, अभिग्रहण और कब्जे में लेने के लिए ऐसे प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा, जिसकी अधिकारिता में उक्त सोसाइटी कार्य कर रही है।

(3) उप-धारा (1) के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट, वारन्ट द्वारा, किसी भी ऐसे पुलिस अधिकारी को, जो उप-निरीक्षक की रैंक से नीचे का न हो, ऐसे किसी संभावी स्थान में, जिसमें अभिलेख तथा सम्पत्ति रखी जाती है या रखे जाने का विश्वास किया जाता है, प्रवेश करने तथा तलाशी लेने और ऐसे अभिलेखों तथा सम्पत्ति को अभिगृहीत करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार अभिगृहीत अभिलेख तथा सम्पत्ति, सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रशासक या समापक को या रजिस्ट्रार या, यथास्थिति, रजिस्ट्रार के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को सौंप दी जायेगी।

31. Securing possession of records etc.— (1) Where the committee of a co-operative society is reconstituted at a general meeting of the society or the committee of a co-operative society is removed by the State Government or the Registrar under section 30 or, if the Chief Executive Officer of the society is changed under the rules, every outgoing member of the committee, if he is in charge of the records or property of the society, or the outgoing Chief Executive Officer of the society shall hand over the charge of all the records and property of the society to the Chief Executive Officer, who shall be the overall trustee of all the records and property of the society:

Provided that where the society is ordered to be wound up under section 61, the charge of the record and property of the society shall be handed over to the Liquidator, appointed under section 63.

(2) If any such outgoing officer or member, refuses to hand over the charge of the record and property to the Chief Executive Officer or the Liquidator, as the case may be or, where the Registrar is satisfied that the books and records of a society are likely to be suppressed, tampered with, or destroyed, or the funds and property of a society are likely to be misappropriated or misapplied, the Chief Executive Officer of the society or the Administrator or the Liquidator, or the Registrar or a person authorised by the Registrar may apply to the Judicial Magistrate of the First Class,

within whose jurisdiction the society is functioning, for searching, seizing and taking possession of the records and property of the society.

(3) On receipt of an application under sub-section (1), the Magistrate may, by a warrant, authorise any police officer, not below the rank of a Sub-Inspector, to enter the likely places, where the records and the property are kept or are believed to be kept, and to search and to seize such records and property; and the records and property so seized shall be handed over to the Chief Executive Officer or the Administrator of the society or the Liquidator or the Registrar, or the person authorised by the Registrar, as the case may be.



अध्याय-5

निर्वाचन

Chapter-V

Election

32. सहकारी संस्थाओं में निर्वाचन— (1) सहकारी सोसाइटियों की समितियों के सभी निर्वाचनों के लिये निर्वाचक नामावलियों की तैयारी का, और उनके संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

(2) किसी सहकारी सोसाइटी की समिति के सदस्यों और उसके अध्यक्ष के निर्वाचन इस अधिनियम, नियमों और सोसाइटी की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार संचालित होंगे।

32. Elections in Co-operative Societies.— (1) The superintendence, direction and control of the preparation of electoral roles for, and the conduct of, all elections to the committees of the co-operative societies shall be vested in the State Election Commission.

(2) The elections of the members of the committee of a co-operative society and its Chairman shall be conducted in accordance with the provisions of this Act, the rules and the bye-laws of the society.

33. राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्य— राज्य निर्वाचन आयोग, शीर्ष तथा केन्द्रीय सहकारी सोसाइटियों के लिए और प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी सोसाइटियों, वृहत क्षेत्र बहुउद्देशीय सहकारी सोसाइटियों, कृषक सेवा सोसाइटियों, कृषि विपणन सोसाइटियों, भूमि विकास बैंकों, अरबन बैंकों, उपभोक्ता सोसाइटियों, डेरी सहकारी सोसाइटियों, बुनकर सहकारी सोसाइटियों, गृह निर्माण सहकारी सोसाइटियों के लिए और समस्त ऐसी सहकारी सोसाइटियों के लिए, जिनकी शेयर पूंजी पांच लाख रुपये या अधिक है तथा सोसाइटियों के ऐसे वर्ग के लिए भी, जो इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा

अधिसूचित किये जायें, ऐसी रीति से निर्वाचनों का संचालन करेगा जो विहित की जाये।

33. Functions of the State Election Commission.— The State Election Commission shall conduct elections in the manner, as may be prescribed, for all the apex and central co-operative societies and for the Primary Agriculture Credit Co-operative Societies, Large Area Multi-purpose Co-operative Societies, Farmers Service Societies, Agriculture Marketing Societies, Primary Land Development Banks, Urban Banks, Consumer Societies, Dairy Cooperative Societies, Weavers' Co-operative Societies, Housing Co-operative Societies and for all such co-operative societies, having a share capital of rupees five lacs or more and also for such class of societies as may be notified by the State Government for this purpose.

34. अन्य सोसाइटियों में निर्वाचन— (1) धारा 33 में उल्लिखित से भिन्न सोसाइटियों में, समिति और इसके अध्यक्ष के निर्वाचन का संचालन स्वयं सोसाइटी द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी द्वारा, इस प्रयोजन हेतु बुलायी गयी साधारण निकाय की बैठक में ऐसी रीति से किया जायेगा जो, विहित की जाये :

परन्तु राज्य निर्वाचन आयोग भी ऐसी सोसाइटियों के निर्वाचनों का संचालन उस दशा में करेगा, जब कोई सोसाइटी उससे ऐसा करने का अनुरोध करे या कोई सोसाइटी निर्वाचन का संचालन समय पर नहीं करवाये।

34. Elections in Other Societies.— In societies, other than those mentioned in section 33, elections for the members of the committee and its Chairman shall be conducted in the manner, as may be prescribed, in the general body meeting called for the purpose by an election officer appointed by the society itself :

Provided that the State Election Commission shall also conduct elections for such societies, in case where a society requests it to do so, or a society does not conduct elections in time.

35. मुख्य कार्यपालक अधिकारी के निर्वाचन संबंधी कर्तव्य— सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसी समस्त जानकारी देगा और ऐसी समस्त सुविधाएं उपलब्ध करायेगा, जिनकी वह स्वतंत्र और विधिपूर्ण निर्वाचन के संचालन के लिए अपेक्षा करे।

35. Duties of the Chief Executive Officer regarding elections.— The Chief

Executive Officer of a society shall furnish all information and provide all facilities to the Election Commission or a person authorised by it, which he may expect for conducting a free and lawful election.

36. निर्वाचन प्रक्रिया रोकी नहीं जायेगी— किसी सहकारी सोसाइटी की निर्वाचन प्रक्रिया के एक बार प्रारंभ होने के पश्चात्, किसी प्राकृतिक आपदा या कानून और व्यवस्था के भंग होने की परिस्थिति को छोड़कर, किसी भी अन्य कारण से मुलतवी नहीं की जायेगी।

36. Election process not to discontinue.— Election process of a co-operative society, once started, shall not be postponed for any reason, save for a natural calamity or any breakdown of law and order.

37. अनुदेश जारी करने की शक्ति— राज्य निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और विधिपूर्ण निर्वाचन संचालित करने के लिये, इस अधिनियम एवं नियमों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे अनुदेश जारी कर सकेगा, जो वह युक्तियुक्त समझे।

37. Power to issue instructions.— The State Election Commission may, subject to the provisions of this Act, and the rules, issue such instructions, as it may consider reasonable for conducting impartial and lawful elections.



अध्याय-6

सहकारी सोसाइटियों के विशेषाधिकार

Chapter-VI

Privileges of Co-operative Societies

38. कतिपय आस्तियों पर सहकारी सोसाइटी का प्रथम भार— (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु भू-राजस्व या भू-राजस्व के रूप में वसूलीय किसी धन के संबंध में सरकार के किसी पूर्व दावे के अधधीन रहते हुए -

(क) किसी भी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य, मृत सदस्य या ऐसे किसी व्यक्ति, जिसने ऐसे ऋण या मांग के प्रतिसंदाय के लिए उसकी प्रत्याभूति का निष्पादन किया है, द्वारा किसी सहकारी सोसाइटी को देय कोई भी ऋण या बकाया मांग, ऐसी फसलों और अन्य कृषि उपज, पशु, पशुओं के चारे, कृषिक या औद्योगिक उपकरणों या मशीनरी, विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री और ऐसी कच्ची सामग्री से विनिर्मित किन्हीं भी तैयार उत्पादों या सम्पत्ति या उधार/ऋण से सृजित आस्तियों में हित या, यथास्थिति, प्रतिभूति के रूप में बंधकित सम्पत्ति, जो ऐसे सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या उसके प्रत्याभूति-दाता/प्रतिभू की है या मृत सदस्य की आस्तियों की भागरूप है, पर प्रथम भार होगी;

(ख) अपने सदस्यों के लिए निवास गृह उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित किसी सहकारी सोसाइटी को, किसी भी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य द्वारा, किराये, शेयरों, उधारों या क्रय धन या किन्हीं भी अन्य अधिकारों या ऐसी सोसाइटी को संदेय रकम के संबंध में कोई भी बकाया मांग या संदेय राशियां सोसाइटी की स्थावर सम्पत्ति में उसके हित पर प्रथम भार होंगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन सृजित भार, राजस्थान कृषि उधार अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 1) के अधीन मंजूर किये गये उधार से उद्भूत सरकार के किसी भी दावे के विरुद्ध सोसाइटी द्वारा उधार मंजूर किये जाने के पश्चात् उपलब्ध रहेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी सम्पत्ति का, जो उप-धारा (1) के अधीन भार के अध्यक्षीन है, ऐसी सहकारी सोसाइटी की, जिसके हक में उक्त भार है, लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना अन्तरण या अन्यसंक्रामण नहीं करेगा और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस उप-धारा के उल्लंघन में किया गया सम्पत्ति का कोई भी अन्तरण शून्य होगा।

38. First charge of co-operative society on certain assets.— (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, but subject to any prior claim of the Government in respect of land revenue or any money recoverable as land revenue,—

- (a) any debt or outstanding demand owing to a co-operative society by any member, past member, deceased member, or a person who executed guarantee thereof for repayment of such debt or demand shall be a first charge upon the crops and other agricultural produce, cattle, fodder for cattle, agricultural or industrial implements, or machinery, raw materials for manufacture and any finished products manufactured from such raw materials, or the property or interest in the assets created out of loan/debt, or property mortgaged as security, belonging to such member, past member or the guarantor/surety thereof or forming part of the assets of the deceased member, as the case may be;
- (b) any outstanding demands or dues payable, to a co-operative society formed with the object of providing its members with dwelling houses, by any member or past member in respect of rent, shares, loans or purchase money or any other rights or amount payable to such society shall be a first charge upon his interest in the immovable property of the society.

(2) The charge created under sub-section (1) shall be available as against any claim of the Government arising from a loan granted under the Rajasthan Agricultural Loans Act, 1956 (Act No. 1 of 1957) after the grant of the loan by the society.

(3) No person shall transfer or alienate any property which is subject to a charge under sub-section (1) except with the previous permission in writing of the co-operative society which holds the charge and any transfer of property made in contravention of this sub-section shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, be void.

39. कतिपय सोसाइटियों से उधार लेने वाले सदस्यों की स्थावर सम्पत्ति पर भार— इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—

- (क) कोई भी व्यक्ति, जो किसी सोसाइटी को, जिसका वह सदस्य है, अल्पकालिक उधार से भिन्न किसी उधार के लिए या किसी बैंक प्रत्याभूति के लिए आवेदन करता है और/या कोई व्यक्ति, जो ऐसे व्यक्ति के लिए प्रत्याभूति का निष्पादन करता है, विहित प्ररूप में घोषणा करेगा जिसमें यह कथन किया जायेगा कि आवेदक और/या प्रत्याभूति-दाता, ऐसी उधार, अग्रिम या, यथास्थिति, प्रत्याभूति की रकम का, जो सोसाइटी आवेदन के अनुसरण में सदस्य को दे और उसके द्वारा समय-समय पर अपेक्षित समस्त भावी अग्रिमों का, यदि कोई हों, सोसाइटी ऐसे सदस्य के रूप में उसे दे, ऐसे अधिकतम, के अध्यक्षीन रहते हुए, जो सोसाइटी द्वारा अवधारित किया जाये, उधारों तथा अग्रिमों या प्रत्याभूति की ऐसी रकम पर देय ब्याज सहित, अपने स्वामित्वाधीन तथा घोषणा में विनिर्दिष्ट स्थावर सम्पत्ति पर इसके द्वारा भार सृजित करता है;
- (ख) खण्ड (क) के अधीन की गई किसी घोषणा में किसी सदस्य या उसके प्रत्याभूति-दाता द्वारा किसी भी समय ऐसी सोसाइटी की, जिसके पक्ष में उक्त भार सृजित किया जाये, सम्मति से फेरफार किया जा सकेगा और भू-राजस्व या भू-राजस्व के रूप में वसूलीय किसी धन के संबंध में सरकार के, या लगान के रूप में वसूलीय किसी धन के संबंध में किसी भू-धारक के, किसी भी पूर्विक दावे के अध्यक्षीन रहते हुए उक्त घोषणा का वही प्रभाव होगा मानो घोषणा के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्ति उसमें विनिर्दिष्ट उधार तथा अग्रिम का प्रतिसंदाय करने के लिए सोसाइटी के पास बंधक रखी गई हो और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी घोषणा का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य नहीं होगा;
- (ग) कोई भी सदस्य खण्ड (क) के अधीन की गयी घोषणा में विनिर्दिष्ट स्थावर सम्पत्ति को पूर्णतः या उसके किसी भाग को तब तक अन्यसंक्रांत नहीं करेगा जब तक सदस्य द्वारा उधार ली गयी सम्पूर्ण रकम का, उस पर के ब्याज सहित संदाय पूर्ण रूप से न कर दिया जाये और इस खण्ड के उल्लंघन में किया गया सम्पत्ति का कोई भी अन्यसंक्रामण शून्य होगा;
- (घ) भू-राजस्व या भू-राजस्व के रूप में वसूलीय किसी धन के सम्बन्ध में सरकार के पूर्विक दावों या भूमि विकास बैंक के, उसके शोध्यों के संबंध में दावों के अध्यक्षीन रहते हुए, उधार और अग्रिमों के मद्दे उसके द्वारा देय-राशियों के लिए और उनकी सीमा तक खण्ड

(क) के अधीन की गयी घोषणा में विनिर्दिष्ट स्थावर सम्पत्ति पर सोसाइटी के पक्ष में प्रथम भार होगा; और

(ड) घोषणा करने वाले व्यक्ति की किसी कृषि जोत पर, खण्ड (क) के अधीन की गयी किसी घोषणा द्वारा सृजित भार के संबंध में प्रविष्टि, ऐसे व्यक्ति द्वारा या सोसाइटी द्वारा, जिसके पक्ष में भार सृजित किया गया है, ऐसी घोषणा किये जाने के पश्चात् किसी भी समय, तहसीलदार को सीधे या गांव के पटवारी या भू-अभिलेख निरीक्षक की मार्फत आवेदन किया जाने पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) के अध्याय 7 के अधीन रखे जाने वाले वार्षिक रजिस्ट्रों में, उस अध्याय में और उसके अधीन बनाये गये नियमों में उपबंधित रीति से की जायेगी और तत्प्रयोजनार्थ ऐसा आवेदन उस अधिनियम की धारा 133 के अधीन रिपोर्ट समझा जायेगा।

39. Charge on immovable property of members borrowing loans from certain societies.— Notwithstanding anything contained in this Act or in any other law for the time being in force—

- (a) any person, who makes an application to a society of which he is a member for a loan other than a short term loan or for a bank guarantee and/or a person, who executes a guarantee for such person, shall make a declaration in the prescribed form, which shall state that the applicant and/or guarantor thereby creates a charge on the immovable property owned by him/them and specified therein for the payment of the amount of the loan, advances or guarantee, as the case may be, which the society may make to the member in pursuance of the application and for all future advances, if any, required by him from time to time which the society may make to him as such member, subject to such maximum as may be determined by the society together with interest on such amount of the loan and advances or guarantee;
- (b) a declaration made under clause (a) may be varied at any time by a member or guarantor thereof with the consent of the society in favour of which such charge is created and shall, subject to any prior claim of the Government in respect of land revenue or any money recoverable as land revenue or of a landholder in respect of rent or any money recoverable as

rent, have the same effect as if the property covered by the declaration were mortgaged to the society for the repayment of the loan and advances therein specified and, notwithstanding anything contained in the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908) or in any other law for the time being in force, the registration of such declaration shall not be compulsory;

- (c) no member shall alienate the whole or any part of the immovable property specified in the declaration made under clause (a) until the whole amount borrowed by the member together with interest thereon is paid in full and any alienation of property made in contravention of this clause shall be void;
- (d) subject to the prior claims of the Government in respect of land revenue or any money recoverable as land revenue or to the claims of Land Development Bank in respect of its dues, there shall be a first charge in favour of the society on the immovable property specified in the declaration made under clause (a) for and to the extent of the dues owing by him on account of the loan and advances; and
- (e) an entry relating to a charge created by a declaration under clause (a) on the agricultural holding of the person making the declaration shall, upon an application made, at any time after such declaration, by such person or by the society, in whose favour the charge is created, to the Tehsildar either direct or through the village Patwari or Land Records Inspector, be made in the annual registers maintained under Chapter VII of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) in the manner provided for in that Chapter and the rules made thereunder and for that purpose, such application shall be deemed to be a report under section 133 of that Act.

40. संयुक्त कृषि सोसाइटी में भूमियों का निहित होना तथा करार का रजिस्ट्रीकरण—

(1) इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियमों के अधीन यथावर्गीकृत किसी संयुक्त कृषि सोसाइटी का ऐसा प्रत्येक सदस्य, जिसकी भूमि संबंधित सोसाइटी की उपविधियों में वर्णित रीति से समूहीकृत कर ली गई हैं, संयुक्त कृषि सोसाइटी के साथ,

ऐसी कालावधि को, जिसके लिए भूमि संयुक्त कृषि सोसाइटी में निहित होगी, तथा उस आधार को, जिस पर उसकी आय का अंश अवधारित किया जाएगा तथा ऐसे अन्य मामलों को, जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट किये जायें, विनिर्दिष्ट करते हुए, एक करार निष्पादित करेगा।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उप-धारा (1) के अधीन निष्पादित कोई करार तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि ऐसा करार उस क्षेत्र पर, जिसमें भूमियां स्थित हैं, अधिकारिता रखने वाले सब-रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत नहीं कर लिया जाता है।

(3) उप-धारा (1) के अन्तर्गत करार द्वारा समूहीकृत की गई भूमि ऐसे करार की अवधि के समाप्त होते ही सदस्यों में पुनः उसी तरह समाहित हो जायेगी, जैसी कि करार से पूर्व थी।

40. Vesting of lands in joint farming society and registration of agreement.—

(1) Notwithstanding anything contained in this Act or in any other law for the time being in force, every member of a joint farming society as classified under the rules, whose lands have been pooled in the manner set out in the bye-laws of the society concerned, shall execute an agreement with the joint farming society, specifying the period for which the land shall vest in the joint farming society, and the basis on which the share of his income shall be determined and such other matters as may be specified in the bye-laws.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, no agreement executed under sub-section (1) shall be valid unless such agreement is registered by the Sub-Registrar, having jurisdiction over the area in which the lands are situated.

(3) The lands pooled by an agreement under sub-section (1), shall, after the expiry of the period of the agreement, revert in the members, as were before the agreement.

41. कतिपय मामलों में सोसाइटी के दावों की पूर्ति करने हेतु वेतन में से कटौती—

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य सोसाइटी के पक्ष में करार ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाये, यह उपबंध करते हुए निष्पादित कर सकेगा कि उसका नियोजक, नियोजक द्वारा उसे संदेय वेतन या मजदूरी में से ऐसी रकम, जो करार में विनिर्दिष्ट की जाये, काटने और इस प्रकार काटी गयी रकम का सदस्य द्वारा सोसाइटी को

देय किसी ऋण या अन्य मांग की तुष्टि हेतु सोसाइटी को संदाय करने में सक्षम होगा।

(2) ऐसे किसी करार का निष्पादन हो जाने पर नियोजक, यदि सहकारी सोसाइटी द्वारा ऐसी लिखित अध्यपेक्षा की जाये और जब तक उक्त ऋण या मांग या उसका कोई भी भाग असंदत रहे, तब तक उस करार के अनुसार कटौती करेगा और इस प्रकार काटी गयी रकम कटौती की तारीख से चौदह दिन के भीतर-भीतर, सोसाइटी को संदत्त करेगा।

(3) जब किसी भी राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गयी किसी सोसाइटी से उस सोसाइटी के किसी ऐसे सदस्य के संबंध में, जो तत्समय इस राज्य में नियोजित हो, लिखित अध्यपेक्षा नियोजक द्वारा प्राप्त की जाये तो अध्यपेक्षा पर इस प्रकार कार्रवाई की जायेगी मानो वह राज्य में की किसी सोसाइटी द्वारा ही की गयी है।

(4) यदि पूर्वगामी उप-धारा के अधीन की गई कोई अध्यपेक्षा प्राप्त होने के पश्चात्, नियोजक किसी भी समय, संबंधित सदस्य को संदेय वेतन या मजदूरी में से उक्त अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट रकम काटने में विफल रहे या काटी गई रकम सोसाइटी को प्रेषित करने में व्यतिक्रम करे तो नियोजक उस रकम के संदाय के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा तथा सोसाइटी की ओर से उससे उक्त रकम भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगी और ऐसी बकाया रकम को, नियोजक के ऐसे दायित्व के संबंध में, बकाया मजदूरी की तरह पूर्विकता प्राप्त होगी।

(5) इस धारा के उपबंध उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रकार के ऐसे समस्त करारों पर भी लागू होंगे जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को प्रवृत्त थे।

(6) इस धारा की कोई भी बात भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 में यथापरिभाषित रेल, तथा खानों और तेल क्षेत्रों में नियोजित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी।

41. Deduction from salary to meet society's claims in certain cases.—

(1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, a member of a co-operative society may execute an agreement, in such form as may be prescribed, in favour of the society providing that his employer shall be competent to deduct from the salary or wages payable to him by the employer, such amount as may be specified in the agreement and to pay the amount so deducted to the society in satisfaction of any debt or other demand owing by the member to the society.

(2) On the execution of such an agreement the employer shall, if so required by the co-operative society by requisition in writing and so long as such debt or demand or any part of it remains unpaid, make the deduction in accordance with the

agreement and pay the amounts so deducted to the society within fourteen days from the date of the deduction.

(3) Where a requisition in writing from any society registered or deemed to be registered under any law in force in any State, in respect of a member of the society who for the time being is employed in this State, is received by the employer, the requisition shall be acted upon as if it had been made by a society in the State.

(4) After receipt of a requisition made under the foregoing sub-section, the employer at any time fails to deduct the amount specified in the requisition from the salary or wages payable to the member concerned or makes default in remitting the amount deducted to the society, the employer shall be personally liable for the payment thereof and the amount shall be recoverable on behalf of the society from him as arrears of land revenue and the amount so due shall rank in priority in respect of such liability of the employer as wages in arrears.

(5) The provisions of this section shall also apply to all such agreements of the nature referred to in sub-section (1) as were in force on the date of the commencement of this Act.

(6) Nothing contained in this section shall apply to persons employed in Railways as defined in Article 366 of the Constitution of India and Mines and Oil fields.

42. किसी सहकारी सोसाइटी की पूंजी में सदस्यों के शेयरों या हिशों के सम्बन्ध में भार और मुजराई— (1) सहकारी सोसाइटी को देय किसी भी ऋण या उसकी बकाया मांग के संबंध में, किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पूंजी में शेयर या हिशों पर तथा निक्षेपों पर, और किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य को संदेय किसी लाभांश, बोनस या लाभों पर, सहकारी सोसाइटी का भार होगा और वह किसी सदस्य की किसी भी जमा या उसे संदेय किसी राशि को, ऐसे किसी भी ऋण या बकाया मांग के संदाय के प्रति मुजरा कर सकेगी:

परन्तु ऐसे किसी वित्तीय बैंक का, जिससे कोई सहकारी सोसाइटी संबद्ध हो, सोसाइटी द्वारा वित्तीय बैंक में आरक्षित निधि के रूप में विनिहित की गई किसी भी राशि पर कोई भार नहीं होगा यदि वह बैंक, सोसाइटी का एकमात्र ऋणदाता न हो और न वह ऐसी सोसाइटी के नाम जमा या उसे संदेय ऐसी किसी राशि को ऐसी सोसाइटी से शोध्द किसी ऋण के प्रति मुजरा करने का हकदार होगा।

(2) उप-धारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी सहकारी सोसाइटी की पूंजी में किसी सदस्य का शेयर या हित ऐसे सदस्य या भूतपूर्व सदस्य द्वारा उपगत किसी भी ऋण या दायित्व के संबंध में किसी न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के अधीन कुर्की या विक्रय के दायित्वाधीन नहीं होगा और दिवाले से संबंधित किसी विधि के अधीन किसी शासकीय समनुदेशिनी या प्रापक का ऐसे शेयर या हित पर कोई दावा या हक नहीं होगा।

42. Charge and set off in respect of shares or interest of members in the capital of a co-operative society.— (1) A co-operative society shall have a charge upon the share or interest in the capital and on the deposits of a member or a past member and on any dividend, bonus or profits payable to a member or a past member in respect of any debt or outstanding demand owing to the co-operative society and may set off any sum credited or payable to a member towards payment of any such debt or outstanding demand :

Provided that no financing bank to which a co-operative society is affiliated shall, have a charge upon any sum invested in the financing bank as reserve fund by the society if the bank is not the sole creditor of the society, or be entitled to set off any such sum credited or payable to the society towards any debt due from such society.

(2) Subject to the provisions of sub-section (1), the share or interest of a member in the capital of a co-operative society shall not be liable to attachment or sale under any decree or order of any court in respect of any debt, or liability incurred by such member or past member, and an official assignee or a receiver under any law relating to insolvency shall not be entitled to, or have any claim on, such share or interest.

43. कतिपय करों, फीस और शुल्कों से छूट— (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सहकारी सोसाइटियों के किसी वर्ग के संबंध में—

(क) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा या उसकी ओर से या उसके किसी अधिकारी या सदस्य द्वारा निष्पादित और ऐसी सोसाइटी के कारबार से संबंधित किसी लिखत या ऐसी लिखतों के किसी वर्ग के संबंध में या इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी अधिनिर्णय या आदेश के संबंध में, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से ऐसे मामलों में

छूट दे सकेगी जिनमें यदि ऐसी छूट नहीं दी जाती तो, सहकारी सोसाइटी, अधिकारी या, यथास्थिति, सदस्य ऐसे स्टाम्प शुल्क का संदाय करने का दायी होता :

परन्तु इस खण्ड की कोई भी बात विनिमय-पत्रों, चैकों, वचन-पत्रों, उधार-पत्रों, प्रत्यय-पत्रों, बीमा पालिसियों, शेयरों के अन्तरणों, डिबेंचरों, परोक्षियों और रसीदों पर लागू नहीं होगी;

(ख) दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण या न्यायालय फीस से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संदेय किसी फीस से छूट दे सकेगी;

(ग) (i) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या अधीन; या

(ii) किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा;

उद्गृहीत या अधिरोपित किसी भी कर, अतिकर, शुल्क या अधिभार से छूट दे सकेगी।

(2) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) की कोई भी बात-

(क) सहकारी सोसाइटी के शेयरों से संबंधित किसी लिखत पर, इस बात के होते हुए भी कि सोसाइटी की आस्तियां सम्पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्थावर सम्पत्ति हैं; या

(ख) ऐसी किसी सोसाइटी द्वारा जारी किये गये और स्थावर सम्पत्ति पर या उसमें कोई भी अधिकार, हक या हित सृजित, घोषित, समनुदेशित, परिसीमित या समाप्त नहीं करने वाले, किन्हीं भी डिबेंचरों पर सिवाय वहां तक जहां तक कि वे धारक को ऐसी सुरक्षा का हकदार बनाते हैं जो किसी ऐसी रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा प्रदान की गयी है जिसके द्वारा सोसाइटी ने अपनी सम्पूर्ण स्थावर सम्पत्ति या उसका कोई भाग या उसमें कोई हित ऐसे डिबेंचरों के धारकों के लाभार्थ न्यासियों को न्यास पर बंधकित, हस्तांतरित या अन्यथा अंतरित किया है; या

(ग) ऐसी किसी सोसाइटी द्वारा जारी किये गये किसी डिबेंचर पर किये गये पृष्ठांकन या उसके अन्तरण पर,

लागू नहीं होगी।

43. Exemption from certain taxes, fees and duties.—(1) The Government may, by notification in the Official Gazette, remit in respect of any class of co-operative societies—

(a) the stamp duty chargeable under any law for the time being in force in

respect of any instrument executed by or on behalf of a co-operative society, or by an officer or member thereof and relating to the business of such society, or any class of such instruments or in respect of any award or order made under this Act in cases where, but for such remission, the co-operative society, officer, or member, as the case may be, would be liable to pay such stamp duty :

Provided that nothing in this clause shall apply in respect of bills of exchange, cheques, promissory notes, bills of lading, letters of credit, policies of insurance, transfer of shares, debentures, proxies and receipts;

- (b) any fee payable under any law for the time being in force relating to registration of documents or court fees;
- (c) any tax, surtax, duty or surcharge levied or imposed—
 - (i) by or under any other law for the time being in force; or
 - (ii) by any local authority.

(2) Nothing in clauses (b) and (c) of sub-section (1) of Section 17 of the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908) shall apply to—

- (a) any instrument relating to shares in a co-operative society, notwithstanding that the assets of the society consist in whole or in part of immovable property; or
- (b) any debentures issued by any such society and not creating, declaring, assigning, limiting or extinguishing any right, title or interest to or in immovable property except in so far as it entitles the holder to the security afforded by a registered instrument whereby the society has mortgaged, conveyed or otherwise transferred the whole or part of its immovable property or any interest therein to trustees upon trust for the benefit of the holders of such debentures; or
- (c) any endorsement upon or transfer of any debenture issued by any such society.

□ □

सहकारी सोसाइटियों को राज्य सहायता

Chapter-VII

State Aid to Co-operative Societies

44. सरकार की वित्तीय भागीदारी या सहायता— (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार,—

- (क) किसी सहकारी सोसाइटी की शेयर पूंजी में प्रत्यक्षतः अभिदाय कर सकेगी;
- (ख) समुचित उपविधियों के अध्यधीन रहते हुए, शीर्ष सोसाइटी को अन्य सहकारी सोसाइटियों के शेयर खरीदने के लिए धन इस शर्त के अध्यधीन उपलब्ध करा सकेगी कि किसी भी सहकारी सोसाइटी के ऐसे शेयर, प्रत्येक मामले में सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय नहीं खरीदे जायेंगे;
- (ग) सहकारी सोसाइटियों को उधार या अग्रिम दे सकेगी;
- (घ) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा जारी किये गये डिबेंचरों के मूलधन का प्रतिसंदाय करने और उस पर ब्याज का संदाय करने की प्रत्याभूति दे सकेगी;
- (ङ) किसी सहकारी सोसाइटी की शेयर पूंजी और उस पर लाभांश का ऐसी दरों पर प्रतिसंदाय करने की, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, प्रत्याभूति दे सकेगी;
- (च) किसी सहकारी सोसाइटी को दिये उधारों तथा अग्रिमों के मूलधन का प्रतिसंदाय करने और उन पर ब्याज का संदाय करने की प्रत्याभूति दे सकेगी;
- (छ) किसी सहकारी सोसाइटी को साहायिकियों को सम्मिलित करते हुए किसी भी अन्य रूप में, वित्तीय सहायता दे सकेगी :-

परन्तु सरकारी धन से या तो सरकार द्वारा प्रत्यक्षतः या किसी भी अन्य सहकारी सोसाइटी के माध्यम से खरीदे गये किन्हीं भी शेयरों के संबंध में दायित्व, उसका परिसमापन होने की दशा में, ऐसे शेयरों के संबंध में संदत्त रकम तक सीमित होगा।

(2) किसी प्रतिकूल करार के होते हुए भी, सरकार ऐसी किसी भी सहकारी सोसाइटी के शेयरों पर ऐसी दर से उच्चतर दर पर लाभांश या ब्याज की हकदार नहीं होगी जिस पर ऐसा लाभांश या ब्याज सोसाइटी के किसी भी अन्य शेयर धारक को संदेय है।

44. Financial partnership or aid of the Government.— (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the Government may —

- (a) subscribe directly to the share capital of a co-operative society;
- (b) subject to the appropriate bye-laws, provide moneys to an apex society for purchase of shares in other co-operative societies, subject to the condition that no such shares in any co-operative society shall be purchased except with the previous approval of the Government in each case;
- (c) give loan or make advances to co-operative societies;
- (d) guarantee the repayment of principal and payment of interest on debentures issued by a co-operative society;
- (e) guarantee the repayment of share capital of a co-operative society and dividends thereon, at such rates as may be specified by the Government;
- (f) guarantee the repayment of principal and payment of interest on loans and advances to a co-operative society;
- (g) give financial assistance in any other form, including subsidies, to any co-operative society :

Provided that liability in respect of any shares purchased with Government money either directly by the Government or through any other co-operative society shall, in the event of its being wound up, be limited to the amount paid in respect of such shares.

(2) Notwithstanding any agreement to the contrary, the Government shall not be

entitled to a dividend or interest on shares of any such co-operative society at a rate higher than that at which such dividend or interest is payable to any other shareholder of the society.

45. मुख्य और समनुषंगी राज्य भागीदारी निधि— (1) कोई शीर्ष सोसाइटी, जिसे धारा 44 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराया गया है, ऐसे धन से एक निधि स्थापित करेगी, जिसका नाम 'मुख्य राज्य भागीदारी निधि' होगा और उसका उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए करेगी अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं -

- (क) अन्य सहकारी सोसाइटियों में शेयर सीधे ही खरीदने;
- (ख) केन्द्रीय सहकारी सोसाइटी को प्राथमिक सहकारी सोसाइटियों के शेयर खरीदने के लिए उस सोसाइटी को समर्थ बनाने हेतु धन उपलब्ध कराने;
- (ग) सरकार को इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार संदाय करने।

(2) कोई केन्द्रीय सोसाइटी, जिसे किसी शीर्ष सोसाइटी द्वारा मुख्य राज्य भागीदारी निधि से उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन धन उपलब्ध कराया जाये, ऐसे धन से एक निधि स्थापित करेगी, जिसका नाम 'समनुषंगी राज्य भागीदारी निधि' होगा और उसका उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए करेगी अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं-

- (क) प्राथमिक सोसाइटियों में शेयर खरीदने;
- (ख) शीर्ष सोसाइटी को इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार संदाय करने :

परन्तु या तो मुख्य या समनुषंगी राज्य भागीदारी निधि में जमा कोई रकम क्रमशः किसी शीर्ष या किसी केन्द्रीय सोसाइटी की आस्तियों का भाग नहीं होगी और ऐसी सोसाइटियों के परिसमापन की दशा में, मुख्य राज्य भागीदारी निधि में जमा या उसमें संदेय समस्त धन सरकार के खाते में जमा किया जायेगा, जबकि समनुषंगी राज्य भागीदारी निधि में जमा या उसमें संदेय धन मुख्य राज्य भागीदारी निधि में जमा किया जायेगा।

45. Principal and Subsidiary State Partnership Funds.— (1) An apex society, which is provided with moneys by the Government under clause (b) of subsection (1) of section 44 shall, with such moneys, establish a fund to be called the 'Principal State Partnership Fund' and shall utilise it for the purpose of —

- (a) directly purchasing shares in other co-operative societies;

- (b) providing moneys to a central co-operative society to enable that society to purchase shares in primary co-operative societies;
- (c) making payment to the Government in accordance with the provisions of this chapter; and for no other purpose.

(2) A central society, which is provided with moneys by an apex society from the Principal State Partnership Fund under clause (b) of sub-section (1) shall with such moneys, establish a fund to be called the 'Subsidiary State Partnership Fund' and utilise it for the purpose of —

- (a) purchasing shares in primary societies;
- (b) making payments to the apex society in accordance with the provisions of this chapter; and for no other purpose :

Provided that any amount to the credit of either principal or Subsidiary State Partnership Funds shall not form part of the assets of an apex or a central society respectively and in the event of such societies being wound up, all moneys to the credit of or payable to the Principal State Partnership Fund shall be credited to the Government, whereas moneys to the credit of or payable to the Subsidiary State Partnership Fund shall be credited to the Principal State Partnership Fund.

46. शीर्ष और केन्द्रीय सोसाइटियों की क्षतिपूर्ति— (1) यदि किसी सहकारी सोसाइटी, जिसमें शेयर मुख्य राज्य भागीदारी निधि से खरीदे गये हैं, का परिसमापन या विघटन हो जाता है तो सरकार का ऐसी शीर्ष सोसाइटी के विरुद्ध, जिसने शेयर खरीदे थे, ऐसी खरीद से हुई किसी हानि के संबंध में कोई दावा नहीं होगा किन्तु सरकार समापन की कार्यवाहियों में या, यथास्थिति, विघटन पर, शीर्ष सोसाइटी द्वारा प्राप्त किसी धन की हकदार होगी।

(2) यदि सहकारी सोसाइटी, जिसमें शेयर समनुषंगी राज्य भागीदारी निधि से खरीदे गये हैं, का परिसमापन या विघटन हो जाता है तो न तो सरकार का और न शीर्ष सोसाइटी का ऐसी केन्द्रीय सोसाइटी के विरुद्ध, जिसने शेयर खरीदे थे, ऐसी खरीद से हुई किसी हानि के संबंध में कोई दावा होगा किन्तु शीर्ष सोसाइटी समापन की कार्यवाहियों में या, यथास्थिति, विघटन पर, केन्द्रीय सोसाइटी द्वारा प्राप्त किसी धन की हकदार होगी और ऐसा धन मुख्य राज्य भागीदारी निधि में जमा कराया जायेगा।

46. Indemnity of apex and central societies.— (1) If a co-operative society in which shares are purchased from the Principal State Partnership Fund is wound up or is dissolved, the Government shall not have any claim against the apex society which purchased the shares in respect of any loss arising from such purchase, but the Government shall be entitled to any moneys received by the apex society in liquidation proceedings or on dissolution, as the case may be.

(2) If a co-operative society in which shares are purchased from the Subsidiary State Partnership Fund is wound up or is dissolved, neither the Government nor the apex society shall have any claim against the central society which purchased such shares in respect of any loss arising from such purchases but the apex society shall be entitled to any moneys received by the central society in liquidation proceedings or on dissolution, as the case may be, and such moneys shall be credited to the Principal State Partnership Fund.

□ □

अध्याय-8

सहकारी सोसाइटियों की सम्पत्तियां और निधियां

Chapter-VIII

Properties and Funds of Co-operative Societies

47. निधियों का विभाजित नहीं किया जाना— किसी सहकारी सोसाइटी के शुद्ध लाभों से भिन्न निधियों के किसी भी भाग का, बोनस या लाभांश के रूप में संदाय या उसके सदस्यों के बीच अन्यथा वितरण नहीं किया जायेगा:

परन्तु किसी सदस्य को उसके द्वारा सहकारी सोसाइटी के लिये की गयी किन्हीं सेवाओं के लिये ऐसे मापमान से, जो उपविधियों द्वारा अधिकथित किया जाये, पारिश्रमिक, भत्ते या मानदेय संदत्त किये जा सकेंगे।

47. Funds not to be divided.— No part of the funds other than the net profits of a co-operative society shall be paid by way of bonus or dividend or otherwise distributed among its members:

Provided that a member may be paid remuneration, allowances or honoraria on such scale as may be laid down by the bye-laws for any services rendered by him to the co-operative society.

48. शुद्ध लाभों का व्ययन— (1) सहकारी सोसाइटी किसी वर्ष में अपने शुद्ध लाभों में से,—

(क) अपने लाभ का पच्चीस प्रतिशत, और ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर, जो विहित की जाये, आरक्षित निधियों में अन्तरित करेगी;

(ख) लाभ का एक प्रतिशत जो विहित किया जाए, नियमों के अधीन गठित सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण निधि में जमा करेगी;

(ग) लाभ का ऐसा भाग, जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाये, हानि, यदि कोई हो, की पूर्ति करने के लिए उपविधियों के अधीन सृजित निधि में जमा करेगी; और

(घ) सदस्यों को उनकी समादत्त शेयर पूंजी पर ऐसी दर से लाभांश का संदाय करेगी, जो विहित की जाये।

(2) शुद्ध लाभ के अतिशेष का उपयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं भी प्रयोजनों के लिये किया जा सकेगा, अर्थात:-

(क) सदस्यों को सोसाइटी के साथ उनके द्वारा किये गये कारबार की मात्रा या परिमाण पर उपविधियों में विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा रीति से, प्रोत्साहन का संदाय;

(ख) ऐसी विशेष निधि का गठन या उसमें अभिदाय जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाये;

(ग) पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का केन्द्रीय अधिनियम 6) की धारा 2 में यथापरिभाषित किसी पूर्त प्रयोजन के लिए या सहकारी आन्दोलन को समर्पित किसी हेतुक के लिए, शुद्ध लाभ के दस प्रतिशत से अनधिक की रकम का संदाय;

(घ) सोसाइटी के कर्मचारियों को उपविधियों में विनिर्दिष्ट सीमा तक और रीति से बोनस का संदाय।

48. Disposal of net profits.— (1) A co-operative society shall, out of its net profits in any year,—

(a) transfer, to the reserve funds, twenty five percent of its profits and within such period as may be prescribed;

(b) credit one percent of the profits, as may be prescribed, to the Co-operative Education and Training Fund constituted under the rules;

(c) credit such portion of the profits, as may be specified in the bye-laws, in the fund created under bye-laws to meet out the losses, if any; and

(d) pay dividend to members on their paid up share capital at such rate, as may be prescribed.

(2) The balance of the net profits may be utilised for all or any of the following purposes, namely:-

- (a) payment of incentive to members on the amount or volume of business done by them with the society, to the extent and in the manner specified in the bye-laws;
- (b) constitution of, or contribution to, such special fund as may be specified in the bye-laws;
- (c) donations of amounts not exceeding ten percent of the net profits for any charitable purpose as defined in section 2 of the Charitable Endowments Act, 1890 (Central Act 6 of 1890); or for a cause dedicated to the co-operative movement;
- (d) payment of bonus to employees of the society, to the extent and in the manner specified in the bye-laws.

49. निधियों का विनिधान— कोई सहकारी सोसाइटी अपनी निधियों का विनिधान निम्नलिखित किसी एक या अधिक में करेगी, अर्थात्:-

- (क) केन्द्रीय सहकारी बैंक;
 - (ख) शीर्ष सहकारी बैंक;
 - (ग) परिसीमित दायित्व वाली किसी अन्य सहकारी सोसाइटी द्वारा जारी किये गये शेयरों या प्रतिभूतियों या डिबेंचरों में;
 - (घ) नियमों द्वारा या सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा अनुज्ञात किसी अन्य ढंग से :
- परन्तु इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, नागरिक सहकारी बैंकों के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में प्रदत्त दिशा-निर्देश, यदि कोई हों, प्रभावशील रहेंगे।

49. Investment of funds.— A co-operative society shall invest its funds in one or more of the following, namely:-

- (a) Central Co-operative Bank;
- (b) Apex Co-operative Bank;
- (c) in the shares or securities or debentures issued by any other co-operative society with limited liability;

- (d) in any other mode permitted by the rules or by general or special order of the Government :

Provided that notwithstanding anything contained in this section, the guidelines, if any, issued by the Reserve Bank of India in this regards for the Urban Co-operative Banks shall have effect.

50. उधार लेने पर निर्बंधन— सहकारी सोसाइटी निक्षेप और उधार केवल ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन प्राप्त करेगी जो विहित की जायें या जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जायें।

50. Restrictions on borrowings.— A co-operative society shall receive deposits and loans only to such extent and under such conditions as may be prescribed or as may be specified in the bye-laws.

51. उधार देने की नीति— (1) सहकारी सोसाइटी सदस्य से भिन्न किसी भी व्यक्ति को कोई उधार नहीं देगी।

(2) किसी प्राथमिक ग्राम सेवा सोसाइटी या किसी कृषक सेवा सोसाइटी द्वारा किसी भी वर्ष में मंजूर किये जाने वाले उधार की कुल रकम का कम से कम एक तिहाई भाग और किसी भूमि विकास बैंक द्वारा किसी भी वर्ष में मंजूर किये जाने वाले उधार की कुल रकम के पच्चीस प्रतिशत से अन्यून ऐसे सदस्यों को मंजूर किया जायेगा जो कमजोर वर्गों के हों परन्तु जहां राज्य सरकार की राय में, ऐसा आरक्षण व्यवहार्य न हो वहां राज्य सरकार कमजोर वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में ऐसे उधार के आरक्षण का भिन्न-भिन्न प्रतिशत नियत कर सकेगी।

(3) सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग द्वारा जंगम सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या स्थावर सम्पत्ति के बंधक पर, धन उधार दिया जाना प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित कर सकेगी।

(4) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सहकारी सोसाइटी किसी निक्षेपकर्ता को उसके निक्षेप की प्रतिभूति पर उधार दे सकेगी।

(5) किसी वित्तीय बैंक की उधार देने की नीति सरकार द्वारा अनुमोदित की जायेगी :-

परन्तु नागरिक सहकारी बैंकों के लिये जहां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किये गये हों, प्रभावशाली होंगे।

51. Lending Policy.— (1) A Co-operative Society shall not make a loan to any person other than a member.

(2) Atleast one third of total amount of loan to be sanctioned by a primary village service society or a farmer's service society in any year and not less than twenty five percent of the total amount of loan to be sanctioned by a Land Development Bank in a year, shall be sanctioned to those members who belong to weaker sections, provided that where in the opinion of the State Government such reservation is not workable, the State Government may fix different percentages of reservation of such loan for weaker sections in different areas.

(3) The Government may, by general or special order, prohibit or restrict the lending of money on the security of movable property or on mortgage of immovable property by any society or class of societies.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), a co-operative society may make a loan to a depositor on the security of his deposit.

(5) The lending policy of a financing bank shall be approved by the Government :

Provided that where guidelines are issued by the Reserve Bank of India in this regards for the Urban Co-operative Banks, such guidelines shall have effect.

52. गैर-सदस्यों के साथ अन्य संव्यवहारों पर निर्बंधन— धारा 50 और 51 में यथा- उपबंधित के सिवाय, किसी सहकारी सोसाइटी का सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों के साथ संव्यवहार, ऐसे निर्बंधनों, यदि कोई हों, के अधीन होगा, जो विहित किये जायें।

52. Restriction on other transactions with non-members.— Save as provided in section 50 and 51, the transaction of a co-operative society with persons other than members shall be subject to such restrictions, if any, as may be prescribed.

53. भविष्य निधि— (1) सहकारी सोसाइटी अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए अभिदायी भविष्य निधि स्थापित कर सकेगी जिसमें सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार कर्मचारियों द्वारा और सोसाइटी द्वारा किये गये समस्त अभिदाय जमा किये जायेंगे।

(2) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा उप-धारा (1) के अधीन स्थापित अभिदायी भविष्य निधि—

(क) का उपयोग सोसाइटी के कारबार में नहीं किया जायेगा;

(ख) सोसाइटी की आस्तियों का भाग नहीं होगी; और

(ग) कुर्की के दायित्वाधीन नहीं होगी या किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी की किसी अन्य आदेशिका के अधधीन नहीं होगी।

53. Provident Fund.— (1) A co-operative society may establish Contributory Provident Fund for the benefit of its employees to which shall be credited all contributions made by the employees and the society in accordance with the bye-laws of the society.

(2) A Contributory Provident Fund established by a co-operative society under sub-section (1)-

- (a) shall not be used in the business of the society;
- (b) shall not form part of the assets of the society; and
- (c) shall not be liable to attachment or be subject to any other process of any court or other authority.

□ □

लेखापरीक्षा, जाँच और अधिभार

Chapter-IX

Audit, Inquiry and Surcharge

54. लेखापरीक्षा— (1) सहकारी सोसाइटियों के लेखापरीक्षण के लिये रजिस्ट्रार विहित रीति से लेखापरीक्षकों के तीन पेनल अर्थात् विभागीय लेखापरीक्षकों, प्रमाणित लेखापरीक्षकों और चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 38) में यथा- परिभाषित, चार्टर्ड अकाउन्टेन्टों के तैयार करेगा और उनमें से किसी एक ऐसे पेनल में से, जिसके लिये सोसाइटी निर्धारित समय के भीतर अपना विकल्प दे, लेखापरीक्षक की नियुक्ति करेगा।

(2) प्रत्येक सोसाइटी अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा, रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक से करवायेगी, परन्तु कोई भी व्यक्ति किसी सोसाइटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा लगातार दो वर्ष से अधिक नहीं करेगा।

(3) सोसाइटी, लेखाओं की लेखापरीक्षा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की, सोसाइटी की समस्त पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, कागजपत्रों, प्रतिभूतियों, नकदी और अन्य सम्पत्तियों तक पहुंच को सुगम बनायेगी।

(4) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो सोसाइटी का कोई अधिकारी या कर्मचारी या एजेंट है या किसी भी समय रहा है और सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य और भूतपूर्व सदस्य, सोसाइटी के संव्यवहारों और कार्यकरण के संबंध में ऐसी सूचना देगा, जिसकी लेखापरीक्षक अपेक्षा करे।

(5) लेखापरीक्षक, रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर लेखापरीक्षा को पूर्ण करके लेखापरीक्षा रिपोर्ट रजिस्ट्रार द्वारा विहित प्रोफार्मा में प्रस्तुत करेगा। यदि लेखापरीक्षा के समय किसी सहकारी सोसाइटी के लेखे पूर्ण नहीं हैं तो रजिस्ट्रार या उसके अनुमोदन से उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उन लेखाओं को सोसाइटी के खर्चे पर पूर्ण रूप से लिखवायेगा।

(6) रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक को सोसाइटी के सभी नोटिस, और वार्षिक साधारण बैठक से संबंधित प्रत्येक संसूचना प्राप्त करने का और ऐसी बैठक में उपस्थित होने और उसमें सुने जाने का अधिकार होगा।

(7) यदि इस धारा के अधीन की गयी लेखापरीक्षा के परिणामों से सहकारी सोसाइटी के कार्यकरण में कोई भी त्रुटि प्रकट होती है तो रजिस्ट्रार ऐसी त्रुटि को सोसाइटी के और यदि सोसाइटी किसी अन्य सोसाइटी से संबद्ध है तो उस अन्य सोसाइटी के भी ध्यान में लायेगा।

(8) रजिस्ट्रार, लेखापरीक्षा में प्रकट त्रुटियों को आदेश में उल्लिखित समय के भीतर-भीतर ठीक करने के लिए सोसाइटी या उसके अधिकारियों को निदेश देते हुए आदेश करेगा।

54. Audit.— (1) For the audit of co-operative societies, the Registrar shall prepare three panels of auditors, viz. departmental auditors, certified auditors and Chartered Accountants, as defined in the Chartered Accountants Act, 1949 (Central Act No. 38 of 1949), in the manner prescribed, and shall, from one of such panels which the society may, within the time prescribed therefor, opt, appoint the auditor.

(2) Every society shall get its accounts audited by an auditor appointed by the Registrar, provided that no person shall audit the accounts of a society for more than two years in continuation.

(3) The society shall render, to every person auditing the accounts, access to all the books, accounts, documents, papers, securities, cash and other properties belonging to the society.

(4) Every person, who is, or has at any time been, an officer or an employee or an agent of the society and every member and past member of the society shall furnish such information in regard to the transactions and working of the society as the auditor may require.

(5) The auditor, completing the audit within the period specified by the Registrar, shall submit the audit report in a proforma prescribed by the Registrar. If at the time of audit the accounts of a co-operative society are not complete, the Registrar or with his approval, the person authorised by him may cause the accounts to be written up at the expense of the society.

(6) The auditor appointed by the Registrar shall have the right to receive all notices, and every communication relating to the annual general meeting of the society and to attend such meeting and to be heard thereat.

(7) If the result of the audit held under this section discloses any defects in the working of co-operative society, the Registrar may bring such defects to the notice of the society and, if the society is affiliated to another co-operative society, also to the notice of such other society.

(8) The Registrar may make an order directing the society or its officers to remedy the defects disclosed in the audit, within the time mentioned in the order.

55. रजिस्ट्रार द्वारा जांच— (1) रजिस्ट्रार,

(क) ऐसी सहकारी सोसाइटी, जिससे कि संबंधित सोसाइटी सम्बद्ध है; या

(ख) सोसाइटी की समिति के सदस्यों के बहुमत; या

(ग) सोसाइटी के कुल सदस्यों की संख्या के दसवें भाग से अन्यून,

के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से या तो स्वयं या अपने लिखित आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के जरिये किसी सहकारी सोसाइटी के गठन, अवधि विशेष में किये गये कारबार और वित्तीय स्थिति के बारे में जांच कर सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार या उप-धारा (1) के अधीन, उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को इस धारा के अधीन जांच के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्:-

(क) उसकी सोसाइटी की या उसकी अभिरक्षा में की पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकदी तथा अन्य सम्पत्तियों तक सभी उचित समयों पर अबाध पहुँच होगी और वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जिसके कब्जे में ऐसी कोई भी पुस्तकें, लेखे, दस्तावेज, प्रतिभूतियाँ, नकदी या अन्य संपत्तियाँ हों या जो उनकी अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी हों, सोसाइटी के मुख्यालय या उसकी किसी भी शाखा में उन्हें प्रस्तुत करने के लिए समन कर सकेगा;

(ख) वह ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसे सोसाइटी के किन्हीं कार्यकलापों की जानकारी है, सोसाइटी के मुख्यालय या उसकी किसी भी शाखा में अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए समन कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति की, शपथ पर परीक्षा कर सकेगा; और

(ग) (i) वह, सोसाइटी की किसी साधारण बैठक के लिए नोटिस की कालावधि विनिर्दिष्ट करने वाले किसी नियम या उपविधि के होते हुए भी, सोसाइटी के अधिकारियों से, सोसाइटी के मुख्यालय या उसकी किसी भी शाखा पर ऐसे समय तथा स्थान पर साधारण बैठक बुलाने और ऐसे मामलों का, जिनके लिए उसके द्वारा निदेश दिया जाये, अवधारण करने का निदेश दे सकेगा और यदि सोसाइटी के अधिकारी ऐसी कोई बैठक बुलाने से इंकार करें या बुलाने में विफल रहें तो उसे स्वयं ऐसी बैठक बुलाने की शक्ति होगी;

(ii) उपखण्ड (i) के अधीन बुलायी गयी किसी बैठक को, सोसाइटी की उपविधियों के अधीन बुलायी गयी साधारण बैठक की समस्त शक्तियाँ होंगी और उसकी कार्यवाहियों का नियमन उपविधियों द्वारा होगा।

(3) सोसाइटी के ऐसे समस्त अधिकारी, सदस्य और कर्मचारी, जिनके कार्यकलापों के संबंध में इस धारा के अधीन अन्वेषण किया जाये, सोसाइटी के कार्यकलापों के संबंध में अपने पास की ऐसी जानकारी देंगे जिसकी रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अपेक्षा करे।

(4) रजिस्ट्रार किसी भी जांच को ऐसे अधिकारी से, जिसे वह न्यस्त की गयी है, प्रत्याहृत करने और उसे स्वयं करने या उसे ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जिसे वह उपयुक्त समझे, सौंपने के लिए सक्षम होगा।

(5) जब इस धारा के अधीन कोई जांच की जाती है तो रजिस्ट्रार जांच का परिणाम सोसाइटी को और उस सहकारी सोसाइटी को, यदि कोई हो, संसूचित करेगा जिससे वह सम्बद्ध है।

(6) रजिस्ट्रार, लिखित आदेश द्वारा, सोसाइटी के या उसके वित्तीय बैंक के या किसी अन्य सोसाइटी के किसी भी अधिकारी को, जांच के परिणामस्वरूप पायी गयी त्रुटियों को, यदि कोई हों, आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर-भीतर ठीक करने के लिए ऐसी कार्रवाई करने का निदेश दे सकेगा, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये।

55. Inquiry by Registrar.— (1) The Registrar may, on the application of-

- (a) a co-operative society to which the society concerned is affiliated; or
- (b) a majority of the members of the committee of the society; or
- (c) not less than one-tenth of the total number of members of the society,

or, of his own motion, either by himself or by a person authorised by him by order in writing, hold an inquiry into the constitution, working and financial condition of a co-operative society.

(2) The Registrar, or the person authorised by him under sub-section (1), shall, for the purposes of an inquiry under this section, have the following powers, namely:—

- (a) he shall, at all reasonable times, have free access to the books, accounts, documents, securities, cash and other properties belonging to, or in the custody of, the society and may summon any person in possession, or responsible for the custody, of any such books, accounts, documents, securities, cash or other properties, to produce the same at the headquarters of the society or any branch thereof;
- (b) he may summon any person, who, he has reason to believe, has knowledge of any of the affairs of the society, to appear before him at the headquarters of the society or any branch thereof and may examine such person on oath; and
- (c) (i) he may, notwithstanding any rule or bye-law specifying the period of notice for a general meeting of the society, require the officers of the society to call a general meeting at such time and place at the headquarters of the society or any branch thereof and to determine such matters as may be directed by him, and where the officers of the society refuse or fail to call such a meeting, he shall have power to call it himself;
(ii) any meeting called under sub-clause (i), shall have all the powers of a general meeting called under the bye-laws of the society and its proceedings shall be regulated by bye-laws.

(3) All officers, members and employees of the society, whose affairs are investigated under this section, shall furnish such information in their possession in regard to the affairs of the society as the Registrar or the person authorised by the Registrar may require.

(4) It shall be competent for the Registrar to withdraw any enquiry from the

officer to whom it is entrusted, and to hold the enquiry himself or to entrust it to any other person as he deems fit.

(5) When an inquiry is made under this section, the Registrar shall communicate the result of the inquiry to the society and to the co-operative society, if any, to which that society is affiliated.

(6) The Registrar may, by an order in writing, direct any officer of the society or its financing bank or any other society to take such action as may be specified in the order to remedy, within such time as may be specified therein, the defects, if any, disclosed as a result of the enquiry.

56. वित्तीय बैंक द्वारा पुस्तकों का निरीक्षण— किसी वित्तीय बैंक को किसी सहकारी सोसाइटी की, जो उसकी ऋणी है, पुस्तकों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। निरीक्षण या तो वित्तीय बैंक के किसी अधिकारी द्वारा या उसके वेतन पाने वाले स्टॉफ के ऐसे किसी सदस्य द्वारा किया जा सकेगा, जो ऐसे बैंक की समिति की सिफारिश पर रजिस्ट्रार द्वारा ऐसा निरीक्षण करने के लिए सक्षम प्रमाणित हो। इस प्रकार निरीक्षण करने वाले अधिकारी या सदस्य की सोसाइटी की या उसकी अभिरक्षा में की पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकदी और अन्य सम्पत्तियों तक समस्त उचित समयों पर अबाध पहुंच होगी और वह ऐसी सूचना, विवरण और विवरणियों की अपेक्षा भी कर सकेगा जो सोसाइटी की वित्तीय स्थिति की और वित्तीय बैंक द्वारा उसे उधार दी गई राशियों की संरक्षा के अभिनिश्चयन के लिए आवश्यक हों।

56. Inspection of books by financing bank.— A financing bank shall have the right to inspect the books of any co-operative society which is indebted to it. The inspection may be made either by an officer of the financing bank or by a member of its paid staff certified by the Registrar on the recommendation of the committee of such bank as competent to undertake such inspection. The officer or member so inspecting shall, at all reasonable times, have free access to the books, accounts, documents, securities, cash and other properties belonging to, or in the custody of, the society and may also call for such information, statement and returns as may be necessary to ascertain the financial condition of the society and the safety of the sums lent to it by the financing bank.

57. अधिभार— (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गयी किसी लेखापरीक्षा,

जांच, निरीक्षण या किसी समापक की रिपोर्ट के आधार पर रजिस्ट्रार की जानकारी में यह आता है कि किसी व्यक्ति ने, जिसने ऐसी सोसाइटी के संगठन या प्रबंध में कोई भाग लिया है या जो सोसाइटी का कोई अधिकारी या कर्मचारी है या किसी भी समय रहा है, इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के उपबंधों के प्रतिकूल कोई संदाय कर दिया है या जानबूझकर उपेक्षा करके सोसाइटी की आस्तियों में कमी कर दी है या ऐसी सोसाइटी के धन या अन्य सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया है या उसे कपटपूर्वक रख लिया है तो रजिस्ट्रार ऐसे व्यक्ति के आचरण के बारे में स्वयं जांच कर सकेगा या अपने द्वारा इस निमित्त लिखित आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को जांच करने का निदेश दे सकेगा:

परन्तु इस धारा के अधीन आचरण की कोई जांच ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा नहीं की जायेगी जिसने उसी मामले में पूर्व में लेखापरीक्षा, जांच, निरीक्षण या समापन की रिपोर्ट प्रस्तुत की है:

परन्तु यह और कि ऐसी कोई भी जांच किसी कार्य या लोप की तारीख से छह वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या ऐसे कार्य या लोप का रजिस्ट्रार को ज्ञान होने की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं की जायेगी:

परन्तु यह भी कि सामान्य कारबारी समझबूझ के साथ सोसाइटी के हित में किये गये किसी कार्य या विनिश्चय के कारण हुई कोई कारबारी हानि ऐसी जांच की विषयवस्तु नहीं होगी।

(2) जहाँ उप-धारा (1) के अधीन कोई जांच की जाये, वहाँ रजिस्ट्रार संबंधित व्यक्ति को अपना मामला अभ्यावेदित करने का अवसर देने के पश्चात्, उससे धन या सम्पत्ति या उसके किसी भाग का ऐसी दर से ब्याज सहित प्रतिसंदाय करने या प्रत्यावर्तित करने या ऐसी सीमा तक अभिदाय और खर्चों का या प्रतिकर का संदाय करने की अपेक्षा करते हुए आदेश कर सकेगा जिसे रजिस्ट्रार न्यायोचित और साम्यपूर्ण समझे।

(3) यह धारा इस बात के होते हुए भी लागू होगी कि ऐसे व्यक्ति या अधिकारी ने अपने किसी कार्य या लोप के कारण आपराधिक दायित्व उपगत कर लिया हो।

स्पष्टीकरण :— इस धारा के प्रयोजनार्थ “रजिस्ट्रार” के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी नहीं आयेंगे, जिन्हें इस अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं।

57. Surcharge.— (1) If on the basis of an audit, inquiry, inspection or a Liquidator's report made under the provisions of this Act, it comes to the knowledge of the Registrar that any person, who has taken any part in the organisation or management of such society or who is or has at any time been an officer or an employee of the society, has made any payment contrary to the provisions of this Act,

the rules or the bye-laws or has caused any deficiency in the assets of the society by willful negligence or has misappropriated or fraudulently retained any money or other property belonging to such society, the Registrar may, inquire himself or direct any person authorised by him, by an order in writing in this behalf, to inquire into the conduct of such person :

Provided that no inquiry into the conduct shall be done under this section by a person who has earlier submitted report of audit, inquiry, inspection or liquidation in the same matter :

Provided further that no such inquiry shall be held after the expiry of six years from the date of an act or omission or after the expiry of two years from the date of knowledge of the Registrar of such act or omission :

Provided also that any business loss occurred due to an act done or decision taken in the interest of the society with a common business prudence shall not be a subject matter of such inquiry.

(2) Where an inquiry is made under sub-section (1), the Registrar may, after giving the person concerned an opportunity of representing his case, make an order requiring him to repay or restore the money or property or any part thereof, with interest at such rate, or to pay contribution and costs or compensation to such extent, as the Registrar may consider just and equitable.

(3) This section shall apply notwithstanding that such person or officer may have incurred criminal liability by his act.

Explanation :- For the purpose of this section "Registrar" shall not include officers on whom powers of the Registrar have been conferred under sub-section (2) of section 4.

□ □

अध्याय-10

विवादों का निपटारा

Chapter-X

Settlement of Disputes

58. विवाद जो माध्यस्थम् को निर्दिष्ट किये जा सकेंगे— (1) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी सहकारी सोसाइटी के गठन, प्रबंध या कारबार के संबंध में :-

- (क) सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों तथा सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों और मृत सदस्यों की मारफत दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच, या
- (ख) किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की मारफत दावा करने वाले व्यक्ति और सोसाइटी, उसकी समिति या सोसाइटी के किसी अधिकारी, एजेन्ट या कर्मचारी के बीच, या
- (ग) सोसाइटी या उसकी समिति और सोसाइटी की किसी भूतपूर्व समिति, किसी अधिकारी, एजेन्ट या कर्मचारी, या किसी भूतपूर्व अधिकारी, भूतपूर्व एजेन्ट या भूतपूर्व कर्मचारी या किसी मृत अधिकारी, मृत एजेन्ट या मृत कर्मचारी के नाम-निर्देशिनी, वारिस या विधिक प्रतिनिधियों के बीच, या
- (घ) सोसाइटी और किसी अन्य सोसाइटी के बीच, या
- (ङ) सोसाइटी और किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के, या सदस्य से भिन्न ऐसे किसी व्यक्ति के, जिसे सोसाइटी द्वारा उधार दिया गया है या जिसके साथ सोसाइटी का धारा 52 के अधीन कोई संव्यवहार है या था, प्रतिभू के बीच, चाहे ऐसा कोई प्रतिभू किसी सोसाइटी का सदस्य हो या नहीं,

कोई विवाद उद्भूत हो तो ऐसा विवाद विनिश्चय के लिए रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट किया जायेगा और किसी भी न्यायालय को ऐसे विवाद के संबंध में कोई वाद या अन्य कार्यवाही गृहीत करने की अधिकारिता नहीं होगी:

परन्तु सोसाइटी और उसके कर्मचारियों के बीच ऐसे विवाद, जिनके लिए उपचार कर्मचारियों पर लागू सेवा विधियों के उपबंधों के अधीन उपलब्ध हैं, इस धारा के अधीन गृहीत नहीं किये जायेंगे।

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित विवाद भी किसी सहकारी सोसाइटी के गठन, प्रबन्ध या कारबार से संबंध रखने वाले विवाद समझे जायेंगे, अर्थात्:

- (क) सोसाइटी द्वारा ऐसे किसी ऋण या मांग के लिए दावा, जो उसे किसी सदस्य या किसी नृत सदस्य के नामनिर्देशित, वारिस या विधिक प्रतिनिधियों द्वारा देय हो, चाहे ऐसा ऋण या मांग स्वीकार की गयी हो या नहीं;
- (ख) किसी प्रतिभू द्वारा मूल ऋणी के विरुद्ध दावा, जहां सोसाइटी ने मूल ऋणी द्वारा उसे देय किसी ऋण या मांग के संबंध में, मूल ऋणी द्वारा उसे चुकाने में व्यतिक्रम करने के कारण, प्रतिभू से कोई रकम वसूल कर ली हो, चाहे ऐसा ऋण या मांग स्वीकार की गयी हो या नहीं;
- (ग) ऐसा कोई विवाद जो सोसाइटी के किसी अधिकारी के निर्वाचन के संबंध में उद्भूत हो:

परन्तु इस खण्ड के अधीन कोई भी विवाद, निर्वाचन कार्यक्रम से प्रारम्भ होने वाली और परिणामों की घोषणा पर समाप्त होने वाली कालावधि के दौरान गृहीत नहीं किया जायेगा।

(3) यदि ऐसा कोई प्रश्न उद्भूत हो कि आया इस धारा के अधीन रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट कोई विवाद किसी सहकारी सोसाइटी के गठन, प्रबन्ध या कारबार से संबंध रखने वाला कोई विवाद है तो उस पर रजिस्ट्रार का विनिश्चय अंतिम होगा और उसे किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

58. Disputes which may be referred to arbitration.— (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, if any dispute touching the constitution, management, or the business of a co-operative society arises—

- (a) among members, past members and persons claiming through members, past members and deceased members, or
- (b) between a member, past member or a person claiming through a member, past member or deceased member and the society, its committee or any officer, agent or employee of the society, or

- (c) between the society or its committee and any past committee, any officer, agent or employee, or any past officer, past agent or past employee or the nominee, heirs or legal representatives of any deceased officer, deceased agent or deceased employee of the society, or
- (d) between the society and any other co-operative society, or
- (e) between the society and the surety of a member, past member or a deceased member, or a person other than a member who has been granted a loan by the society or with whom the society has or had transaction under Section 52, whether such a surety is or is not a member of a society,

such dispute shall be referred to the Registrar for decision and no court shall have jurisdiction to entertain any suit or other proceeding in respect of such dispute:

Provided that such disputes between the society and its employees, for which a remedy is available under the provisions of the service laws applicable on the employees, shall not be entertained under this section.

(2) For the purpose of sub-section (1), the following disputes shall also be deemed to be the disputes touching the constitution, management or the business of a co-operative society, namely :—

- (a) a claim by the society for any debt or demand due to it from a member or the nominee, heirs or legal representatives of a deceased member, whether such debt or demand be admitted or not;
- (b) a claim by a surety against the principal debtor, where the society has recovered from the surety any amount in respect of any debt or demand due to it from the principal debtor as a result of the default of the principal debtor, whether such debt or demand is admitted or not;
- (c) any dispute arising in connection with the election of any officer of the society:

Provided that no dispute under this clause shall be entertained during the period commencing from the announcement of election programme and ending on the

declaration of the results.

(3) If any question arises whether a dispute referred to the Registrar under this section is a dispute touching the constitution, management or the business of a co-operative society, the decision thereon of the Registrar shall be final and shall not be called in question in any court.

59. परिसीमा— (1) परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का केन्द्रीय अधिनियम 36) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस अधिनियम में किये गये विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए, रजिस्ट्रार को धारा 58 के अधीन निर्दिष्ट किसी विवाद की दशा में परिसीमा की कालावधि-

- (क) जब विवाद किसी सोसाइटी को उसके किसी सदस्य द्वारा देय किसी राशि की, जिसमें उस पर लगने वाला ब्याज सम्मिलित है, वसूली के संबंध में हो तो, ऐसी तारीख से संगणित की जायेगी, जिसको ऐसे सदस्य की मृत्यु हो या वह सोसाइटी का सदस्य नहीं रहे;
- (ख) जब विवाद किसी सोसाइटी या उसकी समिति, किसी भूतपूर्व समिति, किसी भूतपूर्व या वर्तमान अधिकारी, या भूतपूर्व या वर्तमान एजेंट, या भूतपूर्व या वर्तमान सेवक या सोसाइटी के किसी मृत अधिकारी, मृत एजेंट या मृत सेवक के नामनिर्देशिती, वारिस या विधिक प्रतिनिधि, किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के या किसी मृत सदस्य के नामनिर्देशिती, वारिस या विधिक प्रतिनिधि के बीच हो या दो सहकारी सोसाइटियों के बीच हो और जब विवाद, विवाद के किसी भी पक्षकार के किसी कार्य या लोप के संबंध में हो तो, ऐसी तारीख से छह वर्ष की होगी जिसको विवादग्रस्त कार्य या लोप हुआ था;
- (ग) जब विवाद ऐसी किसी सोसाइटी, जिसके परिसमापन के आदेश धारा 61 के अधीन दिये गये हैं, या जिसके संबंध में धारा 30 के अधीन कोई प्रशासक नियुक्त किया गया है, के गठन, प्रबंध या कारबार संबंधी किसी मामले के बारे में हो तो, ऐसी तारीख से छह वर्ष की होगी जिसको धारा 61 या, यथास्थिति, धारा 30 के अधीन, उक्त आदेश जारी किया गया;
- (घ) जब विवाद, सोसाइटी के किसी पदाधिकारी के निर्वाचन के संबंध में हो तो ऐसी तारीख से एक मास की होगी जिसको निर्वाचन का परिणाम घोषित किया गया।

(2) पूर्वगामी उप-धारा में वर्णित विवादों को छोड़कर ऐसे किन्हीं अन्य विवादों की दशा में, जिन्हें धारा 58 के अधीन रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है, परिसीमा की कालावधि, परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का केन्द्रीय अधिनियम 36) के उपबन्धों द्वारा इस प्रकार विनियमित होगी मानो वह विवाद कोई वाद हो और रजिस्ट्रार कोई सिविल न्यायालय हो।

(3) उप-धारा (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रार किसी विवाद को परिसीमा की कालावधि के समाप्त हो जाने के पश्चात् भी ग्रहण कर सकेगा यदि आवेदक, रजिस्ट्रार का यह समाधान कर दे कि उसके पास विवाद को ऐसी कालावधि के भीतर निर्देशित नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था।

59. Limitation.— (1) Notwithstanding anything contained in the Limitation Act, 1963 (Central Act 36 of 1963), but subject to the specific provisions made in this Act, the period of limitation in the case of a dispute referred to the Registrar under Section 58 shall,—

- (a) when the dispute relates to the recovery of any sum, including interest thereon, due to a society by a member thereof, be computed from the date on which such member dies or ceases to be a member of the society;
- (b) when the dispute is between a society or its committee, any past committee, any past or present officer, or past or present agent, or past or present servant or the nominee, heir or legal representative of a deceased officer, deceased agent or deceased servant of the society, or a member, or past member, or the nominee, heir or legal representative of a deceased member or between two co-operative societies and when the dispute relates to any act or omission on the part of either party to the dispute, be six years from the date on which the act or omission with reference to which the dispute arose took place;
- (c) when the dispute is in respect of any matter touching the constitution, management or business of a society which has been ordered to be wound up under section 61, or in respect of which an administrator has been appointed under section 30, be six years from the date of the order issued under Section 61, or section 30, as the case may be;
- (d) when the dispute is in respect of an election of an office-bearer of the society, be one month from the date of the declaration of the result of the election.

(2) The period of limitation in the case of any other dispute except those

mentioned in the forgoing sub-sections, which are required to be referred to the Registrar under section 58 shall be regulated by the provisions of the Limitation Act, 1963 (Central Act 36 of 1963), as if the dispute were a suit, and the Registrar a civil court.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), the Registrar may admit a dispute after the expiry of the limitation period, if the applicant satisfies the Registrar that he had sufficient cause for not referring the dispute within such period.

60. विवादों का माध्यस्थ को निर्देश— (1) रजिस्ट्रार विवाद का जो धारा-58 के अधीन निर्देश की प्राप्ति पर,—

- (क) विवाद का स्वयं विनिश्चय कर सकेगा, या
- (ख) उसे निपटारे के लिए ऐसे व्यक्ति को अन्तरित कर सकेगा जिसमें सरकार द्वारा इस निमित्त शक्तियाँ विनिहित की गयी हों, या
- (ग) उसे निपटारे के लिए किसी मध्यस्थ को जो उसके लिये विहित पात्रता रखता हो, निर्देशित कर सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार, उपधारा (1) के अधीन निपटारे के लिए अन्तरित या निर्दिष्ट किसी भी निर्देश को वापस ले सकेगा और या तो उसका विनिश्चय स्वयं कर सकेगा या उसे उक्त उप-धारा के खण्ड (ख) या (ग) में उल्लिखित अन्य व्यक्ति या मध्यस्थ को निपटारे हेतु पुनः अन्तरित या निर्दिष्ट कर सकेगा यदि वह व्यक्ति या मध्यस्थ, जिसे विवाद प्रथमतः अन्तरित या निर्दिष्ट किया गया था—

- (i) मर जाता है, पद त्याग देता है या स्थानांतरित कर दिया जाता है; या
- (ii) कार्य करने में असमर्थ हो गया है या उसके विरुद्ध अवचार या भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है; या
- (iii) कार्य करने में उपेक्षा करता है या करने से इंकार करता है।

(3) रजिस्ट्रार या ऐसा कोई भी अन्य व्यक्ति जिसे इस धारा के अधीन कोई विवाद विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाये, विवाद का विनिश्चय न होने तक, ऐसे अन्तर्वर्ती आदेश कर सकेगा जो वह न्याय के हित में आवश्यक समझे।

60. Reference of disputes to arbitration.— (1) The Registrar may, on receipt of the reference of a dispute under section 58, —

- (a) decide the dispute himself, or
- (b) transfer it for disposal to any person who has been invested by the Government with powers in that behalf, or
- (c) refer it for disposal to an arbitrator having the eligibility, prescribed therefor.

(2) The Registrar may withdraw any reference transferred or referred for disposal under sub-section (1) and either decide it himself or transfer or refer it again for disposal to another person or arbitrator mentioned in clause (b) or (c) of that sub-section, if the person or arbitrator, to whom the dispute was first transferred or referred,-

- (i) dies, resigns or is transferred; or
- (ii) has become incapable of acting or against whom a complaint has been received regarding his misconduct or corruption; or
- (iii) neglects or refuses to act.

(3) The Registrar or any other person to whom a dispute is referred for decision under this section may, pending the decision of the dispute, make such interlocutory orders as he may deem necessary in the interest of justice.

□ □

सहकारी सोसाइटियों का परिसमापन और विघटन

Chapter-XI

Winding up and Dissolution of Co-operative Societies

61. सहकारी सोसाइटियों का परिसमापन— (1) जहाँ धारा 54 के अधीन संचालित किसी लेखापरीक्षा या धारा 55 के अधीन की गयी किसी जांच के आधार पर या तत्प्रयोजनार्थ बुलायी गयी किसी विशेष साधारण बैठक में पारित किसी विशेष संकल्प सहित किया गया कोई आवेदन प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार की जानकारी में यह आये कि—

(क) सोसाइटी के सदस्यों की संख्या या समादत्त शेयर पूंजी की रकम सोसाइटी के ऐसे वर्ग के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम स्तर से कम हो गयी है; या

(ख) सोसाइटी ने उसके रजिस्ट्रीकरण के दो वर्ष के पश्चात् भी कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है या ऐसे प्रमुख उद्देश्यों को पूरा कर लिया है जिनके लिए उसका गठन किया गया था या उसके प्रमुख उद्देश्यों के अनुसार कार्य करना बन्द कर दिया है,

तो वह, सोसाइटी को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात्, ऐसी सोसाइटी के परिसमापन का निदेश देते हुए कोई आदेश जारी कर सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार ऐसे किसी मामले में, जिसमें उसकी राय में सोसाइटी को विद्यमान बने रहना चाहिए, किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन के किसी आदेश को ऐसा किये जाने के कारणों का उल्लेख करते हुए किसी भी समय रद्द कर सकेगा।

61. Winding up of co-operative societies.— (1) Where, on the basis of an audit conducted under section 54 or an enquiry held under section 55 or on receipt

of an application made with a special resolution passed at a special general meeting called for the purpose, it comes to the knowledge of the Registrar that-

- (a) the number of members or the amount of the paid up share capital in the society has reduced below the minimum level which is essential for registration of such class of society; or
- (b) the society has not commenced to work even after two years of its registration, or has fulfilled the core objects for which it was constituted or has ceased to work in accordance with its core objectives,

he may, after giving the society an opportunity of making its representation, issue an order directing the winding up of such society.

(2) The Registrar may cancel an order for the winding up of a co-operative society, stating the reasons therefor, at any time, in any case where, in his opinion, the society should continue to exist.

62. बीमाकृत सहकारी बैंक— इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के मामले में-

- (i) बैंक के परिसमापन का कोई आदेश, या उसके साथ समझौते या ठहराव की या उसके सम्मेलन या पुनर्निर्माण (जिसमें विभाजन या पुनर्गठन सम्मिलित है) की किसी स्कीम की मंजूरी का कोई आदेश केवल भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी से किया जा सकेगा;
- (ii) यदि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 47) की धारा 13घ में निर्दिष्ट परिस्थितियों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये तो बैंक के परिसमापन का आदेश रजिस्ट्रार द्वारा किया जायेगा;
- (iii) यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, लोकहित में या बैंक के कार्यकलापों को जमाकर्ताओं के हित के लिए हानिकर रीति से चलाये जाने से रोकने के लिए या बैंक का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए ऐसी अपेक्षा की जाये तो बैंक की समिति या अन्य प्रबंध निकाय (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाये) को हटाये जाने का और उसके लिए कुल मिलाकर पांच वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि या कालावधियों के लिए, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जायें, प्रशासक की नियुक्ति का आदेश किया जायेगा और

इस प्रकार नियुक्त प्रशासक अपनी पदावधि की समाप्ति के पश्चात् नयी समिति की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक पदारूढ़ रहेगा;

(iv) भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी से या उसकी अध्यक्षता पर, खण्ड (i), (ii) या (iii) में यथानिर्दिष्ट किये गये किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन नहीं होगा या अनुज्ञेय नहीं होगा और ऐसा आदेश या मंजूरी किसी भी रीति से प्रश्नगत किये जाने की दायी नहीं होगी;

(v) समापक या बीमाकृत सहकारी बैंक या, यथास्थिति, अन्तरिती बैंक निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 47) के अधीन स्थापित निक्षेप बीमा निगम को उस अधिनियम की धारा 21 में निर्दिष्ट परिस्थितियों में, सीमा तक और रीति से निक्षेप का प्रतिसंदाय करने के लिए बाध्य होगा।

स्पष्टीकरण :-

(i) इस धारा के प्रयोजनार्थ "सहकारी बैंक" से ऐसा बैंक अभिप्रेत है जो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 47) में परिभाषित किया गया है।

(ii) "बीमाकृत सहकारी बैंक" से ऐसा सहकारी बैंक अभिप्रेत है जो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 47) के उपबंधों के अधीन कोई बीमाकृत बैंक है।

(iii) "अन्तरिती बैंक" से, किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के संबंध में, कोई ऐसा सहकारी बैंक अभिप्रेत है-

(क) जिसके साथ ऐसा बीमाकृत सहकारी बैंक समामेलित किया गया है; या

(ख) जिसे ऐसे बीमाकृत सहकारी बैंक की आस्तियाँ और दायित्व अंतरित किये गये हैं; या

(ग) जिसमें इस अधिनियम की धारा 12 या 13 के उपबंधों के अधीन ऐसे बीमाकृत सहकारी बैंक को विभाजित या पुनर्गठित किया गया है।

62. Insured Co-operative Bank.— Notwithstanding anything contained in this Act, in the case of an Insured Co-operative Bank-

(i) an order for the winding up, or an order sanctioning a scheme of compromise or arrangement or of amalgamation or reconstruction (in-

cluding division or re-organisation) of the Bank may be made only with the previous sanction in writing of the Reserve Bank of India;

- (ii) an order for the winding up of the Bank shall be made by the Registrar if so required by the Reserve Bank of India in the circumstances referred to in section 13D of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (Central Act 47 of 1961);
- (iii) if so required by the Reserve Bank of India in the public interest or for preventing the affairs of the Bank being conducted in a manner detrimental to the interests of the depositors or for securing the proper management of the Bank, an order shall be made for the removal of the committee or other managing body (by whatever name called) of the Bank and the appointment of an administrator therefor for such period or periods, not exceeding five years in the aggregate, as may from time to time be specified by the Reserve Bank of India, and the administrator so appointed shall, after the expiry of his term of office, continue in office until the day immediately preceding the date of the first meeting of the new committee;
- (iv) no appeal, revision or review shall lie or be permissible against an order such as is referred to in clauses (i), (ii) or (iii) made with the previous sanction in writing or on the requisition of the Reserve Bank of India and such order or sanction shall not be liable to be called in question in any manner;
- (v) the Liquidator or the Insured Co-operative Bank or transferee Bank, as the case may be, shall be under an obligation to repay the deposit to the Deposit Insurance Corporation established under the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (Central Act 47 of 1961) in the circumstances, to the extent and in the manner referred to in section 21 of that Act.

Explanation :-

- (i) For the purpose of this section "a Co-operative Bank" means a Bank as

has been defined in the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (Central Act 47 of 1961).

- (ii) "Insured Co-operative Bank" means a Co-operative Bank, which is an Insured Bank under the provisions of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (Central Act 47 of 1961).
- (iii) "Transferee Bank", in relation to an Insured Co-operative Bank, means a Co-operative Bank-
 - (a) with which such Insured Co-operative Bank is amalgamated; or
 - (b) to which the assets and liabilities of such Insured Co-operative Bank are transferred; or
 - (c) into which such Insured Co-operative Bank is divided or reorganised under the provisions of section 12 or 13 of this Act.

63. समापक— (1) जहाँ रजिस्ट्रार ने धारा 61 के अधीन किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन के लिए कोई आदेश किया हो वहाँ वह, तत्प्रयोजनार्थ, किसी राज्य कर्मचारी को, जो सहकारी निरीक्षक से नीचे की रैंक का न हो, समापक नियुक्त कर सकेगा और उसका पारिश्रमिक नियत कर सकेगा।

(2) समापक, नियुक्त हो जाने पर, ऐसी सारी सम्पत्ति, चीजबस्त और अनुयोज्य दावे, जिनकी सोसाइटी हकदार है या हकदार प्रतीत होती है, अपनी अभिरक्षा में या नियंत्रण में ले लेगा और ऐसी सम्पत्ति, चीजबस्त और दावों को हानि, क्षय या नुकसान से बचाने के लिए ऐसे कदम उठायेगा जो वह आवश्यक या समीचीन समझे।

(3) जहाँ धारा 104 के अधीन कोई अपील की जाये वहाँ धारा 61 के अधीन किया गया किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन का कोई आदेश तत्पश्चात् तब तक प्रवर्तित नहीं होगा जब तक कि अपील में आदेश की पुष्टि न कर दी जाये:

परन्तु समापक उप-धारा (2) में उल्लिखित सम्पत्ति, चीजबस्त और अनुयोज्य दावों को अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण में रखे रहेगा और उसे उस उप-धारा में निर्दिष्ट किये गये कदम उठाने का प्राधिकार होगा।

(4) जहाँ किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन का आदेश अपील में अपास्त कर दिया जाये वहाँ सोसाइटी की सम्पत्ति, चीजबस्त और अनुयोज्य दावे सोसाइटी में पुनः निहित हो जायेंगे।

63. Liquidator.— (1) Where the Registrar has made an order under section 61 for the winding up of a co-operative society, he may appoint a government servant, not below the rank of Inspector, co-operative to be a Liquidator for the purpose and fix his remuneration.

(2) A Liquidator shall, on appointment, take into his custody or under his control, all the property, effects and actionable claims to which the society is, or appears to be entitled and shall take such steps as he may deem necessary or expedient to prevent loss or deterioration of, or damage to, such property, effects and claims.

(3) Where an appeal is preferred under section 104, an order of winding up of a co-operative society made under section 61 shall not operate thereafter until the order is confirmed in appeal:

Provided that the Liquidator shall continue to have custody or control of the property, effects and actionable claims mentioned in sub-section (2) and have authority to take the steps referred to in that sub-section.

(4) Where an order of winding up of a co-operative society is set-aside in appeal, the property, effects and actionable claims of the society shall re-vest in the society.

64. समापक की शक्तियाँ— (1) इस निमित्त बनाये गये किन्हीं नियमों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी किसी सहकारी सोसाइटी की, जिसके संबंध में परिसमापन का आदेश कर दिया गया है, संपूर्ण आस्तियाँ ऐसी तारीख से, जिसको आदेश प्रभाव में आये, धारा 63 के अधीन नियुक्त समापक में निहित हो जायेंगी और समापक को ऐसी आस्तियों को विक्रय द्वारा या अन्यथा वसूल करने की शक्ति होगी।

(2) ऐसे समापक को रजिस्ट्रार के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित शक्तियाँ भी होंगी:—

(क) सहकारी सोसाइटी की ओर से अपने पदनाम से वाद तथा अन्य विधिक कार्यवाहियाँ संस्थित करना और उनका प्रतिवाद करना;

(ख) सदस्यों या भूतपूर्व सदस्यों द्वारा या मृत सदस्यों की संपदा में से या उनके नामनिर्देशितियों, वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों द्वारा या किन्हीं अधिकारियों या भूतपूर्व अधिकारियों द्वारा

सोसाइटी की आस्तियों के प्रति दिया जाने वाला या दिये जाने के लिए शेष रहा अभिदाय (जिसमें शोध ऋण सम्मिलित हैं) समय-समय पर अवधारित करना;

- (ग) सहकारी सोसाइटी के विरुद्ध समस्त दावों का अन्वेषण करना और, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, दावेदारों के मध्य उत्पन्न होने वाले पूर्विकता के प्रश्नों को नियमों के अनुसार विनिश्चित करना;
- (घ) सहकारी सोसाइटी के विरुद्ध दावों का, जिनमें परिसमापन की तारीख तक का ब्याज सम्मिलित है, उनकी अपनी-अपनी पूर्विकताओं, यदि कोई हों, के अनुसार पूर्णतः या अनुपाततः ऐसे संदाय करना जैसा कि सोसाइटी की आस्तियां अनुज्ञात करें; ऐसी अधिशेष राशि, यदि कोई हो, जो दावों का संदाय कर देने के पश्चात् बच रहे, परिसमापन के ऐसे आदेश की तारीख से ब्याज की ऐसी दर पर, जो उसके द्वारा नियत की जाये किन्तु जो किसी भी स्थिति में, संविदा की दर से अधिक न हो, संदाय करने में प्रयुक्त की जायेगी;
- (ङ) यह अवधारित करना कि समापन के खर्चे किन व्यक्तियों द्वारा और किस अनुपात में विहित किये जायेंगे;
- (च) यह अवधारित करना कि क्या कोई व्यक्ति सदस्य है, भूतपूर्व सदस्य है या किसी मृत सदस्य का नामनिर्देशित है;
- (छ) सोसाइटी की आस्तियों के संग्रहण और वितरण के संबंध में ऐसे निदेश देना जो उसे सोसाइटी के कार्यकलापों का परिसमापन करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो;
- (ज) सोसाइटी के कारबार को, जहां तक वह उसके लाभप्रद परिसमापन के लिए आवश्यक हो, चलाना;
- (झ) लेनदारों से या लेनदार होने का दावा करने वाले व्यक्तियों से या उन व्यक्तियों से, जिनका कोई वर्तमान या भावी दावा है या ऐसा दावा होने का अभिकथन करते हैं, जिससे कि सोसाइटी दायी बन सकती हो, कोई समझौता या ठहराव करना;
- (ञ) समस्त मांगों या मांगों और ऋणों संबंधी दायित्वों और ऐसे दायित्वों, जो परिणामतः ऋण हो सकते हैं, के संबंध में और उक्त सोसाइटी तथा किसी अभिदायी या अभिकथित अभिदायी या अन्य ऋणी या ऐसे व्यक्ति, जिसका उक्त सहकारी सोसाइटी का देनदार होना संभव हो, के बीच समस्त दावों का, चाहे वे वर्तमान हों या भावी, निश्चित हों या समाश्रित, अस्तित्वयुक्त हों या अस्तित्वयुक्त होना अनुमानित हो तथा उक्त सोसाइटी की आस्तियों या परिसमापन से संबंधित या उन पर प्रभाव डालने वाले समस्त प्रश्नों का ऐसे निबंधनों पर,

जो आपस में तय हो जायें, समझौता करना और उक्त किसी भी मांग, दायित्व, ऋण या दावे के उन्मोचन के लिए कोई प्रतिभूति स्वीकार करना और उनके संबंध में संपूर्ण उन्मोचन प्रदान करना;

- (ट) ऐसी अवधि या अवधियाँ नियत करना, जिनके भीतर-भीतर लेनदार अपने ऐसे ऋणों तथा दावों को सिद्ध करेंगे जो उक्त ऋण या दावे सिद्ध होने के पूर्व किये जाने वाले किसी वितरण के फायदे में शामिल किये जाने हों:

परन्तु कोई भी समापक किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य से या किसी मृत सदस्य के नामनिर्देशिती, वारिस या प्रतिनिधि से वसूलीय अभिदाय, ऋण या उनके द्वारा देय राशि तब तक अवधारित नहीं करेगा जब तक ऐसे सदस्य या भूतपूर्व सदस्य को या मृत सदस्य के नामनिर्देशिती, वारिस या प्रतिनिधि को सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया गया हो।

(3) जब किसी सहकारी सोसाइटी के कार्यकलाप परिसमापित हो गये हों तो समापक रजिस्ट्रार को उसकी रिपोर्ट देगा और सोसाइटी के अभिलेख ऐसे स्थान पर जमा करेगा जैसा रजिस्ट्रार द्वारा निर्दिष्ट किया जाये।

64. Powers of Liquidator.— (1) Subject to any rules made in this behalf, the whole of the assets of a co-operative society in respect of which an order for winding up has been made shall vest in the Liquidator appointed under section 63 from the date on which the order takes effect and the Liquidator shall have power to realise such assets by sale or otherwise.

(2) Such Liquidator shall also have power, subject to the control of the Registrar, -

- (a) to institute and defend suits and other legal proceedings on behalf of the co-operative society by the name of his office;
- (b) to determine from time to time the contribution (including debts due) to be made or remaining to be made by the members or past members or by the estates or nominees, heirs or legal representatives of deceased members or by any officers or former officers, to the assets of the society;
- (c) to investigate all claims against the co-operative society and subject to the provisions of this Act, to decide questions of priority arising between

claimants in accordance with the rules;

- (d) to pay claims against the co-operative society including interest upto the date of winding up according to their respective priorities, if any, in full or rateably, as the assets of the society may permit; the surplus, if any, remaining after payment of the claims being applied in payment of interest from the date of such order of winding up at a rate fixed by him but not exceeding the contract rate in any case;
- (e) to determine by what persons and in what proportions the costs of the liquidation are to be borne;
- (f) to determine whether any person is a member, past member or nominee of a deceased member;
- (g) to give such directions in regard to the collection and distribution of the assets of the society as may appear to him to be necessary for winding up the affairs of the society;
- (h) to carry on the business of the society so far as may be necessary for the beneficial winding up of the same;
- (i) to make any compromise or arrangement with creditors or persons claiming to be creditors or having or alleging to have any claim, present or future, whereby the society may be rendered liable;
- (j) to compromise all calls or liabilities to calls and debts and liabilities capable of resulting in debts, and all claims, present or future, certain or contingent, subsisting or supposed to subsist, between the society and a contributory or alleged contributory or other debtor or person apprehending liability to the co-operative society and all questions in any way relating to or affecting the assets or the winding up of the society on such terms as may be agreed and to take any security for the discharge of any such call, liability, debt or claim and give a complete discharge in respect thereof;

- (k) to fix the time or times within which creditors shall prove their debts and claims to be included for the benefit of any distribution made before those debts or claims are proved:

Provided that no Liquidator shall determine the contribution, debt or dues to be recovered from a member, past member, or a nominee, heir or representative of a deceased member unless opportunity has been given to such member, past member or nominee, heir or representative of the deceased member of being heard.

(3) When the affairs of a co-operative society have been wound up, the Liquidator shall make a report to the Registrar and deposit the records of the society in such place as the Registrar may direct.

65. परिसमापन की कार्यवाहियों का पर्यवसान— (1) किसी सोसाइटी के परिसमापन की कार्यवाहियां, जब तक कि रजिस्ट्रार द्वारा कालावधि बढ़ायी नहीं जाये, परिसमापन के आदेश की तारीख से तीन वर्ष के भीतर-भीतर पूरी की जायेंगी:

परन्तु रजिस्ट्रार ऐसी कालावधि की वृद्धि एक बार में एक वर्ष और कुल मिलाकर दो वर्ष से अधिक नहीं करेगा।

(2) यदि परिसमापन की कार्यवाहियां ऐसे समय के भीतर-भीतर जो उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा बढ़ाया जाये, पूरी नहीं होती हैं तो रजिस्ट्रार उस मामले को उसके कारणों सहित सरकार को निर्दिष्ट करेगा और तत्पश्चात् सरकार द्वारा प्रत्येक वैयक्तिक मामले में जारी किये गये निदेशों के अनुसार कार्य करेगा।

65. Termination of winding up proceedings.— (1) The winding up proceedings of a society shall be completed within three years from the date of the order of the winding up, unless the period is extended by the Registrar :

Provided that the Registrar shall not grant any extension for a period exceeding one year at a time and two years in the aggregate.

(2) If the winding up proceedings are not completed within such time, as may be extended by the Registrar under sub-section (1), the Registrar shall refer the matter to the Government with the reasons therefor and shall thereafter act as per the directions issued by the Government in each individual case.

66. अधिशेष आस्तियों का निपटारा— रद्द हुई सोसाइटी की समादत्त शेयर पूंजी सहित समस्त दायित्वों के पूर्ण होने के पश्चात् अधिशेष आस्तियाँ उसके सदस्यों में विभाजित नहीं की जायेंगी अपितु वे सोसाइटी की उपविधियों में उल्लिखित किसी उद्देश्य या उद्देश्यों के लिए और जब कोई भी उद्देश्य इस प्रकार उल्लिखित नहीं हो तो, सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा अवधारित और रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित लोकोपयोग के किसी उद्देश्य को अर्पित की जायेंगी या जहाँ साधारण निकाय द्वारा कोई ऐसे उद्देश्य अवधारित नहीं किये गये हों, वे रजिस्ट्रार द्वारा निम्नलिखित में से किसी को या सभी को पूर्णतः या भागतः समनुदेशित की जा सकेंगी, अर्थात्:-

- (क) लोकोपयोग का कोई उद्देश्य;
- (ख) पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का केन्द्रीय अधिनियम 6) की धारा 2 में यथापरिभाषित कोई पूर्त प्रयोजन;
- (ग) राज्य में सहकारी आन्दोलन के विकास के लिए और सहकारी सोसाइटियों को बेहतर सेवाएं मुहैया करने के लिए अवसंरचना के शासकीय विकास के लिए;

या वित्तीय बैंक के निक्षेप में, ऐसे ही उद्देश्यों वाली किसी नयी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत हो जाने के समय तक, रखी जा सकेंगी और तब रजिस्ट्रार की सहमति से ऐसा अधिशेष ऐसी नयी सोसाइटी की आरक्षित निधि में जमा किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण :— इस धारा के प्रयोजनार्थ 'रजिस्ट्रार' के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी नहीं आयेंगे, जिन्हें इस अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं।

66. Disposal of surplus assets.— After all the liabilities including the paid up share capital of the cancelled society have been met, the surplus assets shall not be divided amongst its members but they shall be devoted to any object or objects described in the bye-laws of the society and when no object is so described, to any object of public utility determined by the general body of the society and approved by the Registrar or where the general body has determined no such objectives, they shall be assigned by the Registrar in whole or in part to any or all of the following, namely:-

- (a) an object of public utility;
- (b) a charitable purpose, as defined in section 2 of the Charitable Endowments Act, 1890 (Central Act 6 of 1890);

- (c) for development of co-operative movement in the State and for official development of infrastructure to render better services to the co-operative societies;

or may be placed in deposit with the financing bank until such time as a new society with similar objectives is registered when, with the consent of the Registrar, such surplus may be credited to the reserve fund of such new society.

Explanation :— For the purpose of this section “Registrar” shall not include officers whom powers of the Registrar have been conferred under sub-section (2) of section 4.

□ □

भूमि विकास बैंक

Chapter-XII

Land Development Banks

67. अध्याय का भूमि विकास बैंकों पर लागू होना— यह अध्याय निम्नलिखित पर लागू होगा:-

- (क) इसमें प्रगणित प्रयोजनों के लिए अल्पकालिक और मध्यम अवधि उधार से भिन्न उधार देने वाले सहकारी बैंक (जिसे इसमें आगे 'भूमि विकास बैंक' कहा गया है) अर्थात्:-
- (i) भूमि सुधार और उत्पादक प्रयोजन;
 - (ii) कृषि प्रयोजनों के लिए मकानों का परिनिर्माण, पुनर्निर्माण या उनकी मरम्मत;
 - (iii) राजस्थान अभिवृद्धि अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3), राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) या राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 24) तथा तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन अभिधारियों या कृषकों द्वारा आवंटन के रूप में या अन्यथा कृषि भूमियों का क्रय या अर्जन;
 - (iv) राजस्थान कृषि ऋणिता अवमुक्ति अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 28) या राज्य के किसी भी भाग में तत्समय प्रवृत्त किसी तत्समान विधि के अधीन ऋणों का समापन;
 - (v) पशुपालन के विकास के लिए;
- (ख) भूमि विकास बैंक के रूप में कार्य करने के लिए रजिस्ट्रार द्वारा अनुज्ञात कोई अन्य सहकारी बैंक।

स्पष्टीकरण :— इस धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति—

- (i) 'अल्पकालिक उधार' से ऐसा उधार अभिप्रेत है जो अठारह मास से कम अवधि के लिए हो;
- (ii) 'मध्यम अवधि उधार' से ऐसा उधार अभिप्रेत है जो अठारह मास से पाँच वर्ष तक की कालावधि के लिए मंजूर किया जाता है; और
- (iii) 'भूमि सुधार और उत्पादक प्रयोजन' से ऐसा कार्य, सन्निर्माण या क्रियाकलाप अभिप्रेत है जो भूमि की उत्पादकता में बढ़ोतरी करता है और विशिष्टतया इसके अन्तर्गत निम्नलिखित है, अर्थात्:-

(क) कुओं (जिनमें नलकूप सम्मिलित हैं), तालाबों और ऐसे अन्य संकर्मों का सन्निर्माण और मरम्मत, जो कृषि प्रयोजन के लिए या मनुष्यों और कृषि में नियोजित पशुओं के उपयोग के लिए जल के भण्डारकरण, प्रदाय या वितरण के लिए हों;

(ख) पूर्वगामी संकर्मों में से किसी का नवीकरण या पुनर्निर्माण या उनमें परिवर्तन या परिवर्धन;

(ग) भूमि को सिंचाई के लिए तैयार करना;

(घ) जल निकास, कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि या कृषि योग्य बंजर भूमि का नदियों ~~और~~ अन्य जलाशयों से उद्धार या बाढ़ से या जल से होने वाले क्षय या अन्य हानियों से संरक्षण;

(ङ) मेड़बंदी और इसी प्रकार के अन्य सुधार;

(च) कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि का उद्धार, उसकी सफाई तथा बाड़ाबंदी या उसमें स्थायी सुधार;

(छ) उद्यान-कृषि;

(ज) इसमें वर्णित किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए तेल-इंजन, पंपिंग सैट और विद्युत मोटरों का क्रय;

(झ) ट्रैक्टर या कृषि सम्बन्धी अन्य मशीनों का क्रय;

(ञ) भूमि में विशेष प्रकार की मृदा मिलाकर उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना;

(ट) स्थायी फार्म हाउसों, पशुशालाओं और किसी भी प्रक्रम पर कृषि उपज का प्रसंस्करण

करने के लिए शैडों का सन्निर्माण;

(ठ) गन्ना पेरने की, गुड़ या खांडसारी या चीनी बनाने की मशीनों का क्रय;

(ड) राजस्थान जोत (समेकन और खंडकरण निवारण) अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 24) के अधीन जोतों के समेकन के लिए भूमि का क्रय; और

(ढ) ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अध्याय के प्रयोजन के लिए सुधार या उत्पादक प्रयोजन घोषित करे।

67. Application of chapter to Land Development Banks.— This Chapter shall apply to—

(a) co-operative banks advancing loans other than short term and medium term loans, for the purposes herein enumerated, (hereinafter referred to as “Land Development Banks”) that is to say –

(i) land improvement and productive purposes;

(ii) the erection, rebuilding or repairing of houses for agricultural purposes;

(iii) the purchase or acquisition of agricultural lands by tenants or agriculturists by way of allotment or otherwise under the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955), the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) or the Rajasthan Colonisation Act, 1954 (Act No. 24 of 1954) and rules made thereunder;

(iv) the liquidation of debts under the Rajasthan Relief of Agricultural Indebtedness Act, 1957 (Act No. 28 of 1957) or any corresponding law for the time being in force in any part of the State;

(v) for the development of animal husbandry;

(b) any other co-operative bank permitted by the Registrar to function as a Land Development Bank.

Explanation :— For the purposes of this section, the expressions—

- (i) "Short term loan" means a loan for the duration of less than eighteen months;
- (ii) "medium term loan" means a loan granted for a period ranging from eighteen months to five years; and
- (iii) "land improvement and productive purposes" means any work, construction or activity which adds to the productivity of the land and, in particular, includes the following, that is to say:-
 - (a) construction and repairs of wells (including tubewells), tanks and other works for the storage, supply or distribution of water for the purpose of agriculture, or for the use of men and cattle employed in agriculture;
 - (b) renewal or reconstruction of any of the foregoing works, or alterations therein, or additions thereto;
 - (c) preparation of land for irrigation;
 - (d) drainage, reclamation from rivers or other waters, or protection from floods or from erosion or other damage by water, of land used for agricultural purposes of waste land which is culturable;
 - (e) bunding and similar improvements;
 - (f) reclamation, clearance and enclosure or permanent improvement of land for agricultural purposes;
 - (g) horticulture;
 - (h) purchase of oil engines, pumping sets and electrical motors for any of the purposes mentioned herein;
 - (i) purchase of tractors or other agricultural machinery;
 - (j) increase of the productive capacity of land by addition to it of special variety of soil;
 - (k) construction of permanent farm-houses, cattle-sheds, and sheds for

processing of agricultural produce at any stage;

- (l) purchase of machinery for crushing sugarcane, manufacturing Gur or Khandsari or Sugar;
- (m) purchase of land for consolidation of holdings under the Rajasthan Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1954 (Act No. 24 of 1954); and
- (n) such other purposes as the State Government may from time to time, by notification in the Official Gazette, declare to be improvement or productive purposes for the purpose of this Chapter.

68. राज्य और अन्य भूमि विकास बैंक— (1) राजस्थान राज्य के लिए एक राज्य भूमि विकास बैंक होगा तथा इतने भूमि विकास बैंक होंगे जितने आवश्यक समझे जायें।

(2) राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि या लिखत में किसी भूमि बंधक बैंक के प्रति निर्देश का अर्थ इस अधिनियम के प्रारम्भ से, इस अध्याय के अर्थान्तर्गत भूमि विकास बैंक के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायेगा।

68. State and other Land Development Banks.— (1) There shall be a State Land Development Bank for the State of Rajasthan and as many Land Development Banks as may be deemed necessary.

(2) A reference to Land Mortgage Bank in any law, or instrument, for the time being in force in the State, shall, with effect from the commencement of this Act, be construed as a reference to a Land Development Bank within the meaning of this Chapter.

69. न्यासी की नियुक्ति, शक्तियां और कृत्य— (1) राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा जारी किये गये डिबेंचरों के धारकों के प्रति उक्त बैंक के दायित्वों की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु रजिस्ट्रार, या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, न्यासी होगा।

(2) न्यासी उन डिबेंचरों के लिए, जिनके सम्बन्ध में उसकी नियुक्ति हुई है, न्यासी के नाम से एक एकल निगम होगा और जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी और वह अपने निगम नाम से वाद चला सकेगा और उस नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा।

(3) न्यासी की शक्तियां और उसके कृत्य इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा तथा राज्य भूमि विकास

बैंक और न्यासी के बीच निष्पादित न्यास-लिखत, जैसी वह समय-समय पर उनके बीच आपसी करार से उपान्तरित की जाये, द्वारा विनियमित होंगे।

69. Appointment, powers and functions of trustee.— (1) The Registrar, or any other person appointed by the State Government in this behalf, shall be Trustee for the purpose of securing the fulfilment of the obligations of the State Land Development Bank to the holders of debentures issued by it.

(2) The Trustee shall be a corporation sole by the name of the Trustee for debentures in respect of which he is appointed, and shall have perpetual succession and a common seal, and in his corporate name may sue and be sued.

(3) The powers and functions of the Trustee shall be governed by the provisions of this Act and the instrument of trust executed between the State Land Development Bank and the Trustee as modified from time to time by mutual agreement between them.

70. डिबेंचरों का जारी किया जाना— (1) राज्य सरकार और न्यासी की पूर्व मंजूरी से तथा ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार अधिरोपित करे, भूमि विकास बैंक के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहण करते हुए राज्य भूमि विकास बैंक ऐसे अभिदानों के डिबेंचर तीस वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए तथा ऐसी ब्याज दर पर, जो वह समीचीन समझे, बंधकों या अर्जित किये जाने वाले बंधकों की या आंशिक रूप से धारित बंधकों की और आंशिक रूप से अर्जित किये जाने वाले बंधकों की और भूमि विकास बैंक की सम्पत्तियों तथा अन्य आस्तियों की प्रतिभूति पर जारी कर सकेगा।

(2) प्रत्येक डिबेंचर में, ऐसी कालावधि, जो उसके जारी किये जाने की तारीख से तीस वर्ष से अधिक की नहीं होगी और जिसके दौरान उसका मोचन किया जा सकेगा, नियत करते हुए एक निबन्धन रखा जायेगा।

(3) राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा जारी किये गये डिबेंचरों पर देय, और किसी भी समय पर बकाया रही कुल रकम—

(क) यदि डिबेंचर, धारित बन्धकों के प्रति जारी किये गये हैं तो—

(i) बन्धकों पर देय रकमों के,

(ii) भूमि विकास बैंकों द्वारा, राज्य भूमि विकास बैंक को धारा 77 के अधीन अन्तरित

या अन्तरित समझी गयी और तत्समय विद्यमान सम्पत्तियों और अन्य आस्तियों के मूल्य के, और

- (iii) उपर्युक्त बन्धकों के अधीन संदत्त रकमों के और उस समय पर राज्य भूमि विकास बैंक या न्यासी के पास अवशिष्ट अप्रतिभूत रकमों के -

योग से अधिक नहीं होगी;

- (ख) जहां धारित बन्धकों से भिन्न आधार पर डिबेंचर जारी किये गये हैं, वहां डिबेंचरों पर अभिप्राप्त रकम के उस भाग को, जो किसी बन्धक के अन्तर्गत नहीं है, खण्ड (क) के अधीन संगणित कुल रकम में जोड़ कर प्राप्त की हुई कुल रकम से अधिक नहीं होगी।

70. Issue of debentures.— (1) With the previous sanction of the State Government and the Trustee and subject to such terms and conditions as the State Government may impose, the State Land Development Bank in the discharge of its function as a Land Development Bank may issue debentures of such denominations, for such period not exceeding thirty years, and at such rates of interest, as it may deem expedient, on the security of mortgages, or mortgages to be acquired or partly on mortgages held and partly to be acquired and properties and other assets of the Land Development Banks.

(2) Every debenture may contain a term fixing a period not exceeding thirty years from the date of issue during which it shall be re-deemable.

(3) The total amount due on debentures issued by the State Land Development Bank, and outstanding at any time, shall not exceed-

(a) where debentures are issued against mortgages held, the aggregate of-

- (i) the amounts due on the mortgages;
- (ii) the value of the properties and other assets transferred or deemed to have been transferred under section 77 by the Land Development Banks to the State Land Development Bank and subsisting at such time, and
- (iii) the amounts paid under the mortgages aforesaid and the unsecured amounts remaining in the hands of the State Land Development

Bank or the Trustee at the time;

- (b) where debentures are issued otherwise than on mortgages held, the total amount as calculated under clause (a) increased by such portion of the amount obtained on the debentures as is not covered by a mortgage.

71. राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति— पूर्ववर्ती धारा के अधीन जारी किये गये डिबेंचरों के मूल धन और उन पर ब्याज के लिए या उनके किसी विनिर्दिष्ट भाग के लिए राज्य सरकार ऐसी अधिकतम रकम तक, जिसे राज्य सरकार नियत करे और ऐसी शर्तों के अध्वधीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार अधिरोपित करना उचित समझे, प्रत्याभूति दे सकेगी।

71. Guarantee by State Government.— The principal of, and interest on, the debentures issued under the preceding section, or any specified portion thereof, may carry the guarantee of the State Government, subject to such maximum amount as may be fixed by the State Government, and to such conditions as the State Government may think fit to impose.

72. सम्पत्ति का न्यासी में निहित होना और आस्तियों पर डिबेंचर धारकों का भार— धारा 70 के उपबंधों के अधीन डिबेंचर जारी किये जाने पर, उक्त धारा की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट बंधकित सम्पत्तियां और अन्य आस्तियां, जो राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा धारित हों, न्यासी में निहित होंगी, और डिबेंचर धारकों का ऐसी समस्त बंधकों और आस्तियों पर तथा उक्त बंधकों के अधीन संदत्त रकम पर और राज्य भूमि विकास बैंक या न्यासी के पास रहने वाली रकम पर प्लवमान भार रहेगा।

72. Vesting of property in Trustee and debenture holder's charge on assets.— Upon the issue of debentures under the provisions of Section 70, the mortgaged properties and other assets referred to in sub-section (3) of that section held by the State Land Development Bank, shall vest in the Trustee, and the holders of debentures shall have a floating charge on all such mortgages and assets, and on the amount paid under such mortgages, and remaining in the hands of the State Land Development Bank or of the Trustee.

73. भूमि विकास बैंकों की उधार देने और भूमि धारण करने की शक्ति— इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए, कोई भूमि विकास बैंक, धारा 67 में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उधार देने के लिए और ऐसी भूमियों को, जिनका कब्जा उसे उस अध्याय के उपबंधों के अधीन अंतरित किया जाये, धारण करने के लिए सक्षम होगा।

73. Powers of Land Development Banks to advance loans and to hold lands.— Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, it shall be competent for a Land Development Bank to advance loans for the purposes referred to in Section 67 and to hold lands the possession of which is transferred to it under the provisions of this Chapter.

74. उधार देने के आवेदनों पर व्यवहार करने की रीति— (1) जब धारा 67 में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए उधार हेतु आवेदन किया जाये तो उस आवेदन के विषय में एक सार्वजनिक नोटिस सभी हितबद्ध व्यक्तियों से, नोटिस में नियत समय और स्थान पर उधार के संबंध में अपने आक्षेप, यदि कोई हों, व्यक्तिशः प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए विहित रीति से दिया जायेगा। सरकार, समय-समय पर, ऐसे व्यक्ति, जिनके द्वारा सार्वजनिक नोटिस दिया जायेगा, और ऐसी रीति जिसके अनुसार आक्षेपों की सुनवाई और उनका निपटारा किया जायेगा, विहित कर सकेगी।


(2) विहित अधिकारी उप-धारा (1) के अधीन प्रस्तुत किये गये प्रत्येक आक्षेप पर विचार करेगा और या तो उसे स्वीकार या अस्वीकार करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा :

परन्तु जब किसी आक्षेप द्वारा उठाया गया प्रश्न अधिकारी की राय में इस प्रकार का है कि उसे किसी सिविल न्यायालय को छोड़कर किसी अन्य द्वारा संतोषप्रद रूप से विनिश्चित नहीं किया जा सकता तो वह उस आवेदन पर कार्रवाई उस समय तक के लिए स्थगित कर देगा जब तक कि वह प्रश्न इस प्रकार विनिश्चित न कर दिया जाये।

(3) उप-धारा (1) के अधीन कोई नोटिस इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ऐसे समस्त व्यक्तियों को समुचित नोटिस समझा जायेगा जो उस भूमि में, जिसमें सुधार किया जाना या जिसे उधार के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत किया जाना है, हित रखते हैं या उसका दावा करते हैं।

(4) भूमि विकास बैंक ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो विहित किये जायें, इस अध्याय के अधीन उधार देने के प्रयोजनार्थ उचित जांच करने के पश्चात् ऐसे आवेदन पर विचार करेंगे।

74. Mode of dealing with applications for loans.— (1) When an application for a loan is made for any of the purposes mentioned in Section 67, a public notice shall be given of the application in such manner as may be prescribed, calling upon all persons interested to present their objections to the loan, if any, in person, at a time and place fixed therein. The Government may, from time to time, prescribe the persons by whom such public notice shall be given and the manner in which the objections shall be heard and disposed of.



1101 (2) The prescribed officer shall consider every objection submitted under sub-section (1) and make an order in writing either upholding or over-ruling it :

Provided that when the question raised by an objection is, in the opinion of the officer, one of such a nature that it cannot be satisfactorily decided except by a civil court, he shall postpone the proceedings on the application until the question has been so decided.

(3) A notice under sub-section (1) shall, for the purpose of this Act, be deemed to be proper notice to all persons having or claiming interest in the land to be improved, or offered as security for the loan.

(4) Subject to such rules as may be prescribed, the Land Development Banks shall consider such application after due enquiry for the purpose of making loans under this Chapter.

75. उधार देने के आदेश का कतिपय मामलों का निश्चायक होना— भूमि विकास बैंक द्वारा या उस व्यक्ति या समिति द्वारा, जिसे धारा 67 में विनिर्दिष्ट समस्त या किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए उधार देने के लिए बैंक की उपविधियों के अधीन प्राधिकृत किया गया है, किया गया वह लिखित आदेश, जिसके द्वारा, उसमें वर्णित व्यक्ति को या उसकी सहमति से, उसमें विनिर्दिष्ट कार्य के क्रियान्वयन के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् उधार स्वीकृत किया गया है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित मामलों का निश्चायक होगा, अर्थात्—

- (क) कि वर्णित कार्य या वह प्रयोजन, जिसके लिए उधार दिया गया है, धारा 67 के अर्थान्तर्गत, सुधार या, यथास्थिति, उत्पादक प्रयोजन है;
- (ख) कि उस व्यक्ति को, आदेश की तारीख को ऐसा सुधार करने या, यथास्थिति, उत्पादक प्रयोजन के लिए व्यय करने का अधिकार था; और
- (ग) कि सुधार विनिर्दिष्ट भूमि के फायदे के लिए है और उत्पादक प्रयोजन उस भूमि से, जो प्रतिभूति के रूप में प्रतिस्थापित की गयी है, या उसके किसी भाग से, जो भी सुसंगत हो, सम्बन्धित है।

75. Order granting loan conclusive of certain matters.— A written order by the Land Development Bank, or any person or committee authorised under the bye-laws of the Bank to make loans for all or any of the purposes specified in Section 67,

granting, either before or after the commencement of this Act, a loan to or with the consent of a person mentioned therein for the purpose of carrying out the work specified therein, shall, for the purposes of this Act, be conclusive of the following matters, that is to say :-

- (a) that the work described or the purpose for which the loan is granted is an improvement or productive purpose, as the case may be, within the meaning of Section 67;
- (b) that the person had, on the date of the order, a right to make such an improvement, or incur expenditure for productive purpose, as the case may be; and
- (c) that the improvement is one benefiting the land specified and productive purpose concerns the land offered in security, or any part thereof as may be relevant.

76. बन्धक की पूर्विकता— (1) भूमि विकास बैंक के पक्ष में निष्पादित बन्धक, बन्धक के निष्पादन के पश्चात् राजस्थान कृषि उधार अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 1) के अधीन दिये गये उधार के कारण उत्पन्न सरकार के दावे की तुलना में पूर्विकता रखेगा।

(2) राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3) में या तत्समय प्रवृत्त तत्समान किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि भूमि विकास बैंक के पक्ष में किया गया बन्धक ऐसी भूमि के सम्बन्ध में है, जिसमें कोई अभिधारी हित रखता है तो ऐसे हित की प्रतिभूति पर बंधक हो सकेगा और बंधकदार के अधिकारों पर ऐसी विधि की अपेक्षाओं की पूर्ति करने में अभिधारी के असफल रहने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसी विधि के अधीन उस भूमि का और उसमें उसके हित का विक्रय भूमि विकास बैंक के पूर्वभार के अधीन रहते हुए होगा।

76. Priority of mortgage.— (1) A mortgage executed in favour of a Land Development Bank shall have priority over any claim of the Government arising from a loan granted after the execution of the mortgage under the Rajasthan Agricultural Loans Act, 1957 (Act No. 1 of 1957).

(2) Notwithstanding anything contained in the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955) or any other corresponding law for the time being in force, where a mortgage in favour of a Land Development Bank is in respect of land in which a

tenant has an interest, the mortgage may be against the security of such interest, and the rights of the mortgagee shall not be affected by the failure of the tenant to comply with the requirements of such law, and the sale of the land and his interest therein under such law shall be subject to the prior charge of the Land Development Bank.

77. भूमि विकास बैंकों के पक्ष में निष्पादित बंधकों का राज्य भूमि विकास बैंक में निहित होना— किसी भूमि विकास बैंक के पक्ष में उसके सदस्यों द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात्, निष्पादित बन्धक और अंतरित समस्त अन्य आस्तियां, ऐसे निष्पादन और अंतरण की तारीख से ऐसे भूमि विकास बैंक द्वारा राज्य भूमि विकास बैंक को अंतरित की हुई समझी जायेंगी और राज्य भूमि विकास बैंक में निहित होंगी।

77. Mortgages executed in favour of Land Development Banks to stand vested in State Land Development Bank.— The mortgages executed in favour of, and all other assets transferred to, a Land Development Bank, by the members thereof, before or after the commencement of this Act, shall with effect from the date of such execution or transfer, be deemed to have been transferred by such Land Development Bank to the State Land Development Bank and shall vest in the State Land Development Bank.

78. भूमि विकास बैंकों के पक्ष में किये गये बन्धकों और पट्टों का रजिस्ट्रीकरण— रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) में किसी बात के होते हुए भी, भूमि विकास बैंकों के पक्ष में निष्पादित बन्धकों या पट्टों का रजिस्ट्रीकरण आवश्यक नहीं होगा, किन्तु शर्त यह है कि सम्बन्धित भूमि विकास बैंक, ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, उस लिखत की, जिसके द्वारा स्थावर संपत्ति उधार के प्रतिसंदाय को सुनिश्चित करने के लिए बंधक रखी गयी है या पट्टे पर दी गयी है, प्रति उस रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेज दे, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर बंधक रखी गयी या पट्टे पर दी गयी संपूर्ण संपत्ति या उसका कोई भाग स्थित है और ऐसा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 51 के अधीन विहित अपनी पुस्तक सं. 1 में, उस प्रति या, यथास्थिति, उन प्रतियों को फाइल करेगा।

78. Registration of mortgages and leases in favour of Land Development Banks.— Notwithstanding anything contained in the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908), it shall not be necessary to register mortgages or leases executed in favour of the Land Development Banks, provided that the Land Development Banks

concerned send within such time and in such manner as may be prescribed, a copy of the instrument whereby immovable property is mortgaged or let out for the purpose of securing repayment of the loan to the Registering Officer within the local limits of whose jurisdiction the whole or any part of the property mortgaged or let out is situate, and such Registering Officer shall file a copy or copies, as the case may be, in his Book No. 1 prescribed under Section 51 of the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908).

79. बन्धककर्ताओं के दिवालिया हो जाने पर बन्धकों को प्रश्नगत न किया जाना— दिवालियापन सम्बन्धी और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भूमि विकास बैंक के पक्ष में निष्पादित बन्धक को इस आधार पर कि उसका निष्पादन सद्भाव से मूल्यवान् प्रतिफल के बदले में नहीं किया गया था, या इस आधार पर कि उसका निष्पादन बन्धककर्ता के अन्य लेनदारों पर बैंक को अधिमान देने के क्रम में किया था, दिवालियापन संबंधी किसी कार्रवाई में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

79. Mortgages not to be questioned on insolvency of mortgagers.— Notwithstanding anything contained in any law relating to insolvency and for the time being in force, a mortgage executed in favour of a Land Development Bank shall not be called in question in any insolvency proceedings on the ground that it was not executed in good faith for valuable consideration, or on the ground that it was executed in order to give the Bank a preference over other creditors of the mortgager.

80. भूमि विकास बैंकों का बंधककर्ता के पूर्व ऋणों के संदाय का अधिकार— (1) जब बंधककर्ता के पूर्व ऋणों के संदाय के लिए भूमि विकास बैंक के पक्ष में किसी बंधक का निष्पादन किया जाये तो ऐसा बैंक, संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम 4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, लिखित नोटिस द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसको ऐसा कोई ऋण देय है, यह अपेक्षा करेगा कि वह उस ऋण का या उसके किसी भाग का संदाय ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये, बैंक के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय से प्राप्त कर ले।

(2) जब ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा नोटिस स्वीकार करने में या ऐसा संदाय प्राप्त करने में चूक करता है तो उस ऋण या, यथास्थिति, उसके किसी भाग पर नोटिस में विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति के पश्चात् ब्याज लगना बंद हो जायेगा :

परन्तु जब ऐसे किसी ऋण की रकम के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो वह व्यक्ति, जिसको ऐसा ऋण देय है, ऋण के लेखे भूमि विकास बैंक द्वारा दी जाने वाली रकम का संदाय प्राप्त करने के लिए

आबद्ध होगा किन्तु ऐसी प्राप्ति से उस व्यक्ति के अतिशेष वसूल करने के अधिकार पर, यदि कोई हो, कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

80. Right of Land Development Banks to pay prior debts of mortgager.—

(1) Where a mortgage is executed in favour of a Land Development Bank for payments of prior debts of the mortgager, such bank shall, notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882 (Central Act 4 of 1882), by notice in writing, require any person to whom any such debt is due, to receive payment of such debt or part thereof from the bank at its registered office, within such period as may be specified in the notice.

(2) Where any such person fails to accept such notice, or to receive such payments, such debts or part thereof, as the case may be, shall cease to carry interest from the expiry of the period specified in the notice :

Provided that where there is a dispute as regards the amount of any such debt, the person to whom such debt is due shall be bound to receive payment of the amount offered by the Land Development Bank towards the debt, but such receipt shall not prejudice the right, if any, of such person to recover the balance claimed by him.

81. संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के कर्त्ताओं द्वारा निष्पादित बन्धक— (1) कृषि भूमि में या कृषि के तरीकों में सुधार करने के लिए, या भूमि की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के अन्य किन्हीं साधनों के लिए वित्त व्यवस्था करने के लिए या भूमि क्रय करने के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात्, भूमि विकास बैंक या राज्य भूमि विकास बैंक से लिये गये उधारों के सम्बन्ध में संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के कर्त्ता द्वारा निष्पादित बन्धक संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के समस्त सदस्यों पर किसी भी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, बाध्यकारी होंगे।

(2) अन्य मामलों में जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् भूमि विकास बैंक या राज्य भूमि विकास बैंक के पक्ष में निष्पादित बन्धक इस आधार पर प्रश्नगत किया जाता है कि संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के कर्त्ता ने बन्धक का निष्पादन ऐसे प्रयोजन के लिए किया था जो उस कुटुम्ब के सदस्यों (चाहे ऐसे सदस्य वयस्क हो गये हों या नहीं) पर बाध्यकारी नहीं है तो, उसे सिद्ध करने का भार, किसी भी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उसका अभिकथन करने वाले पक्ष पर होगा।

81. Mortgages executed by managers of Hindu joint families.— (1) Mortgages in respect of loans by a Land Development Bank or the State Land Develop-

ment Bank either before or after the commencement of this Act, executed by the manager of a Hindu joint family for the improvement of agricultural land or of the methods of cultivation, or for financing any other means to raise the productivity of the land, or for the purchase of land, shall be binding on every member of such joint Hindu family, notwithstanding any law to the contrary.

(2) In other cases, where a mortgage executed in favour of a Land Development Bank or State Land Development Bank either before or after the commencement of this Act, is called in question on the ground that it was executed by the manager of a Hindu joint family for a purpose not binding on the members (whether such members have attained majority or not) thereof, the burden of proving the same shall, notwithstanding any law to the contrary, lie on the party alleging it.

82. 1956 के केन्द्रीय अधिनियम 32 की धारा 8 का बंधकों पर लागू होना— हिन्दू अप्राप्तव्यता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 8 इस उपान्तरण के अध्वधीन रहते हुए कि उसमें न्यायालय के प्रति निर्देश का अर्थ कलक्टर या उसके नामनिर्देशिती के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायेगा, भूमि विकास बैंक के पक्ष में किये गये बंधकों पर लागू होगी तथा कलक्टर या उसके नामनिर्देशिती के आदेश के विरुद्ध अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को होगी।

82. Section 8 of the Central Act 32 of 1956 to apply to mortgages.— Section 8 of the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 shall apply to mortgages in favour of a Land Development Bank, subject to the modification that reference to the court therein shall be construed as reference to the Collector or his nominee, and the appeal against the order of the Collector or his nominee shall lie to the Revenue Appellate Authority.

83. पट्टों पर निर्बन्धन— सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम 4) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भूमि विकास बैंक को बन्धक रखी गयी सम्पत्ति का कोई भी बन्धककर्ता बैंक को लिखित में पूर्व सूचना दिये बिना ऐसी किसी सम्पत्ति को न तो पट्टे पर देगा और न ही उस पर कोई अभिधृति अधिकार सृजित करेगा:

परन्तु भूमि विकास बैंक के अधिकार अभिधारी या, यथास्थिति, पट्टेदार के विरुद्ध उसी प्रकार प्रवर्तनीय होंगे मानो वह स्वयं बन्धककर्ता हो।

83. Restrictions on leases.— Notwithstanding anything contained in the

Transfer of Property Act, 1882 (Central Act 4 of 1882), or any other law for the time being in force, no mortgager of property mortgaged to a Land Development Bank, shall, except with the prior information in writing to the Bank, lease or create any tenancy rights on any such property :

Provided that the rights of the Land Development Bank shall be enforceable against the tenant or the lessee, as the case may be, as if he himself were a mortgager.

84. भूमि विकास बैंक द्वारा धन प्राप्त किया जाना और उन्मुक्ति दिया जाना— धारा 77 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बंधक के अधीन देय समस्त धन जब तक उस राज्य भूमि विकास बैंक या न्यासी द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाये और बंधककर्ता को संसूचित न कर दिया जाये, बंधककर्ता द्वारा भूमि विकास बैंक को संदेय होगा, और ऐसे संदाव उसी प्रकार विधिमान्य होंगे मानो ऐसा बंधक इस प्रकार अंतरित नहीं किया गया है और राज्य भूमि विकास बैंक या न्यासी द्वारा जारी किये गये और भूमि विकास बैंक को संसूचित तत्प्रतिकूल विनिर्दिष्ट निदेश के अभाव में, भूमि विकास बैंक बंधक के संबंध में वाद चलाने या बंधक के अधीन देय धन की वसूली के लिए कोई अन्य कार्रवाई करने का हकदार होगा।

84. Land Development Bank to receive money and give discharge.— Notwithstanding anything contained in Section 77, all moneys due under the mortgage, shall, unless otherwise directed by the State Land Development Bank or the Trustee, and communicated to the mortgager, be payable by the mortgager to the Land Development Bank, and such payments shall be as valid as if the mortgage had not been so transferred and the Land Development Bank shall, in the absence of specific direction to the contrary issued by the State Land Development Bank or Trustee, and communicated to the Land Development Bank, be entitled to sue on the mortgage or take any other proceeding for the recovery of the moneys due under the mortgage.

85. बंधकित सम्पत्ति के नष्ट हो जाने या प्रतिभूति के अपर्याप्त हो जाने की दशा में भूमि विकास बैंक की शक्तियाँ— जहां भूमि विकास बैंक को बंधकित कोई सम्पत्ति पूर्णतः या अंशतः नष्ट हो जाती है, या प्रतिभूति किसी भी कारण से अपर्याप्त हो जाती है और सम्पूर्ण प्रतिभूति को पर्याप्त बनाने के लिए यथेष्ट और प्रतिभूति की व्यवस्था करने का या उधार के ऐसे भाग का, जो बैंक द्वारा अवधारित किया जाये, प्रतिसंदाय करने का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने पर भी, यदि बंधककर्ता ऐसी प्रतिभूति की व्यवस्था करने या उधार के ऐसे भाग का प्रतिसंदाय करने में असफल रहे तो शेष उधार तुरन्त देय हुआ

समझा जायेगा और बैंक उसकी वसूली के लिए बंधककर्ता के विरुद्ध धारा 88 या 89 के अधीन कार्रवाई करने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण :— प्रतिभूति इस धारा के अर्थान्तर्गत तब अपर्याप्त समझी जायेगी जब बंधकित सम्पत्ति (जिसमें उस पर किये हुए सुधार कार्य सम्मिलित हैं) का मूल्य, बंधक पर तत्समय देय रकम से, ऐसे अनुपात में, जो भूमि विकास बैंक के नियमों, विनियमों या उपविधियों में विहित किया जाये, अधिक न हो।

85. Power of Land Development Banks where mortgaged property is destroyed or security becomes insufficient.— Where any property mortgaged to a Land Development Bank is wholly or partially destroyed, or for any reason the security is rendered insufficient and the mortgager, having been given a reasonable opportunity by the Bank to provide further security enough to render the whole security sufficient, or to repay such portion of the loan as may be determined by the Bank, has failed to provide such security or to repay such portion of the loan, the remainder of the loan shall be deemed to fall due at once, and the Bank shall be entitled to take action against the mortgager under Section 88 or section 89 for the recovery thereof.

Explanation :— Security shall be deemed insufficient within the meaning of this section, unless the value of the mortgaged property (including improvements made thereon) exceeds the amount for the time being due on the mortgage by such proportion as may be specified in the rules, regulations or the bye-laws of the Land Development Bank.

86. बंधकित सम्पत्ति को विक्रय करने का भूमि विकास बैंक का अधिकार— (1) भूमि विकास बैंकों द्वारा धारा 89 की उप-धारा (3) के अधीन क्रय की गई और धारा 103 के अधीन उन्हें अंतरित की गई सम्पत्ति का व्ययन, ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर, जो न्यासी द्वारा नियत की जाये, ऐसे बैंकों द्वारा, इस शर्त के अध्वधीन विक्रय द्वारा किया जा सकेगा कि ऐसे विक्रय केवल ऐसे कृषकों के पक्ष में ही होंगे जो राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3) या तत्समय प्रवृत्त किसी तत्समान विधि के अधीन भूमि धारण करने के पात्र हों, या उसे उनके द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिकथित की जायें, पट्टे पर दिया जा सकेगा।

(2) कृषि जोतों की अधिकतम सीमा नियत करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट कोई भी बात इस धारा के अधीन भूमि विकास बैंकों द्वारा भूमि के अर्जन पर या उसे धारण करने पर लागू नहीं होगी।

86. Right of Land Development Bank to sell mortgaged property.—

(1) Property purchased under sub-section (3) of Section 89 by, and the property transferred under Section 103 to, the Land Development Banks may be disposed of by such banks by sale within such period as may be fixed by the Trustee, subject to the condition that such sales shall be in favour only of agriculturists eligible to hold land under the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955) or any corresponding law for the time being in force, or may be leased out by them on such terms and conditions as may be laid down by the Government from time to time.

(2) Nothing contained in any law for the time being in force fixing the maximum limit of agricultural holdings shall apply to the acquisition or holding of land by the Land Development Banks under this section.

87. भूमि विकास बैंकों द्वारा उधारों की वसूली— भूमि विकास बैंकों द्वारा दिये गये समस्त उधार, उन पर प्रभार्य समस्त ब्याज, यदि कोई हो, और ऐसा करने में उपगत हुए खर्च, यदि कोई हों, जब वे शोध्य हो जायें तो, संबंधित भूमि विकास बैंक द्वारा वसूलीय होंगे।

87. Recovery of loans by Land Development Banks.— All loans granted by the Land Development Banks, all interests, if any, chargeable thereon, and costs, if any, incurred in making the same, shall, when they become due, be recoverable by the Land Development Bank concerned.

88. करस्थम् करने की शक्ति— (1) यदि किसी भूमि विकास बैंक के पक्ष में निष्पादित बंधक के अधीन संदेय कोई किस्त या ऐसी किस्त का कोई भाग, उनके शोध्य होने की तारीख से, तीन मास से अधिक समय तक असंदत्त रह गया हो तो, ऐसे बैंक की समिति, बैंक को उपलब्ध किसी अन्य उपाय के अतिरिक्त, रजिस्ट्रार या कलक्टर को ऐसी किस्तों या उसके भाग की वसूली, बंधकित भूमि की उपज को, जिसमें उस पर खड़ी फसल भी सम्मिलित है, करस्थम् करके और उसका विक्रय करके किये जाने हेतु आवेदन कर सकेगी।

(2) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार या, यथास्थिति, कलक्टर सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम 4) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी उपज को करस्थम् करने और बेचने के प्रयोजन के लिए विहित रीति से कार्रवाई कर सकेगा :

परन्तु किस्त देय होने की तारीख से बारह मास की समाप्ति के पश्चात् कोई भी करस्थम् नहीं किया जायेगा।

(3) करस्थम् की गई सम्पत्ति का मूल्य, यथासंभव निकटतम रूप से, शोध्य रकम, करस्थम् के व्यय और विक्रय के खर्च के बराबर होगा।

88. Power to distrain.— (1) If any instalment payable under a mortgage executed in favour of a Land Development Bank, or any part of such instalment, has remained unpaid for more than three months from the date on which it fell due, the committee of such Bank may, in addition to any other remedy available to the Bank, apply to the Registrar or the Collector for the recovery of such instalments or part thereof, by distraint and sale of the produce of the mortgaged land, including the standing crops thereon.

(2) On receipt of such application, the Registrar or the Collector, as the case may be, may, notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882 (Central Act 4 of 1882), take action in the prescribed manner for the purpose of distraining and selling such produce :

Provided that no distraint shall be made after the expiry of twelve months from the date on which the instalment fell due.

(3) The value of the property distrained shall, as nearly as possible, be equal to the amount due, the expenses of the distraint and the cost of the sale.

89. बंधकित सम्पत्ति का विक्रय— (1) सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम 4) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भूमि विकास बैंक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति बंधक धन या उसके किसी भाग के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में, बैंक को उपलब्ध किसी भी अन्य उपाय के अतिरिक्त बंधकित सम्पत्ति को, उस गांव में, जिसमें बंधकित सम्पत्ति स्थित है, या लोक समागम के निकटतम स्थान पर, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, लोक नीलाम द्वारा बेचने के लिए सशक्त होगा :

परन्तु इस उप-धारा के अधीन तब तक न तो कोई कार्रवाई की जायेगी और न ही ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग किया जायेगा, जब तक कि—

(क) इस उप-धारा के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने के लिए भूमि विकास बैंक को पहले से ही, कलक्टर या रजिस्ट्रार द्वारा, बंधककर्ता या बंधककर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आक्षेपों की, यदि कोई हों, सुनवाई किये जाने के पश्चात् प्राधिकृत न कर दिया गया हो;

(ख) ऐसे बंधक धन या उसके किसी भाग के संदाय की अपेक्षा करते हुए निम्नलिखित पर लिखित

नोटिस तामील न कर दिया गया हो,-

- (i) बंधककर्ता पर या बंधककर्ताओं में से प्रत्येक पर;
 - (ii) ऐसे किसी व्यक्ति पर जो, जहां तक बैंक को ज्ञात है, बंधकित सम्पत्ति में कोई हित या उस पर कोई भार रखता है या उसका मोचन कराने के अधिकार में कोई हित या उस पर कोई भार रखता है;
 - (iii) बंधकित ऋण या उसके किसी भाग के संदाय के लिए किसी प्रतिभू पर; और
 - (iv) बंधककर्ता के किसी लेनदार पर, जिसने बंधककर्ता की सम्पदा के प्रशासन संबंधी वाद में, बंधकित सम्पत्ति के विक्रय के लिए डिक्री प्राप्त कर ली है; और
- (ग) नोटिस की तामील हो जाने के पश्चात् तीन मास तक ऐसे बंधक धन या उसके किसी भाग के संदाय में व्यतिक्रम न किया गया हो।

(2) यदि भूमि विकास बैंक किसी व्यतिक्रमी के विरुद्ध धारा 85 या धारा 88 के अधीन या इस धारा के अधीन कार्रवाई करने में असफल रहता है तो राज्य भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक को समुचित कार्रवाई करने का निदेश दे सकेगा और यदि राज्य भूमि विकास बैंक या भूमि विकास बैंक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो न्यासी ऐसी कार्रवाई कर सकेगा। यदि ऐसी कार्रवाई न्यासी द्वारा की जाती है तो इस अध्याय के और नियमों के उपबंध उसके संबंध में इस प्रकार लागू होंगे मानो उक्त उपबंध में भूमि विकास बैंक के प्रति समस्त निर्देश न्यासी के प्रति निर्देश हैं।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भूमि विकास बैंक या राज्य भूमि विकास बैंक के लिए इस अध्याय के अधीन बेची गई किसी बंधकित सम्पत्ति का क्रय करना विधिपूर्ण होगा।

89 Sale of mortgaged property.— (1) Notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882 (Central Act 4 of 1882), the Land Development Bank or any person authorised by it in this behalf shall, in case of default of payment of the mortgage money, or any part thereof, have power, in addition to any other remedy available to the Bank, to bring the mortgaged property to sale by public auction in the village in which the mortgaged property is situated or at the nearest place of public resort without the intervention of the Court :

Provided that no action shall be taken under this sub-section and no such power shall be exercised, unless and until—

- (a) the Land Development Bank has been previously authorised by the Collector or the Registrar, to exercise the power conferred under this sub-section, after hearing the objections, if any, of the mortgager or mortgagers;
- (b) notice in writing requiring payment of such mortgage money or part thereof has been served upon—
 - (i) the mortgager or each of the mortgagers;
 - (ii) any person who has any interest in or charge upon the property mortgaged, or in or upon the right to redeem the same so far as is known to the bank;
 - (iii) any surety for the payment of the mortgaged debt or any part thereof; and
 - (iv) any creditor of the mortgager who has, in a suit for administration of his estate, obtained a decree for sale of mortgaged property; and
- (c) default has been made in payment of such mortgage money or part thereof for three months after the service of notice.

(2) If the Land Development Bank fails to take action against a defaulter under Section 85 or Section 88 or under this section, the State Land Development Bank may direct the Land Development Bank to take appropriate action, and where no action is taken either by the State Land Development Bank or the Land Development Bank, the Trustee may take such action. If such action is taken by the Trustee, the provisions of this Chapter and of any rules shall apply in respect thereto, as if all references of the Land Development Bank in the said provision were references to the Trustees.

(3) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, it shall be lawful for a Land Development Bank or the State Land Development Bank to purchase any mortgaged property sold under this chapter.

90. विक्रय की पुष्टि— (1) भूमि विकास बैंक द्वारा धारा 89 के अधीन विक्रय कर दिये जाने पर, उक्त बैंक विक्रय किये जाने की रीति और विक्रय का परिणाम बताते हुए राज्य भूमि विकास बैंक

और रजिस्ट्रार को विहित रीति से रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और राज्य भूमि विकास बैंक, रजिस्ट्रार के अनुमोदन से, उक्त विक्रय की पुष्टि कर सकेगा या उसे रद्द कर सकेगा।

(2) जब विक्रय धारा 89 के अधीन राज्य भूमि विकास बैंक या न्यासी द्वारा किया जाये तब, राज्य भूमि विकास बैंक या, यथास्थिति, न्यासी विक्रय किये जाने की रीति और विक्रय का परिणाम बताते हुए, रजिस्ट्रार को, विहित रीति से रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और रजिस्ट्रार विक्रय की पुष्टि कर सकेगा या उसे रद्द कर सकेगा :

परन्तु जब रजिस्ट्रार ही न्यासी हो तब वह ऐसी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगा और सरकार विक्रय की पुष्टि कर सकेगी या उसे रद्द कर सकेगी।

90. Confirmation of sale.— (1) On effecting the sale by a Land Development Bank under Section 89, the said Bank shall, in the prescribed manner submit to the State Land Development Bank and the Registrar, a report setting forth the manner in which the sale has been effected and the result of the sale, and the State Land Development Bank may, with the approval of the Registrar, confirm the sale or cancel it.

(2) Where the sale is effected by the State Land Development Bank or the Trustee under Section 89, the State Land Development Bank or the Trustee, as the case may be, shall in the prescribed manner, submit to the Registrar, a report setting forth the manner in which the sale has been effected and the result of the sale and the Registrar may confirm or cancel the sale :

Provided that where the Registrar is the Trustee, he shall submit such report to the Government and the Government may confirm the sale or cancel it.

91. विक्रय के आगमों का निपटारा— (1) धारा 89 के अधीन किये गये और धारा 90 के अधीन पुष्टि किये गये प्रत्येक विक्रय के आगमों का उपयोजन, प्रथमतः विक्रय या प्रयतित विक्रय के संबंध में उपगत समस्त खर्चों, प्रभारों और व्ययों का संदाय करने में, द्वितीयतः ऐसे बंधक के मद्दे, जिसके परिणामस्वरूप बंधकित सम्पत्ति का विक्रय किया गया था, देय समस्त या किसी ब्याज का संदाय करने में और तृतीयतः बंधक के मद्दे देय मूलधन, जिसमें वसूली के आनुषंगिक खर्च और प्रभार सम्मिलित हैं, का संदाय करने में किया जायेगा।

(2) यदि विक्रय के आगमों में से कोई धन अवशिष्ट रहे तो उसका संदाय ऐसे व्यक्ति को, जो अपने आपको विक्रीत सम्पत्ति में हितबद्ध सिद्ध करे या यदि ऐसे व्यक्ति एक से अधिक हों तो, ऐसे

व्यक्तियों को, उनकी संयुक्त रसीद पर या उसमें उनके अपने-अपने हितों के अनुसार, जो कि भूमि विकास बैंक अवधारित करे, किया जायेगा :

परन्तु ऐसे कोई संदाय करने के पूर्व ऐसी अप्रतिभूत देय राशियों का जो-

- (क) बंधककर्ता द्वारा भूमि विकास बैंक को देय हों, समायोजन किया जा सकेगा; और
- (ख) ऐसे किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य द्वारा देय हों, जिसका बंधककर्ता ऋणी है, ऐसे सदस्य और भूतपूर्व सदस्य द्वारा दिये गये लिखित प्राधिकार के अधीन और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो आवश्यक समझी जाये, समायोजन किया जा सकेगा।

91. Disposal of sale proceeds.— (1) The proceeds of every sale effected under Section 89 and confirmed under section 90, shall be applied first in payment of all costs, charges and expenses incurred in connection with the sale or attempted sales, secondly in payment of any or all interest due on account of the mortgage in consequence whereof the mortgaged property was sold, and thirdly in payment of the principal due on account of the mortgage including costs and charges incidental to the recovery.

(2) If there be any residue from the proceeds of sale, the same shall be paid to the persons proving himself interested in the property sold, or if there are more such persons than one, then to such persons upon their joint receipt or according to their respective interest therein, as may be determined by Land Development Bank :

Provided that before any such payments are made, the unsecured dues owing—

- (a) from the mortgager to the Land Development Bank may be adjusted; and
- (b) from any member or past member to whom the mortgager is indebted, may also be adjusted under the written authority given by such member and past member, and after holding such inquiry as may be deemed necessary.

92. क्रय का प्रमाण-पत्र, सम्पत्ति का परिदान और क्रेता का हक— (1) जहां बंधकित सम्पत्ति का कोई विक्रय धारा 90 के अधीन आत्यंतिक हो गया हो और भूमि विकास बैंक द्वारा सम्पूर्ण विक्रय के आगम प्राप्त कर लिये गये हों तो बैंक क्रेता को विक्रीत सम्पत्ति, विक्रय मूल्य, उसके विक्रय की तारीख, ऐसे व्यक्ति का नाम, जिसे विक्रय के समय क्रेता घोषित किया गया हो और ऐसी तारीख,

जिसको विक्रय आत्यंतिक हो गया हो, प्रमाणित करते हुए, विहित प्ररूप में प्रमाण-पत्र देगा और प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) के अधीन नियुक्त सब-रजिस्ट्रार, जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसका कोई भाग स्थित है, स्थावर सम्पत्ति से संबंधित अपने रजिस्टर में ऐसे प्रमाण-पत्र की विषयवस्तु दर्ज करेगा।

(2) (क) जहां विक्रीत बंधकित सम्पत्ति, बंधककर्ता के या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के या बंधककर्ता द्वारा, उसे राज्य भूमि विकास बैंक या किसी भूमि विकास बैंक के पक्ष में बंधक रखने के पश्चात् सृजित हक के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति के अधिभोग में हो और जिसके संबंध में उप-धारा (1) के अधीन कोई प्रमाण-पत्र दिया गया है तो कलक्टर क्रेता के आवेदन पर ऐसे क्रेता को, या ऐसे क्रेता द्वारा उसकी ओर से परिदान स्वीकार करने हेतु नियुक्त किन्हीं भी व्यक्तियों को, उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाते हुए उसे परिदत्त करने का आदेश देगा।

(ख) जहां विक्रीत सम्पत्ति किसी अभिधारी या ऐसे अन्य व्यक्ति के अधिभोग में हो, जो उसे अधिभोग में रखने का हकदार हो और जिसके संबंध में उप-धारा (1) के अधीन प्रमाण-पत्र दिया गया हो वहां कलक्टर, क्रेता के आवेदन पर और ऐसे अभिधारियों या अन्य व्यक्तियों को नोटिस देने के पश्चात् विक्रय के प्रमाण-पत्र की प्रति सम्पत्ति के किसी सहजदृश्य स्थान पर चस्पा करके और किसी सुविधाजनक स्थान पर डोंडी पिटवाकर या अन्य रुढ़िक ढंग से अधिभोगी के लिए यह उद्घोषणा करके कि बंधककर्ता के अधिकार, हक और हित क्रेता को अंतरित कर दिये गये हैं, परिदान किये जाने का आदेश देगा।

(3) जब कोई सम्पत्ति धारा 89 के अधीन विक्रय की शक्ति का प्रयोग या तात्पर्यित प्रयोग करते हुए बेची जाती है तो क्रेता का हक इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा कि विक्रय को प्राधिकृत करने के लिए अपेक्षित परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई थीं या डिक्री या यथोचित नोटिस नहीं दिया गया था या विक्रय की शक्ति का अन्य प्रकार से अनुचित या अनियमित प्रयोग किया गया था:

परन्तु कोई भी व्यक्ति, जो ऐसी शक्ति के अप्राधिकृत, अनुचित या अनियमित प्रयोग के कारण नुकसान उठाता है, भूमि विकास बैंक के विरुद्ध नुकसानी के रूप में उपचार प्राप्त कर सकेगा।

92. Certificate to purchase, delivery of property, and title of purchases.—

(1) Where a sale of mortgaged property has become absolute under Section 90 and the sale proceeds have been received in full by the Land Development Bank, the bank shall grant a certificate to the purchaser in the prescribed form certifying the property sold, the sale price, the date of its sale, the name of the person who at the time of

the sale is declared to be the purchaser, and the date on which the sale becomes absolute, and upon the production of such certificate, the Sub-Registrar appointed under the Registration Act, 1908(Central Act 16 of 1908), within the limits of whose jurisdiction the whole or any part of the property specified in the certificate is situated, shall enter the contents of such certificate in his register relating to the immovable property.

- (2) (a) Where the mortgaged property sold is in the occupancy of the mortgager, or of some person on his behalf, or some person claiming under a title created by the mortgager, subsequent to the mortgage, in favour of the State Land Development Bank or a Land Development Bank and a certificate in respect thereof has been granted under the sub-section (1), the Collector shall, on the application of the purchaser, order delivery to be made by putting such purchaser or any person appointed by such purchaser to receive delivery on his behalf, in possession of the property.
- (b) Where the property sold is in the occupancy of a tenant or other person entitled to occupy the same, and a certificate in respect thereof has been granted under the sub-section (1), the Collector shall, on the application of the purchaser and after notice to such tenants or other persons, order the delivery to be made by affixing copy of the certificate of sale in a conspicuous place on the property and proclaiming to the occupant by beat of drum or other customary mode at some convenient place, that the right, title and interest of the mortgager have been transferred to the purchaser.
- (3) Where any property is sold in the exercise or purported exercise of a power of sale under Section 89, the title of the purchaser shall not be questioned on the ground that the circumstances required for authorising the sale had not arisen, or due notice of the sale was not given, or the power of sale was otherwise improperly or irregularly exercised :

Provided that any person who suffers damage on account of unauthorised, improper or irregular exercise of such power shall have a remedy in damages against the Land Development Bank.

93. रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाण-पत्र पर ऋणों की वसूली— (1) धारा 58 और 100 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भूमि विकास बैंक द्वारा, उसके किन्हीं भी सदस्यों को उसके द्वारा दी गई किसी राशि की बकाया की वसूली के लिए, किये गये आवेदन पर, और बकाया के संबंध में उसके द्वारा लेखा विवरण दिये जाने पर, रजिस्ट्रार, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, उस विवरण में बकाया के रूप में देय बतायी गयी रकम की वसूली के लिए प्रमाण-पत्र दे सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र देय बकाया के संबंध में अंतिम और निश्चायक होगा। उसमें बतायी गयी देय बकाया भू-राजस्व की बकाया की वसूली के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार वसूलीय होगी।

(3) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति बंधककर्ता की सम्पत्ति की सशर्त कुर्की का निदेश देने में तब तक सक्षम होगा जब तक कि भूमि विकास बैंक को देय बकाया और उस पर ब्याज तथा ऐसी बकाया की वसूली में उपगत आनुषंगिक खर्चे संदत्त नहीं कर दिये जाते या ऐसी बकाया के संदाय के लिए रजिस्ट्रार को समाधानप्रद रूप में प्रतिभूति नहीं दे दी जाती और धारा 101 के उपबंध, इस धारा के अधीन की गई या की जाने वाली किसी सम्पत्ति की सशर्त कुर्की पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

93. Recovery of loans on certificate by Registrar.— (1) Notwithstanding anything contained in Sections 58 and 100, on an application made by a Land Development Bank for the recovery of arrears of any sum advanced by it to any of its members and on its furnishing a statement of account in respect of the arrears, the Registrar may, after making such inquiries as he deems fit, grant a certificate for the recovery of the amount stated therein to be due as arrears.

(2) A certificate by the Registrar under sub-section (1) shall be final and conclusive as to the arrears due. The arrears stated to be due therein shall be recoverable according to the law for the time being in force for the recovery of arrears of land revenue.

(3) It shall be competent for Registrar or a person authorised by him to direct conditional attachment of the property of the mortgager until the arrears due to the Land Development Bank together with interest and any incidental charges incurred in recovery of such arrears, are paid or security for payment of such arrears is furnished to the satisfaction of the Registrar and the provisions of Section 101 shall

apply *mutatis mutandis* to conditional attachment of any property made or to be made under this section.

94. निश्चित कालावधि के दौरान कलक्टर द्वारा वसूलियां किया जाना— (1) कलक्टर ऐसी कालावधि के दौरान, जो राज्य सरकार, राजपत्र में किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा, अधिसूचित करे, किसी भूमि विकास बैंक द्वारा इस निमित्त उसे आवेदन किये जाने पर, भूमि विकास बैंक को देय समस्त राशियां (जिसमें ऐसी वसूली का खर्च सम्मिलित है) वसूल करने के लिए सक्षम होगा।

(2) किसी भूमि विकास बैंक को देय कोई भी रकम, कलक्टर या इस निमित्त कलक्टर द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निम्नलिखित में किसी एक या अधिक ढंग से वसूलीय होगी, अर्थात् :-

- (क) किसी उधार लेने वाले से उसी प्रकार मानो वह उसके द्वारा देय भू-राजस्व की बकाया हो;
- (ख) ऐसी भूमि से, जिसके फायदे के लिए ऋण दिया गया हो, उसी प्रकार मानो वह उक्त भूमि के संबंध में देय भू-राजस्व की बकाया हो;
- (ग) किसी प्रतिभू, यदि कोई हो, से उसी प्रकार मानो वह उसके द्वारा देय भू-राजस्व की बकाया हो; और
- (घ) किसी संपार्श्विक प्रतिभूति, यदि कोई हो, में समाविष्ट सम्पत्ति से, ऐसी भूमि जिस पर राजस्व देय है, के विक्रय द्वारा भू-राजस्व की वसूली की प्रक्रिया के अनुसार।

94. Collector to make recoveries during certain period.— (1) During such period as the State Government may, by general or special order notify in the Official Gazette, it shall be competent for the Collector, on application being made to him in this behalf by a Land Development Bank, to recover all sums due to the Land Development Bank (including the cost of such recovery).

(2) Any amount due to a Land Development Bank shall be recoverable by the Collector, or any officer specially authorised by the Collector in this behalf, in all or any of the following modes, namely :—

- (a) from the borrower, as if they were arrears of land revenue due by him;
- (b) out of the land for the benefit of which the loan has been granted as if they were arrears of land revenue due in respect of that land;

- (c) from a surety, if any, as if they were arrears of land revenue due by him, and
- (d) out of the property comprised in the collateral security, if any, according to the procedure for the realisation of land revenue by the sale of land on which the revenue is due.

95. बैंक के अधिकारियों द्वारा विक्रय में बोली का न लगाया जाना— इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किये जाने वाले स्थावर या जंगम सम्पत्ति के किसी विक्रय में, भूमि विकास बैंक या राज्य भूमि विकास बैंक का कोई अधिकारी या कर्मचारी अथवा उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य सिवाय उस बैंक की ओर से, जिसका कि वह अधिकारी या कर्मचारी है और ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका ऐसे विक्रय के संबंध में कार्य करने का कोई कर्तव्य है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी किसी सम्पत्ति के लिए न तो बोली लगायेगा, न उसमें कोई हित अर्जित करेगा या अर्जित करने का प्रयास करेगा।

95. Officers of Bank not to bid at sales.— At any sale of movable or immovable property, held under the provisions of this Chapter, no officer or employee or any of the family members of the officer or the employee of the Land Development Bank or the State Land Development Bank, except on behalf of the bank of which he is an officer or an employee, and no person having any duty to perform in connection with such sale, shall either directly or indirectly bid for or acquire or attempt to acquire any interest in such property.

96. कतिपय हानियों की पूर्ति करने के लिए प्रत्याभूति निधियों की व्यवस्था— (1) राज्य सरकार भूमि विकास बैंकों द्वारा स्थावर सम्पत्ति पर के ऐसे हकों पर, जो बाद में त्रुटिपूर्ण पाये जायें, दिये जाने वाले ऋणों के फलस्वरूप होने वाली हानियों की पूर्ति के प्रयोजन के लिए या इस अध्याय के अधीन किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जिसके लिए राज्य सरकार की राय में पृथक् प्रत्याभूति निधि की व्यवस्था करना या सृजन करना आवश्यक हो, ऐसी शर्तों और निबंधनों पर, जो वह उचित समझे, एक या अधिक प्रत्याभूति निधि गठित करने में सक्षम होगी।

(2) राज्य भूमि विकास बैंक और भूमि विकास बैंक ऐसी निधियों में ऐसी दर से अभिदाय करेंगे जो विहित की जाये और ऐसी निधियों का गठन, अनुरक्षण और उपयोग ऐसे नियमों द्वारा विनियमित होगा जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये जायें।

96. Provision for Guarantee Funds to meet certain losses.— (1) It shall be competent for the State Government to constitute one or more Guarantee Funds on

such terms and conditions as it may deem fit, for the purpose of meeting losses that might arise as a result of loans being made by the Land Development Banks, on titles to immovable property subsequently found to be defective or for any other purpose under this Chapter, for which in the opinion of the Government, it is necessary to provide for or create a separate Guarantee Fund.

(2) The State Land Development Bank and the Land Development Banks shall contribute to such funds at such rate as may be prescribed, and the constitution, maintenance and utilisation of such Funds shall be governed by such rules as may be made by the State Government in this behalf.

97. नोटिस की तामील— सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम 4) की धारा 102 और 103 के और उसकी धारा 104 के अधीन बनाये किन्हीं भी नियमों के उपबंध, जहां तक हो सके, इस अध्याय के अधीन तामील किये जाने वाले नोटिस के संबंध में लागू होंगे।

97. Service of notice.— The provisions of Sections 102 and 103 of the Transfer of Property Act, 1882 (Central Act 4 of 1882), and of any rules made under Section 104 thereof, shall apply, so far as may be, in respect of all notices to be served under this Chapter.

98. राज्य भूमि विकास बैंक की समिति की भूमि विकास बैंकों का पर्यवेक्षण करने और विनियम बनाने की शक्ति— राज्य भूमि विकास बैंक की समिति को भूमि विकास बैंकों का पर्यवेक्षण करने की साधारण शक्ति होगी और वह सरकार की पूर्व मंजूरी से, निम्नलिखित सभी या इनमें से किन्हीं विषयों के लिए ऐसे विनियम बना सकेगी, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों से असंगत न हों, अर्थात् :-

- (क) भूमि विकास बैंकों की लेखा पुस्तकों और कार्यवाहियों के निरीक्षण के लिए;
- (ख) ऐसे बैंकों द्वारा उनके लेन-देन के संबंध में विवरणियां और रिपोर्टें प्रस्तुत किये जाने के लिए;
- (ग) ऐसे बैंकों और राज्य भूमि विकास बैंक के बीच ऐसे लेखाओं के कालिक परिनिर्धारण के लिए, जो राज्य भूमि विकास बैंक को अन्तरित बंधकों पर ऐसे बैंकों द्वारा वसूल की गयी रकमों के संदाय से संबंधित लेखे हों;
- (घ) ऐसे प्ररूप के लिए जिसमें ऐसे बैंकों को उधार के लिए आवेदन किया जायेगा और ऐसी उधार के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रस्थापित सम्पत्तियों के मूल्यांकन के लिए;

- (ड) बंधककर्ताओं से वसूल की गई धनराशियों के विनिधान के लिए;
- (च) ऐसे बैंकों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के लिए;
- (छ) ऐसे बैंकों द्वारा उधार देने के लिए अपनाये जाने वाले कार्यक्रम और नीति के लिए;
- (ज) ऐसे बैंकों द्वारा उधार देने के लिए ली जाने वाली प्रतिभूति के प्रकार और सीमा के लिए;
और
- (झ) साधारणतया पक्षकारों के हितों की रक्षा, ऐसे बैंकों के क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने और
इस अध्याय के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए प्रयोजन के लिए।

98. Power of committee of State Land Development Bank to supervise Land Development Banks and make regulations.— The committee of the State Land Development Bank shall have a general power of supervision over Land Development Banks and may, with the previous sanction of the Government, make regulations, not inconsistent with this Act or the rules made thereunder, for all or any of the following matters, namely :-

- (a) for the inspection of the account books and proceedings of Land Development Banks;
- (b) for the submission of returns and reports by such banks in respect of their transactions;
- (c) for the periodical settlement of accounts between such banks and the State Land Development Bank, being accounts relating to the payment of the amounts recovered by such banks on mortgages transferred to the State Land Development Bank;
- (d) for the form in which the application to such banks for loans shall be made and for the valuation of properties offered as security for such loans;
- (e) for the investment of moneys realised from the mortgagers;
- (f) for the conditions of service of employees of such banks;
- (g) for the programme and policy to be followed by such banks for making loans;

- (h) for the types and extent of security to be obtained by such banks for advancing loans; and
- (i) generally, for the purpose of safeguarding the interest of the parties, furtherance of activities of such banks, and carrying out the purposes of this Chapter.

□ □

अधिनिर्णयों, डिक्रियों, आदेशों और विनिश्चयों का निष्पादन

Chapter-XIII

Execution of awards, decrees, orders and decisions

99. भार का प्रवर्तन— अध्याय 10 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस अधिनियम में उपबंधित वसूली के किसी अन्य ढंग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रजिस्ट्रार या इस निमित्त रजिस्ट्रार द्वारा सशक्त कोई भी व्यक्ति, स्वप्रेरणा से या किसी सहकारी सोसाइटी के आवेदन पर यह निदेश देते हुए आदेश कर सकेगा कि किसी भी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य द्वारा या उसके प्रत्याभूतिदाता द्वारा सोसाइटी को देय किसी ऋण या बकाया मांग का संदाय, उस संपत्ति या उसमें के किसी हित के, जो उस सोसाइटी को बंधकित की जाती है या जो धारा 38 या धारा 39 के अधीन भार के अध्वधीन हो, विक्रय द्वारा कर लिया जाये :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उस सदस्य, भूतपूर्व सदस्य पर या मृत सदस्य के नामनिर्देशिती, वारिस या विधिक प्रतिनिधि पर या उसके प्रत्याभूतिदाता पर, या ऐसे व्यक्ति पर, जिसका बंधक सम्पत्ति में कोई हित या उस पर कोई भार हो या, यथास्थिति, उस बंधककर्ता के किसी लेनदार पर, जिसने सम्पत्ति के प्रशासन के किसी वाद में बंधक सम्पत्ति के विक्रय के लिए कोई डिक्री अभिप्राप्त कर ली हो, आवेदन का कोई नोटिस तामील न कर दिया हो और,-

- (i) ऐसे व्यक्ति द्वारा ऋण या मांग के प्रति विवाद करने की दशा में ऐसा विवाद धारा 60 के अधीन अंतिम रूप से न्यायनिर्णीत न हो जाये, या
- (ii) ऐसे व्यक्ति द्वारा ऋण या मांग के प्रति विवाद न करने की दशा में वह यथापूर्वोक्त नोटिस की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर ऐसे ऋण या मांग का संदाय करने में असफल रहे।

99. Enforcement of charge.— Notwithstanding anything contained in Chapter X, or any other law for the time being in force, but without prejudice to any other mode of recovery provided in this Act, the Registrar or any person empowered by the Registrar in this behalf, may, on his own motion or on the application of a co-operative society, make an order directing the payment of any debt or outstanding demand due to the society by any member or past member or deceased member or by guarantor thereof, by sale of the property or any interest therein, which is mortgaged to the society or is subject to a charge under section 38 or section 39:

Provided that no order shall be made under this section unless the member, past member or the nominee, heir or legal representative of the deceased member or guarantor thereof, or any person who has any interest in or charge upon the mortgaged property or any creditor of the mortgager who has, in a suit for administration of the estate, obtained a decree for sale of mortgaged property, as the case may be, has been served with a notice of the application and :-

- (i) where such person disputes the debt or demand, such dispute is finally adjudicated under Section 60: or
- (ii) where such person does not dispute the debt or demand, he fails to pay such debt or demand within thirty days from the date of the service of such notice as aforesaid.

100. आदेशों आदि का निष्पादन— (1) संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम 4) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 57 की उप-धारा (2) के अधीन या धारा 99 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश, धारा 60 के अधीन किया गया प्रत्येक विनिश्चय या अधिनिर्णय, धारा 64 के अधीन समापक द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश और धारा 105 या 106 के अधीन अधिकरण द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश और धारा 104 के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, यदि उसका पालन न हुआ हो तो,-

- (क) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र दिये जाने पर, किसी सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जायेगा और उसे उसी रीति से निष्पादित किया जायेगा जैसे ऐसे न्यायालय की किसी डिक्री को किया जाता है; या
- (ख) भू-राजस्व की बकाया की वसूली के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार और नियमों के अधीन निष्पादित किया जायेगा:

परन्तु किसी धनराशि की वसूली ऐसी रीति से किये जाने हेतु आवेदन-

- (i) कलक्टर को प्रस्तुत किया जायेगा और उसके साथ रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र भी होगा;
- (ii) आदेश, विनिश्चय या अधिनिर्णय में नियत तारीख से, और यदि ऐसी कोई तारीख नियत नहीं की गयी हो तो, उस आदेश, विनिश्चय या, यथास्थिति, अधिनिर्णय की तारीख से, बारह वर्ष के भीतर-भीतर प्रस्तुत किया जायेगा;
- (ग) रजिस्ट्रार या उसके अधीनस्थ ऐसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे इस संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा सशक्त किया गया हो, उस व्यक्ति या सहकारी सोसाइटी की, जिसके विरुद्ध वह आदेश, विनिश्चय या अधिनिर्णय प्राप्त किया गया हो या पारित किया गया हो, किसी संपत्ति को कुर्क करके और बेचकर या बिना कुर्क किये ही बेचकर निष्पादित किया जायेगा।

(2) सम्पत्ति का कोई प्राइवेट अन्तरण या परिदान या उस पर कोई विल्लंगम या भार जो, रजिस्ट्रार या, यथास्थिति, उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उप-धारा (1) के अधीन प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के पश्चात् कृत या सृजित हो, उस सोसाइटी के विरुद्ध जिसके आवेदन पर उक्त प्रमाण पत्र जारी किया गया था, अकृत और शून्य होगा।

100. Execution of orders, etc.— (1) Notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882 (Central Act 4 of 1882) or any other law for the time being in force, every order made by the Registrar under sub-section (2) of Section 57 or under Section 99, every decision or award made under Section 60, every order made by the liquidator under Section 64 and every order made by the Tribunal under Section 105 or 106 and every order made under Section 104 shall, if not carried out :-

- (a) on a certificate signed by the Registrar, or any person authorised by him in this behalf, be deemed to be a decree of a civil court and shall be executed in the same manner as a decree of such court; or
- (b) be executed according to the law and under the rules for the time being in force for the recovery of arrears of land revenue :

Provided that any application for the recovery in such manner of any sum shall be made—

- (i) to the Collector and shall be accompanied by a certificate signed by the Registrar or by any person authorised by him in this behalf;
- (ii) within twelve years from the date fixed in the order, decision or award and if no such date is fixed, from the date of the order, decision or award, as the case may be;
- (c) be executed by the Registrar or any other person subordinate to him empowered by the Registrar in this behalf, by the attachment and sale or sale without attachment, of any property of the person or a co-operative society against whom the order, decision or award has been obtained or passed.

(2) Any private transfer or delivery of, or encumbrance or charge on, property made or created after the issue of the certificate of the Registrar or any person authorised by him, as the case may be, under sub-section (1), shall be null and void as against the society on whose application the said certificate was issued.

101. अधिनिर्णय या आदेश के पूर्व सम्पत्ति की कुर्की— यदि रजिस्ट्रार का किसी आवेदन, रिपोर्ट या जांच से या अन्यथा समाधान हो जाये कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके विरुद्ध दिये जाने वाले किसी आदेश, विनिश्चय या अधिनिर्णय के प्रवर्तन में देरी करने या बाधा पहुंचाने के आशय से—

- (क) अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है, या
- (ख) अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग को रजिस्ट्रार, मध्यस्थ या, यथास्थिति, समापक की अधिकारिता से हटाने वाला है,

तो वह, जब तक कि पर्याप्त प्रतिभूति न दे दी जाये, उक्त सम्पत्ति की कुर्की का निदेश दे सकेगा और ऐसी कुर्की का प्रभाव वैसा ही होगा मानो वह किसी सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा की गयी हो।

101. Attachment of property before award or order.— If the Registrar is satisfied on an application, report, inquiry or otherwise, that any person with intent to delay or obstruct the enforcement of any order, decision or award that may be made against him under the provisions of this Act :-

- (a) is about to dispose of the whole or any part of his property, or

- (b) is about to remove the whole or any part of his property from the jurisdiction of the Registrar, the Arbitrator or Liquidator, as the case may be,

he may, unless adequate security is furnished, direct the attachment of the said property and such attachment shall have the same effect as if made, by a competent civil court.

102. सरकार को देय धनराशियों की वसूली— (1) किसी सहकारी सोसाइटी या किसी सहकारी सोसाइटी के किसी अधिकारी या सदस्य या भूतपूर्व सदस्य द्वारा इस रूप में सरकार को देय समस्त धनराशियां, जिनमें इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन सरकार को दिलवाया गया कोई खर्चा भी सम्मिलित है, रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त प्रमाण पत्र दिये जाने पर उसी रीति से वसूल की जा सकेगी जैसे कि भू-राजस्व की बकाया की जाती है।

(2) किसी सोसाइटी द्वारा सरकार को देय और उप-धारा (1) के अधीन वसूलीय धनराशियां, प्रथमतः सोसाइटी की सम्पत्ति से, द्वितीयतः उस सोसाइटी की दशा में, जिसके सदस्यों का दायित्व सीमित है, उनके दायित्व की सीमा के अध्यधीन रहते हुए उसके सदस्यों या भूतपूर्व सदस्यों से या मृत सदस्यों की सम्पदा में से, और तृतीयतः अन्य सोसाइटियों की दशा में, उनके सदस्यों या भूतपूर्व सदस्यों से या मृत सदस्यों की सम्पदा में से वसूल की जा सकेंगी:

परन्तु भूतपूर्व सदस्यों और मृत सदस्यों की सम्पदाओं का दायित्व सभी मामलों में धारा 23 के उपबंधों के अध्यधीन होगा।

102. Recovery of sums due to Government.— (1) All sums due from a co-operative society or from an officer or member or past member of a co-operative society as such to the Government including any costs awarded to the Government under any provision of this Act may, on a certificate issued by the Registrar in this behalf, be recovered in the same manner as arrears of land revenue.

(2) Sums due from a society to the Government and recoverable under subsection (1) may be recovered, firstly from the property of the society; secondly, in the case of a society the liability of the members of which is limited, from the members, past members, or the estates of deceased members, subject to the limit of their liability; and thirdly, in the case of other societies, from the members, past members or the estates of deceased members:

Provided that the liability of past members and the estates of deceased members shall in all cases be subject to the provisions of Section 23.

103. जो सम्पत्ति बेची न जा सके उसका अन्तरण— (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब धारा 99 के अधीन ऐसे आदेश के, जिसका निष्पादन चाहा गया है, निष्पादन में कोई सम्पत्ति क्रेताओं के अभाव में बेची न जा सके, यदि ऐसी सम्पत्ति व्यतिक्रमी या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के अधिभोग में हो या जो रजिस्ट्रार या धारा 4 के अधीन उसकी सहायतार्थ नियुक्त किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के, जिसे/जिन्हें ऐसे प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने की शक्ति प्रदान की गयी हो, के द्वारा धारा 99 के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् व्यतिक्रमी द्वारा सृजित किसी हक के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति के अधिभोग में हो तो, न्यायालय या, यथास्थिति, कलक्टर, रजिस्ट्रार की पूर्व सहमति से, यह निदेश दे सकेगा कि उक्त सम्पत्ति या उसका कोई भाग उस सोसाइटी को अंतरित कर दिया जाये जिसने उक्त आदेश के निष्पादन हेतु आवेदन किया है और यह कि उक्त सम्पत्ति या उसका भाग विहित रीति से सोसाइटी को परिदत्त कर दिया जाये।

(2) ऐसे नियमों के, जो इस निमित्त बनाये जायें, और किसी व्यक्ति के पक्ष में विधिपूर्वक अस्तित्वयुक्त किसी अधिकार, विल्लंगमों, भार या साम्याओं के अध्यधीन रहते हुए ऐसी सम्पत्ति/बंधकित सम्पत्ति या उसका भाग उक्त सोसाइटी द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन पर न्यायालय या, यथास्थिति, कलक्टर और उक्त सोसाइटी के बीच करार किया जाये, धारित किया जायेगा:

परन्तु रजिस्ट्रार द्वारा या धारा 4 के अधीन नियुक्त तथा ऐसे प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु सशक्त किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा धारा 99 के अधीन प्रमाण पत्र जारी किये जाने के पश्चात्, किया गया किसी सम्पत्ति का प्राइवेट अंतरण या, यथास्थिति, परिदान या उस पर कृत या सृजित विल्लंगम या भार, उस सोसाइटी के विरुद्ध अकृत और शून्य होगा।

103. Transfer of property which can not be sold.— (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, when in any execution of an order sought to be executed under Section 99, any property cannot be sold for want of buyers, if such property is in the occupancy of the defaulter or of some person on his behalf or of some person claiming under a title created by the defaulter subsequent to the issue of the certificate under Section 99 by the Registrar or any person or persons appointed to assist him under section 4, on whom the power to sign such certificate shall have been conferred, the court or the Collector, as the case may be, may with the previous consent of the Registrar, direct that the said property or any portion thereof shall be transferred to the society which has applied for the execution

of the said order and that the said property or the portion shall be delivered to the society in the prescribed manner.

(2) Subject to such rules as may be made in this behalf and to any right, encumbrances, charges or equities lawfully subsisting in favour of any person, such property/mortgaged property or portion thereof shall be held by the said society on such terms and conditions as may be agreed upon between the court or the Collector, as the case may be, and the said society :

Provided that any private transfer or delivery of, or encumbrance or charge on, the property made or created after the issue of the certificate by the Registrar or any person or persons appointed and empowered under Section 4 to sign such certificates, as the case may be, under Section 99 shall be null and void as against the said society.

अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन

Chapter-XIV

Appeals, Revision and Review

104. रजिस्ट्रार और राज्य सरकार को अपील किया जाना— (1) इस धारा के अधीन कोई अपील रजिस्ट्रार द्वारा पारित किसी आदेश या विनिश्चय के विरुद्ध राज्य सरकार को और रजिस्ट्रार के किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा या ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार की शक्तियां प्रदत्त या प्रत्यायोजित की गयी हैं, पारित किसी आदेश या विनिश्चय के विरुद्ध रजिस्ट्रार को हो सकेगी।

स्पष्टीकरण :— इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रार के अन्तर्गत धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार और इस धारा के अधीन रजिस्ट्रार की अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करने वाले अपर रजिस्ट्रार से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति नहीं होगा।

(2) कोई व्यक्ति जो—

- (क) रजिस्ट्रार के धारा 6 की उप-धारा (2) के अधीन सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण से इंकार करने वाले किसी आदेश से,
- (ख) रजिस्ट्रार के धारा 10 की उप-धारा (3) के अधीन किसी सहकारी सोसाइटी की उपविधियों के किसी संशोधन के रजिस्ट्रीकरण से इंकार करने वाले आदेश से,
- (ग) रजिस्ट्रार द्वारा धारा 12 की उप-धारा (2) के अधीन पारित इंकार के किसी आदेश से,
- (घ) धारा 28 की उप-धारा (4) के अधीन किसी विनिश्चय से,
- (ङ) रजिस्ट्रार द्वारा धारा 57 के अधीन किये गये अधिभार के किसी आदेश से,

(च) रजिस्ट्रार द्वारा धारा 61 के अधीन किये गये किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन का निदेश देने वाले आदेश से,

(छ) किसी सोसाइटी के समापक द्वारा, नियमों में विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में धारा 64 द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किये गये किसी आदेश से,

(ज) रजिस्ट्रार द्वारा धारा 100 के अधीन किये गये किसी आदेश से,

व्यथित हो, आदेश या विनिश्चय की तारीख से नब्बे दिन के भीतर-भीतर उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

(3) राज्य सरकार या, यथास्थिति, रजिस्ट्रार अभिलेख की अपेक्षा करने और अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, को पुष्ट, परिवर्तित या उलट सकेगा, या मामले को निपटारे के लिए ऐसे निदेशों के साथ प्रतिप्रेषित कर सकेगा जो वह उचित समझे।

(4) इस धारा के अधीन प्रस्तुत अपील की सुनवाई लम्बित रहने के दौरान राज्य सरकार या रजिस्ट्रार, यथास्थिति, न्याय के उद्देश्य की विफलता को रोकने के लिये ऐसे अन्तर्वर्ती आदेश पारित कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

104. Appeal to the Registrar and the State Government.— (1) An appeal may lie, under this section, to the State Government against an order or decision passed by the Registrar and to the Registrar against an order or decision passed by an officer subordinate to the Registrar or by any other person, to whom powers of the Registrar have been conferred or delegated under sub-section (2) of section 4.

Explanation :— For the purpose of this sub-section, Registrar shall not include any other person except the Registrar appointed by the State Government under sub-section (1) of section 4 and an Additional Registrar exercising the appellate powers of the Registrar under this section.

(2) Any person aggrieved by—

(a) an order of the Registrar made under sub-section (2) of section 6 refusing registration of a co-operative society,

(b) an order of the Registrar made under sub-section (3) of section 10 refusing registration of an amendment of the bye-laws of a co-operative society,

- (c) an order of refusal passed by the Registrar under sub-section (2) of section 12,
- (d) a decision under sub-section (4) of section 28,
- (e) an order of surcharge made by the Registrar under section 57,
- (f) an order made by the Registrar under section 61, directing the winding up of a co-operative society,
- (g) an order made by the Liquidator of a society, in exercise of the powers conferred on him by section 64 with respect to matters specified in the rules,
- (h) an order made by the Registrar under section 100,

may, within ninety days from the date of order or decision, appeal to the authority specified under sub-section (1).

(3) The State Government or the Registrar, as the case may be, may, after calling for the record and giving the appellant an opportunity of being heard, confirm, vary or reverse the order appealed against, or remand the case for disposal with such directions as it thinks fit.

(4) pending an appeal under this section, the State Government or the Registrar, as the case may be, may make such interlocutory orders as he may think fit in the interest of justice.

105. अधिकरण का गठन और उसको अपीलें— (1) सरकार इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का पालन करने के लिए 'राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण' के नाम से अधिकरण गठित करेगी।

(2) अधिकरण में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(3) अधिकरण का अध्यक्ष चयन ग्रेड के जिला और सत्र न्यायाधीश की रैंक का राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा का कोई अधिकारी होगा।

(4) अधिकरण का एक सदस्य राजस्थान राज्य सहकारी सेवा का कोई अतिरिक्त रजिस्ट्रार होगा।

(5) अधिकरण का दूसरा सदस्य कोई पारंगत अधिवक्ता होगा, जिसे सहकारी विधि में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो अथवा सहकारी क्षेत्र में कम से कम 20 वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई ऐसा सहकारसेवी होगा, जो विधि स्नातक हो एवं जो राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर की सहकारी सोसाइटियों में कम से कम दो बार पदाधिकारी रहा हो।

(6) अधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य, अधिवार्षिकी की आयु के अध्यक्षीन रहते हुए, साधारणतया पांच वर्ष की कालावधि के लिए नियुक्त किये जायेंगे। अधिवक्ता सदस्य, साठ वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात्, अधिकरण का सदस्य नहीं बना रहेगा।

(7) अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें और चयन की प्रक्रिया ऐसी होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जावे।

(8) अधिकरण की सदस्यता में की आकस्मिक रिक्ति से भिन्न कोई रिक्ति सरकार द्वारा भरी जायेगी।

(9) अधिकरण, सरकार की पूर्व मंजूरी के अध्यक्षीन रहते हुए, अपनी प्रक्रिया विनियमित करने और अपने कारबार का निपटारा करने के लिए इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से संगत विनियम बनायेगा। विनियम, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(10) कोई व्यक्ति जो—

(क) किसी सहकारी सोसाइटी की समिति के किसी सदस्य को धारा 30 के अधीन हटाने वाले किसी आदेश या समिति के निर्वाचन या नियुक्ति से किसी सदस्य को धारा 28 की उप-धारा (5) के अधीन विवर्जित करने वाले किसी आदेश से; या

(ख) रजिस्ट्रार के धारा 60 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन किये गये किसी विनिश्चय से; या

(ग) सरकार द्वारा धारा 60 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन उस निमित्त शक्तियों से विनिहित व्यक्ति के किसी विनिश्चय से; या

(घ) किसी मध्यस्थ के धारा 60 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन के किसी अधिनिर्णय से; या

(ङ) ऐसे किसी भी विनिश्चय या अधिनिर्णय के, जो धारा 60 के अधीन किया जाये, निष्पादन में किसी विलम्ब या बाधा का निवारण करने की दृष्टि से धारा 102 के अधीन किये गये किसी आदेश से; या

(च) राज्य सरकार या, यथास्थिति, रजिस्ट्रार द्वारा धारा 104 के अधीन की गयी किसी अपील में पारित किसी विनिश्चय से,

व्यथित है, ऐसे विनिश्चय, अधिनिर्णय या, यथास्थिति, आदेश की तारीख से नब्बे दिन के भीतर-भीतर अधिकरण को अपील कर सकेगा।

स्पष्टीकरण:— इस अधिनियम के अधीन किसी अपील की सुनवाई करने वाले अधिकरण को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) की धारा 97 और प्रथम अनुसूची के आदेश 41 द्वारा किसी अपील न्यायालय को प्रदत्त समस्त शक्तियां होंगी।

(11) उप-धारा (10) के अधीन सुनवाई के लम्बित रहने के दौरान अधिकरण न्याय के उद्देश्य की विफलता को रोकने के लिये ऐसे अन्तर्वर्ती आदेश पारित कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

105. Constitution of and appeals to the Tribunal.— (1) The Government shall constitute a Tribunal, called "Rajasthan State Co-operative Tribunal", to exercise the powers and to carry out the functions conferred on the Tribunal by or under this Act.

(2) The Tribunal shall consist of a Chairman and two other members to be appointed by the State government.

(3) The Chairman of the Tribunal shall be an officer of the Rajasthan Higher Judicial Service of the rank of District and Sessions Judge of selection grade.

(4) One member of the Tribunal shall be an Additional Registrar of the Rajasthan State Co-operative Service.

(5) Another member of the Tribunal shall be either a distinguished advocate who has atleast 15 years experience in the Co-operative Law, or a co-operator, who has atleast 20 years experience in the field of co-operation and is a law graduate and has hold an office in any of the State or National Level Co-operative Societies for not less than two times.

(6) The Chairman and members of the Tribunal shall ordinarily, subject to the attainment of the age of superannuation, be appointed for a period of five years. The advocate member shall not continue to be the member of the Tribunal after attaining the age of sixty years.

(7) The other conditions of service and procedure for selection of the Chairman and Members of the Tribunal shall be such as may be prescribed by the State Government from time to time.

(8) Any vacancy other than a casual vacancy in the membership of the Tribunal shall be filled by the Government.

(9) Subject to the previous sanction of the Government, the Tribunal shall frame regulations consistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder, for regulating its procedure and the disposal of its business. The regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(10) Any person aggrieved by-

- (a) an order removing a member of the committee of a co-operative society under section 30 or an order debarring a member from election or appointment to a Committee under sub-section (5) of section 28, or
- (b) any decision of the Registrar made under clause (a) of sub-section (1) of section 60, or
- (c) any decision of the person invested by the Government with powers in that behalf under clause (b) of sub-section (1) of section 60, or
- (d) any award of an Arbitrator under clause (c) of sub-section (1) of section 60, or
- (e) any order made under section 102 with a view to prevent any delay or obstruction in the execution of any decision or award that may be made under section 60,
- (f) any decision passed by the State Government or the Registrar, as the case may be, in an appeal made under section 104,

may within ninety days from the date of the decision, award or order, as the case may be, appeal to the Tribunal.

Explanation :— The Tribunal hearing an appeal under this Act shall exercise

all the powers conferred upon an appellate court by section 97 and order XLI in the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908).

(11) pending an appeal under sub-section (10), the Tribunal may make such interlocutory orders, as it may think fit in the interest of justice.

106. अधिकरण द्वारा आदेशों का पुनर्विलोकन— (1) अधिकरण, या तो रजिस्ट्रार के आवेदन पर या किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर, किसी भी मामले में अपने स्वयं के आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे:-

परन्तु ऐसा कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि अधिकरण का इस बात से कि ऐसी किसी नयी और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चला है जो सम्यक् तत्परता बरतने के पश्चात् उस समय जब आदेश किया गया था, आवेदक की जानकारी में नहीं था या उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका था या कि अभिलेख से प्रकट कोई भूल या गलती है या किसी भी अन्य पर्याप्त कारण से समाधान नहीं हो जाये:

परन्तु यह और कि इस उप-धारा के अधीन कोई ऐसा आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि समस्त हितबद्ध पक्षकारों को नोटिस नहीं दे दिया गया हो और उनको सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो।

(2) किसी पक्षकार द्वारा उप-धारा (1) के अधीन पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन अधिकरण के आदेश से संसूचित होने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर-भीतर किया जायेगा।

106. Review of orders by Tribunal.— (1) The Tribunal may either on the application of the Registrar or on the application of any party interested, review its own order in any case and pass in reference thereto such order as it thinks fit :

Provided that no such application shall be entertained unless the Tribunal is satisfied that there has been a discovery of new and important matter or evidence which after the exercise of due diligence was not within the knowledge of the applicant or could not be produced by him at the time when its order was made or that there has been some mistake or error apparent on the face of the record or for any other sufficient reason :

Provided further that no such order shall be made under this sub-section unless notice has been given to all interested parties and they have been given a reasonable opportunity of being heard.

(2) An application for review under sub-section (1) by any party shall be made within ninety days from the date of the communication of the order of the Tribunal.

107. सरकार और रजिस्ट्रार की पुनरीक्षण की शक्ति— (1) रजिस्ट्रार, ऐसे मामले में, जिसमें कार्रवाई रजिस्ट्रार के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा की गयी है और राज्य सरकार, ऐसे मामले में, जिसमें कार्रवाई रजिस्ट्रार द्वारा की गयी है, किसी भी जांच या ऐसे सभी मामलों की कार्रवाइयों के जिनमें इस अधिनियम के अधीन कोई कार्रवाई की गई है, उन मामलों को छोड़कर जिनमें अपील अधिकरण को होती है, किसी विनिश्चय या पारित आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में और ऐसे अधिकारी की कार्रवाइयों की नियमितता के बारे में, स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के किसी आवेदन पर, स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए अभिलेख मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी। यदि, किसी मामले में, राज्य सरकार या रजिस्ट्रार को ऐसा प्रतीत हो कि इस प्रकार मंगाये गये किसी विनिश्चय, या आदेश या कार्रवाइयों को उपांतरित, बातिल या उलटा जाना चाहिए तो राज्य सरकार या, यथास्थिति, रजिस्ट्रार प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह न्यायसंगत समझे :

परन्तु इस धारा के अधीन शक्तियों के प्रयोग के लिए रजिस्ट्रार या राज्य सरकार को प्रत्येक आवेदन ऐसी तारीख से नब्बे दिन के भीतर-भीतर किया जायेगा जिसको आवेदन से संबंधित कार्रवाइयों, विनिश्चय या आदेश से आवेदक को संसूचित किया गया था:

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रार इस उप-धारा के अधीन की शक्तियों का प्रयोग ऐसे मामले में नहीं करेगा जिसमें इस अधिनियम के अधीन अपील उसको होती है।

स्पष्टीकरण :— इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिए नियुक्त और रजिस्ट्रार को समस्त या किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रार का अधीनस्थ समझा जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन सुनवाई के लंबित रहने के दौरान, राज्य सरकार या रजिस्ट्रार, न्याय के उद्देश्य की विफलता को रोकने के लिए ऐसे अंतर्वर्ती आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे।

107. Power of revision of the Government and the Registrar.— (1) The Registrar, in case where action has been taken by any officer subordinate to the Registrar and the State Government, in case where action has been taken by the Registrar, may, on their own motion or on an application of any aggrieved person, call for and examine the record of any inquiry or the proceedings of all such matters in which an action has been taken under this Act, except those in which an appeal

lies to the Tribunal, for the purpose of satisfying themselves as to the legality or propriety of any decision or order passed, and as to the regularity of the proceedings of such officer. If in any case, it appears to the State Government or the Registrar, that any decision or order or proceeding so called for should be modified, annulled or reversed, the State Government or the Registrar, as the case may be, may after giving persons affected a reasonable opportunity of being heard, pass such order thereon as it or he thinks just :

Provided that every application to the Registrar or the State Government for the exercise of the powers under this section shall be preferred within ninety days from the date on which the proceedings, decision or order to which the application relates was communicated to the applicant :

Provided further that the Registrar shall not exercise the powers under this sub-section in case in which an appeal lies to him under this Act.

Explanation :— For the purpose of this sub-section, every person appointed to assist the Registrar and exercising all or any of the powers of the Registrar under sub-section (2) of section 4, shall be deemed subordinate to the Registrar.

(2) Pending the hearing under sub-section (1), the State Government or the Registrar may pass such interlocutory order as it or he thinks fit to prevent the ends of justice from being defeated.

□ □

अपराध और शास्तियां

Chapter-XV

Offences and Penalties

108. 'सहकारी' शब्द के दुरुपयोग का प्रतिषेध— (1) सहकारी सोसाइटी से भिन्न कोई व्यक्ति ऐसे किसी नाम या अभिनाम से, जिसका किसी भारतीय भाषा में 'सहकारी' या इसका कोई समानार्थक शब्द भाग हो, व्यापार या कारबार नहीं चलायेगा।

(2) उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक हो सकेगा और अपराध चालू रहने की दशा में, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसको दोषसिद्धि के पश्चात् अपराध चालू रहता है, एक सौ रुपये के और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

108. Prohibition against misuse of the word 'Co-operative'.— (1) No person other than a co-operative society shall trade or carry on business under any name or title of which the word "co-operative" or its equivalent in any Indian language is a Part.

(2) Every person contravening the provisions of sub-section (1) shall on conviction, be punished with fine which may extend to five thousand rupees and in the case of a continuing offence, with a further fine of rupees one hundred for each day on which the offence is continued after conviction therefor.

109. अपराध और दण्ड— (1) इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित अपराध होंगे, यदि—

(क) कोई व्यक्ति धारा 38 की उप-धारा (2) के उल्लंघन में किसी सम्पत्ति को अंतरित करता है; या

- (ख) कोई सदस्य या उसका प्रत्याभूतिदाता या प्रतिभू या किसी मृत सदस्य का नामनिर्देशित, वारिस या विधिक प्रतिनिधि घोषणा में विनिर्दिष्ट किसी सम्पत्ति को धारा 39 के खण्ड (ग) के उत्पन्नन में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अन्यसंक्रांत करता है; या
- (ग) कोई नियोजक और प्रत्येक निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी या ऐसे नियोजक की ओर से कार्य करने वाला एजेंट जो पर्याप्त कारण के बिना धारा 41 के अधीन कटौतियां करने में असफल रहता है; या
- (घ) सहकारी सोसाइटी की कोई समिति या उसका कोई अधिकारी या सदस्य धारा 49 द्वारा अपेक्षित रीति से ऐसी सोसाइटी की निधियां निहित करने में असफल रहता है; या
- (ङ) कोई व्यक्ति जो, किसी सृजनाधीन सहकारी सोसाइटी के लिए शेयर धन या कोई अन्य धन एकत्र करता है, उस धन को समुचित कालावधि के भीतर-भीतर, सरकारी बचत बैंक में या किसी ऐसे अन्य बैंक में या बैंकिंग का व्यवसाय करने वाले ऐसे किसी व्यक्ति के पास, जो रजिस्ट्रार द्वारा इस प्रयोजन हेतु अनुमोदित हो, या नियमों द्वारा अनुज्ञात किसी अन्य ढंग से, जमा नहीं कराता है; या
- (च) कोई व्यक्ति, जो किसी सृजनाधीन सोसाइटी के लिए शेयर धन या कोई अन्य धन एकत्र करता है, इस प्रकार एकत्र निधि का, रजिस्ट्रीकृत होने वाली किसी सोसाइटी के नाम से कोई कारबार चलाने या व्यापार करने के लिए या अन्यथा उपयोग करता है; या
- (छ) किसी सोसाइटी की समिति, या उसका कोई अधिकारी या सदस्य धारा 25 की उप-धारा (1) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है; या
- (ज) किसी सहकारी सोसाइटी का कोई अधिकारी या सदस्य या कोई अन्य व्यक्ति, जिसके कब्जे में कोई सूचना, पुस्तकें तथा अभिलेख हों या जिसके कब्जे में होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता हो, या वह उन्हें कब्जे में रखने के लिए विधिक रूप से आबद्ध हो, सरकार या रजिस्ट्रार द्वारा धारा 30, 31, 54, 55, 60 या 63 के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसी सूचना देने या पुस्तकें तथा अभिलेख प्रस्तुत करने या उसे सहायता देने में असफल रहता है; या
- (झ) किसी सहकारी सोसाइटी का कोई अधिकारी ऐसी सोसाइटी की, जिसका वह अधिकारी है, पुस्तकें, अभिलेख, नकद, प्रतिभूति तथा अन्य सम्पत्तियां धारा 30 या 63 के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति को या उसके स्थान पर निर्वाचित या नियुक्त किसी अधिकारी को सौंपने में असफल रहता है; या
- (ञ) किसी सहकारी सोसाइटी की समिति या उसका कोई अधिकारी या सदस्य रजिस्ट्रार द्वारा

या इस निमित्त लिखित में उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अपेक्षित कार्य करने में या कोई सूचना देने में जानबूझकर उपेक्षा करता है या इन्कार करता है; या

- (ट) किसी सहकारी सोसाइटी की कोई समिति या उसका कोई अधिकारी या सदस्य जानबूझकर मिथ्या विवरणी देता है या मिथ्या सूचना देता है या समुचित लेखे रखने में असफल रहता है; या
- (ठ) किसी सहकारी सोसाइटी का कोई अधिकारी, सदस्य, एजेंट या सेवक धारा 54 की उप-धारा (2) की अपेक्षा का पालन करने में असफल रहता है; या
- (ड) किसी सोसाइटी का कोई अधिकारी या सदस्य धारा 60 के अधीन पारित विनिश्चय, अधिनिर्णय या आदेश का पालन करने में जानबूझकर असफल रहता है; या
- (ढ) किसी सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य ऐसी किसी संपत्ति का, जिस पर सोसाइटी का पूर्विक दावा है, कपटपूर्वक व्ययन करता है या कोई सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी या कोई व्यक्ति सोसाइटी को देय धन के संदाय से बचने के कपटपूर्ण आशय से अपनी सम्पत्ति का विक्रय, अंतरण, बंधक, दान द्वारा या अन्यथा व्ययन करता है; या
- (ण) किसी सहकारी सोसाइटी का कोई अधिकारी अपने व्यक्तिगत उपयोग या फायदे के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसमें उसकी रुचि है, उपयोग या फायदे के लिए किसी अन्य व्यक्ति के नाम से उधार देने की जानबूझकर सिफारिश करता है या मंजूरी देता है; या
- (त) किसी सोसाइटी का कोई अधिकारी या सदस्य किन्हीं पुस्तकों, कागज-पत्रों या प्रतिभूतियों को नष्ट करता है, विकृत करता है, बिगाड़ता है या अन्यथा परिवर्तित करता है, मिथ्याकरण करता है या छिपाता है या उनके नाश, विकृति, परिवर्तन, मिथ्याकरण या छिपाये जाने में संसर्गी बनता है या सोसाइटी के किसी रजिस्टर, लेखा पुस्तक या दस्तावेज में कोई मिथ्या या कपटपूर्ण प्रविष्टि करता है या किये जाने में संसर्गी बनता है; या
- (थ) किसी सहकारी सोसाइटी का कोई अधिकारी या सदस्य या कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है जिसे नियमों द्वारा अपराध घोषित किया गया हो; या
- (द) सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, धारा 30 की उप-धारा (4) या धारा 34 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित अनुरोध राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को संसूचित करने में असफल रहता है।

स्पष्टीकरण :— इस धारा के प्रयोजन के लिए, इस धारा में निर्दिष्ट अधिकारी या सदस्य के

अन्तर्गत, भूतपूर्व अधिकारी या, यथास्थिति, भूतपूर्व सदस्य भी है।

(2) प्रत्येक सोसाइटी, किसी सोसाइटी का प्रत्येक अधिकारी या भूतपूर्व अधिकारी, सदस्य या भूतपूर्व सदस्य, कर्मचारी या भूतपूर्व कर्मचारी या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति, जो उप-धारा (1) के अधीन कोई अपराध करता है, दोषसिद्धि पर, निम्न प्रकार से दण्डित किया जायेगा,-

- (क) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से;
- (ख) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से;
- (ग) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन अपराध हो तो ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा;
- (घ) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन अपराध हो तो ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा;
- (ङ) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन अपराध हो तो ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा;
- (च) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (च) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से;
- (छ) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (छ) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा;
- (ज) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा;
- (झ) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (झ) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा;

- (ज) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा;
- (ट) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ट) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा;
- (ठ) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ठ) के अधीन अपराध हो तो ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा;
- (ड) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ड) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो पाँच हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से;
- (ढ) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ढ) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से;
- (ण) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ण) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो पाँच हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से;
- (त) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (त) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से;
- (थ) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (थ) के अधीन अपराध हो तो ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा;
- (द) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (द) के अधीन अपराध हो तो ऐसे जुर्माने से, जो पाँच हजार रुपये तक का हो सकेगा।

109. Offences and punishment.— (1) It shall be an offence under this Act, if—

- (a) any person transfers any property in contravention of sub-section (2) of section 38; or
- (b) any member or his guarantor or surety or the nominee, heir or legal

representative of deceased member alienates the whole or any part of any property specified in the declaration in contravention of clause (c) of section 39; or

- (c) any employer and every director, manager, secretary or other officer or agent acting on behalf of such employer who without sufficient cause, fails to make deductions under section 41; or
- (d) a committee of a co-operative society or an officer or member thereof fails to invest funds of such society in the manner required by section 49; or
- (e) any person collecting share money or any other money for a co-operative society in formation, does not, within a reasonable period, deposit the same in the Government Savings Bank or with any bank or person carrying on the business of banking approved for this purpose by the Registrar or in any other mode permitted by the rules; or
- (f) any person, collecting the share money or any other money for a society in formation makes use of the funds so raised for conducting any business or trading in the name of a society to be registered or otherwise; or
- (g) a committee of a society, or an officer or member thereof, fails to comply with the provisions of sub-section (1) of section 25; or
- (h) any officer or member of a co-operative society or any other person in possession of, or reasonably believed to be in possession of, or legally bound to keep in possession, any information, books and records, fails to furnish such information or produce books and records, or to give assistance to person appointed or authorised by the Government or the Registrar under sections 30, 31, 54, 55, 60 or 63; or
- (i) any officer of a co-operative society fails to handover the custody of books, records, cash, security and other properties belonging to the society of which he is an officer to a person appointed under section 30 or 63, or to an officer elected or appointed in his place; or
- (j) a committee of a co-operative society or an officer or member thereof

wilfully neglects or refuses to do any act, or to furnish any information required for the purpose of this Act by the Registrar, or other person duly authorised by him in writing in this behalf; or

- (k) a committee of a co-operative society, or an officer or member thereof, wilfully makes a false return, or furnishes false information, or fails to maintain proper accounts; or
- (l) any officer, member, agent or servant of a co-operative society fails to comply with the requirement of sub-section (2) of section 54; or
- (m) any officer or member of a society wilfully fails to comply with any decision, award or order passed under section 60; or
- (n) a member of a co-operative society fraudulently disposes of property over which the society has a prior claim, or a member or officer or employee or any person disposes of his property by sale, transfer, mortgage, gift or otherwise, with the fraudulent intention of evading the dues of the society; or
- (o) any officer of a co-operative society wilfully recommends or sanctions for his personal use or benefit or for the use or benefit of a person in whom he is interested, a loan in the name of any other person; or
- (p) any officer or member of a society destroys, mutilates, tampers with, or otherwise alters, falsifies or secrets, or is privy to the destruction, mutilation, alteration, falsification or secreting of any books, papers or securities or makes, or is privy to the making of any false or fraudulent entry in any register, book of account or document belonging to the society; or
- (q) any officer or member of a co-operative society, or any person does any act declared by the rules to be an offence; or
- (r) the Chief Executive Officer of the society fails to communicate the request to the State Co-operative Election Authority, as required under sub-section (4) of section 30 or sub-section (1) of section 34.

Explanation :— For the purpose of this section an officer or a member

referred to in this section shall include a past officer or a past member, as the case may be.

(2) Every society, officer or past officer, member or past member, employee or past employee of a society, or any other person, who commits an offence under sub-section (1) shall, on conviction, be punished,-

- (a) if it is an offence under clause (a) of sub-section (1), with imprisonment of a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both;
- (b) if it is an offence under clause (b) of sub-section (1), with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both;
- (c) if it is an offence under clause (c) of sub-section (1), with a fine which may extend to five thousand rupees;
- (d) if it is offence under clause (d) of sub-section (1), with fine which may extend to five hundred rupees;
- (e) if it is an offence under clause (e) of sub-section (1), with fine which may extend to five hundred rupees;
- (f) if it is an offence under clause (f) of sub-section (1), with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both;
- (g) if it is an offence under clause (g) of sub-section (1), with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to one year and with fine which may extend to two thousand rupees;
- (h) if it is an offence under clause (h) of sub-section (1), with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to one year and with fine which may extend to five thousand rupees;
- (i) if it is an offence under clause (i) of sub-section (1), with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend

to one year and with fine which may extend to five thousand rupees;

- (j) if it is an offence under clause (j) of sub-section (1), with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to one year and with fine which may extend to two thousand rupees;
- (k) if it is an offence under clause (k) of sub-section (1), with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to one year and with fine which may extend to two thousand rupees;
- (l) if it is an offence under clause (l) of sub-section (1), with fine which may extend to one thousand rupees;
- (m) if it is an offence under clause (m) of sub-section (1), with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both;
- (n) if it is an offence under clause (n) of sub-section (1), with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both;
- (o) if it is an offence under clause (o) of sub-section (1), with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both;
- (p) if it is an offence under clause (p) of sub-section (1), with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both;
- (q) if it is an offence under clause (q) of sub-section (1), with fine which may extend to two thousand rupees;
- (r) if it is an offence under clause (r) of sub-section (1), with fine which may extend to five thousand rupees.

110. अपराधों का संज्ञान— (1) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन के किसी भी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के लिए धारा 109 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन किये गये अपराध के लिए सिद्धदोष किसी व्यक्ति के संबंध में धारा 109 की उप-धारा (2) के अधीन यथा-उपबंधित जुर्माने का दण्डादेश उक्त संहिता की धारा 29 के अधीन उसकी शक्तियों के आधिक्य में पारित करना विधिपूर्ण होगा।

(3) धारा 109 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन किसी अपराध के मामले में सरकार की और इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य अपराध के मामले में रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान की पूर्व मंजूरी के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन कोई भी अभियोजन प्रारंभ नहीं किया जायेगा। ऐसी मंजूरी सरकार के साधारण या विशेष आदेश से इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा या, यथास्थिति, रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान द्वारा, संबंधित पक्ष की सुनवाई के पश्चात् के सिवाय नहीं दी जायेगी।

110. Cognizance of offences.—(1) No court inferior to that of a Magistrate of the First Class shall try any offence under this Act.

(2) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974), it shall be lawful for a Magistrate of the First Class to pass a sentence of fine on any person convicted of an offence under clause (b) of sub-section (1) of section 109 as provided under sub-section (2) thereof in excess of his powers under section 29 of that Code.

(3) No prosecution under this Act shall be initiated, except with the previous sanction of the Government in the case of an offence under clause (c) of sub-section (1) of section 109 and of the Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan in the case of any other offence under this Act. Such sanction shall not be given, except after hearing the party concerned, by an officer authorised in this behalf by the Government by a general or special order, or by the Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan as the case may be.

□ □

अध्याय-16

प्रकीर्ण

Chapter-XVI Miscellaneous

111. सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण— (1) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने अधिकारियों, कार्मिकों और सदस्यों के लिए सोसाइटी की आधारभूत आवश्यकताओं से संबंधित सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था करे, और इस प्रयोजन के लिए वह अपने बजट में पर्याप्त व्यवस्था करेगी।

(2) रजिस्ट्रार, परिसंघीय निकायों, यदि कोई हों, तथा राजस्थान राज्य सहकारी संघ के साथ समन्वय करके, राज्य की विभिन्न सहकारी सोसाइटियों के लिए सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए कार्य योजना तैयार करेगा। रजिस्ट्रार, ऐसी योजना को राज्य के सहकारी संघ या ऐसी किसी शिक्षा और प्रशिक्षण संस्था के माध्यम से कार्यान्वित करेगा जिसके पास ऐसी योजना कार्यान्वित करने के लिए विशेषज्ञता/संसाधन हों।

111. Co-operative education and training.— (1) It shall be the duty of each co-operative society to arrange co-operative education and training relating to basic needs of the institution, for its officers, personnel and members, and for this purpose it shall provide for sufficiently in its annual budget.

(2) The Registrar shall prepare working plan for co-operative education and training for various co-operative institutions of the State in coordination with federal bodies, if any, and the Rajasthan State Co-operative Union. The Registrar shall implement such plan through co-operative union of the State or any such education and training institution, which has expertise/resources for implementing such plan.

112. सदस्यों का दिवाला— दिवाले के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सदस्य द्वारा सोसाइटी को देय राशि का स्थान उसके विरुद्ध दिवाले की कार्यवाहियों में, पूर्विकता क्रम में, उसके द्वारा सरकार को संदेय रकम के पश्चात् होगा।

112. Insolvency of members.— Notwithstanding anything contained in any law relating to insolvency for the time being in force, the dues of society from a member, in insolvency proceedings against him, shall rank in order of priority next to the dues payable by him to Government.

113. सदस्यों का पुस्तकें आदि देखने का अधिकार— (1) सहकारी सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य, सोसाइटी के कार्यालय में, कार्य के लिए नियत समय में या सोसाइटी द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियत किसी समय पर, इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों की प्रति, अंतिम लेखापरीक्षित वार्षिक तुलनपत्र, लाभ और हानि के लेखे, समिति के सदस्यों की सूची, सदस्यों के रजिस्टर, साधारण बैठकों के कार्यवृत्त, समिति की बैठकों के कार्यवृत्त और पुस्तकों और अभिलेखों के ऐसे भाग, जिनमें सोसाइटी के साथ उसके संव्यवहार अभिलिखित किये गये हों, का निःशुल्क निरीक्षण करने का हकदार होगा।

(2) सोसाइटी किसी सदस्य को उसका लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर और उसके लिए ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो विहित की जाये, उप-धारा (1) में उल्लिखित किसी दस्तावेज की प्रति, ऐसी फीस के संदाय की तारीख से सात दिवस के भीतर-भीतर देगी।

113. Rights of members to see books, etc.— (1) Every member of a co-operative society shall be entitled to inspect, free of cost, at the society's office during office hours, or at any time fixed for the purpose by the society, copy of this Act, the rules and the bye-laws, the last audited annual balance sheet, the profit and loss account, the list of the members of the committee, the register of members, the minutes of general meetings, minutes of committee meetings, and those portions of the books and records in which his transactions with the society have been recorded.

(2) A society shall furnish to a member, on request in writing, and on payment of such fees as may be prescribed therefor, a copy of any of the documents mentioned in sub-section (1) within seven days from the date of payment of such fees.

114. सहकारी सोसाइटी की पुस्तकों में की गयी प्रविष्टियों का प्रमाण— (1) कोई सहकारी सोसाइटी उसके कारबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखे या अभिप्राप्त किये गये सोसाइटी के किसी भी दस्तावेज की या पुस्तकों में की किसी प्रविष्टि की प्रति दे सकेगी और ऐसी प्रति यदि ऐसी रीति

से, जो विहित की जाये, प्रमाणित हो तो किसी वाद या विधिक कार्यवाहियों में या किसी भी अन्य प्रयोजन में ऐसे दस्तावेज या प्रविष्टि के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी और उसमें अभिलिखित विषयों, संव्यवहारों और लेखाओं के साक्ष्य के रूप में उसी रीति से और उसी सीमा तक ग्राह्य होगी, जिससे और जिस तक मूल दस्तावेज या प्रविष्टि स्वयं ग्राह्य हैं।

(2) सहकारी सोसाइटी के किसी अधिकारी को और ऐसे किसी अधिकारी को, जिसके कार्यालय में समापन के पश्चात् सहकारी सोसाइटी की पुस्तकें जमा की जाती हैं, किसी भी विधिक कार्यवाही में, जिसमें सोसाइटी या समापक पक्षकार नहीं हैं, सोसाइटी की कोई भी पुस्तकें या दस्तावेज, जिनकी अन्तर्वस्तु इस धारा के अधीन साबित की जा सकती है, प्रस्तुत करने या उनमें अभिलिखित विषयों, संव्यवहारों और लेखाओं को साबित करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिये न्यायालय, अधिकरण या मध्यस्थ द्वारा विशेष कारण के आधार पर किये गये आदेश के सिवाय, बाध्य नहीं किया जायेगा।

114. Proof of entries in co-operative society's books.— (1) A co-operative society may grant a copy of any document or any entry in a book of a co-operative society regularly kept or obtained in the course of its business and such copy, if certified in such manner as may be prescribed, be received in any suit or legal proceedings or for any other purpose as *prima facie* evidence of such document or entry and shall be admitted as evidence of the matters, transactions and accounts therein recorded in the same manner and to the same extent as the original entry itself is admissible.

(2) No officer of a co-operative society and no officer in whose office the books of a co-operative society are deposited after liquidation shall, in any legal proceeding to which the society or the Liquidator is not a party, be compelled to produce any of the society's books or documents the contents of which can be proved under this section, or to appear as a witness to prove the matters, transactions and accounts therein recorded, except under order of the court, the Tribunal or the Arbitrator made for special cause.

115. सिविल न्यायालय की शक्तियां— (1) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन कृत्यों का पालन करने में अधिकरण, रजिस्ट्रार, मध्यस्थ या किसी विवाद का विनिश्चय करने वाले किसी व्यक्ति को और किसी सहकारी सोसाइटी के समापक को, वाद का विचारण करते समय, निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात् :-

- (क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
- (ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और उसे पेश किये जाने की अपेक्षा करना;
- (ग) शपथपत्रों द्वारा तथ्यों का सबूत देना; और
- (घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

(2) किसी शपथ पत्र की दशा में अधिकरण द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारी, रजिस्ट्रार, मध्यस्थ या किसी विवाद का विनिश्चय करने वाला कोई व्यक्ति या, यथास्थिति, समापक, अभिसाक्षी को शपथ दिला सकेगा।

(3) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा सशक्त किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा या उसकी कुर्की के बिना विक्रय द्वारा किसी रकम की वसूली के लिए इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय या ऐसी वसूली के लिए उसे किये गये किसी आवेदन पर कोई आदेश पारित करते समय या ऐसी वसूली की सहायतार्थ कोई कदम उठाते समय परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का केन्द्रीय अधिनियम 36) की प्रथम अनुसूची के अनुच्छेद 136 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

115. Powers of Civil Court.— (1) In performing the functions conferred on it by or under this Act, the Tribunal, the Registrar, the Arbitrator, or any other person deciding a dispute and the Liquidator of a co-operative society shall have all the powers of a civil court, while trying a suit, under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908), in respect of the following matters, namely :—

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of any document;
- (c) proof of facts by affidavits; and
- (d) issuing commissions for examination of witnesses.

(2) In the case of any affidavit, any officer appointed by the Tribunal, the Registrar, the Arbitrator, or any other person deciding a dispute or the Liquidator, as the case may be, in this behalf may administer the oath to the deponent.

(3) The Registrar or any person empowered by him shall be deemed, when

exercising any powers under this Act for the recovery of any amount by the attachment and sale or by sale without attachment of any property, or when passing any orders on any application made to him for such recovery or for taking a step-in-aid of such recovery, to be a civil court for the purposes of Article 136 of the First Schedule to the Limitation Act, 1963 (Central Act 36 of 1963).

116. रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों का लोक सेवक होना— रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई व्यक्ति, धारा 54 के अधीन किसी सोसाइटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिए, या धारा 55 के अधीन कोई जांच करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति और धारा 30 के अधीन प्रशासक के रूप में या धारा 60 के अधीन मध्यस्थ के रूप में या धारा 63 के अधीन समापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

116. Registrar and other officers to be public servants.— The Registrar, a person exercising the powers of the Registrar, a person authorised to audit the accounts of a society under section 54, or to hold an inquiry under section 55, and a person appointed as an Administrator under section 30, or as an Arbitrator under section 60, or as a Liquidator under section 63, shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860).

117. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन— (1) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी सिविल या राजस्व न्यायालय को निम्नलिखित के संबंध में कोई अधिकारिता नहीं होगी:-

- (क) किसी सहकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण या किसी उपविधि का संशोधन; और
- (ख) किसी समिति को हटाना; और
- (ग) किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन और विघटन से संबंधित या समापनाधीन किसी सोसाइटी के कारबार से संबंधित कोई भी मामला।

(2) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किये गये आदेश, विनिश्चय या अधिनिर्णय को किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार के किसी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

117. Bar of Jurisdiction of Courts.— (1) Save as provided in this Act, no civil or revenue court shall have any jurisdiction in respect of,—

- (a) the registration of a co-operative society or of an amendment of a bye-law;
- (b) the removal of a committee; and
- (c) any matter concerning the winding up and the dissolution of a co-operative society or concerning the business of a society under liquidation.

(2) Save as provided in this Act, no order, decision or award made under this Act shall be questioned in any court on any ground whatsoever.

118. विधि व्यवसायी के लिए वर्जन— तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी विधि व्यवसायी इस अधिनियम के अधीन, अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या धारा 109 के अन्तर्गत किसी अपराध के अभियोजन के सिवाय किसी भी कार्यवाही में किसी भी पक्षकार की ओर से उपसंजात नहीं होगा।

118. Bar to Legal Practitioner.— Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no legal practitioner shall appear on behalf of any party in any proceeding, other than an appeal, a revision, a review or prosecution of an offence under section 109, under this Act.

119. अधिनियम के अधीन नोटिस की तामील— इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये प्रत्येक नोटिस या किये गये प्रत्येक आदेश की किसी व्यक्ति पर तामील, ऐसे व्यक्ति के आवास या कारबार के अंतिम ज्ञात स्थान का उचित रूप से पता लिखकर नोटिस या आदेश से युक्त एक पत्र, डाक व्यय की पूर्व अदायगी करके, रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजकर, या उसके अंतिम ज्ञात पते वाले क्षेत्र में व्यापक परिचालन वाले हिन्दी समाचार पत्र में ऐसे नोटिस या आदेश के प्रकाशन द्वारा की जा सकेगी और जब तक तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, ऐसी तामील, उस समय, जब ऐसा पत्र सामान्य अनुक्रम में परिदत्त हो जाता है या, यथास्थिति, समाचार पत्र में प्रकाशन की तारीख को, प्रभावी हुई समझी जायेगी।

119. Service of notice under the Act.— Every notice or order issued or made under this Act may be served on any person, by properly addressing it to the last known place of residence or business of such person prepaying and posting by registered post a letter containing the notice or order, or by publication of such notice or order in a Hindi newspaper having wide circulation in the area of his last known address and unless the contrary is proved, such service shall be deemed to have been effected at the time at which the letter would be delivered in the ordinary course or,

as the case may be, on the date of publication of the news paper.

120. सहकारी सोसाइटियों के कार्यों का कतिपय त्रुटियों के कारण अविधिमान्य नहीं होना— किसी भी सहकारी सोसाइटी या किसी भी समिति का या किसी भी अधिकारी का कोई कार्य केवल सोसाइटी या समिति के गठन में या किसी अधिकारी की नियुक्ति या निर्वाचन में किसी त्रुटि या विलम्ब की विद्यमानता के कारण से या, इस आधार पर कि ऐसा अधिकारी उसकी नियुक्ति के लिए निरर्हित था, अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा।

120. Acts of co-operative societies not to be invalidated by certain defects.— No act of a co-operative society or any committee or of any officer shall be deemed to be invalid by reason only of the existence of any defect or delay in the constitution of the society or the committee or in the appointment or election of an officer or on the ground that such officer was disqualified for his appointment.

121. संरक्षण— इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या सद्भावपूर्वक की गयी तात्पर्यित किसी बात के संबंध में रजिस्ट्रार या उसके अधीनस्थ या उसके प्राधिकार से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या कोई विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

121. Indemnity.— No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Registrar or any person subordinate to him or acting on his authority in respect of anything in good faith done or purporting to have been done in good faith under this Act.

122. कतिपय अधिनियमों का लागू न होना— (1) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 1) के उपबंध सहकारी सोसाइटियों पर लागू नहीं होंगे।

(2) राजस्थान कृषि ऋणिता अवमुक्ति अधिनियम, 1957 में या राज्य के किसी भी भाग में तत्समय प्रवृत्त किसी तत्समान विधि में अंतर्विष्ट कोई बात सहकारी सोसाइटियों द्वारा इस अधिनियम के अधीन दिये गये उधारों पर लागू नहीं होगी।

122. Certain Acts not to apply.— (1) The provisions of the Companies Act, 1956 (Central Act 1 of 1956), shall not apply to co-operative societies.

(2) Nothing contained in the Rajasthan Relief of Agricultural Indebtedness Act, 1957 or any corresponding law for the time being in force in any part of the State shall apply to loans advanced by co-operative societies under this Act.

123. नियम बनाने की शक्ति— (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने हेतु सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए और सहकारी सोसाइटियों के किसी भी वर्ग के लिए, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, नियम बना सकेगी:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी नियम, यदि राज्य सरकार का यह विचार हो कि उसे तुरन्त प्रवृत्त किया जाना चाहिए, पूर्व प्रकाशन के बिना भी बनाया जा सकेगा।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:-

- (i) वह रीति जिससे किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जा सकेगा;
- (ii) सोसाइटियों के वर्ग, रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनार्थ न्यूनतम शेयर पूंजी, वह मानदण्ड जिसके आधार पर कोई सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी;
- (iii) आवेदक जिन्हें सहकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण नामंजूर करने वाला आदेश रजिस्ट्रार द्वारा भेजा जा सकेगा;
- (iv) सहकारी सोसाइटी के दायित्व के स्वरूप और सीमा में परिवर्तन के लिए प्रक्रिया और शर्तें;
- (v) किसी सहकारी सोसाइटी की सदस्यता के संबंध में अर्हताएं और निरर्हताएं;
- (vi) वह रीति जिससे किसी सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में किसी संशोधन के लिए या आस्तियों और दायित्वों के अन्तरण, उसके विभाजन और समामेलन के प्रस्ताव रजिस्ट्रार को अग्रेषित किये जायेंगे;
- (vii) किसी सहकारी सोसाइटी की किसी बैठक के अध्यक्ष द्वारा द्वितीय या निर्णायक मत के लिए उपबंध;
- (viii) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा किसी ऐसी अन्य सहकारी सोसाइटी की, जिसकी वह सदस्य है, बैठक में उसका प्रतिनिधित्व करने और उसकी ओर से मत देने के लिए अपने सदस्यों में से किसी एक की नियुक्ति;
- (ix) सदस्यों का प्रत्याहरण, हटाया जाना या निष्कासन, उन्हें किये जाने वाले संदाय, भूतपूर्व सदस्यों और मृत सदस्यों की संपदाओं के दायित्व;
- (x) ऐसे व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करने की प्रक्रिया जिसे किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसका शेयर या हित अंतरित किया जा सकेगा या उसका मूल्य संदत्त किया जा सकेगा;

- (xi) व्यक्तियों और स्थानीय प्राधिकारियों का वह वर्ग जिसे किसी सोसाइटी में नाममात्र के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकेगा; सोसाइटियों का वह वर्ग जिसमें किसी सदस्य के पति/पत्नी को किसी सहयुक्त सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकेगा;
- (xii) किसी हिन्दू संयुक्त कुटुम्ब के सदस्यों, और मृत सदस्यों के शेयर या हित विरासत में प्राप्त करने वाले अवयवकों और विकृतचित्त व्यक्तियों को सम्मिलित करने के लिए प्रक्रिया और उनके अधिकारों और दायित्वों के लिए उपबंध;
- (xiii) वह ढंग जिससे किसी मृत सदस्य के शेयर का मूल्य अभिनिश्चित किया जायेगा;
- (xiv) उधार के लिए आवेदन करने वाले सदस्यों द्वारा किये जाने वाले संदाय और अनुपालित की जाने वाली शर्तें, वह कालावधि जिसके लिए उधार दिये जा सकेंगे और वह रकम जो किसी एक व्यक्ति सदस्य को उधार दी जा सकेगी;
- (xv) रजिस्ट्रार के कार्यालय में दस्तावेजों का निरीक्षण और उनकी प्रमाणित प्रतियां देने के लिए फीस का उद्ग्रहण;
- (xvi) सदस्यों के रजिस्टर का, और जहां सदस्यों का दायित्व शेयरों द्वारा सीमित हो, वहां शेयरों के रजिस्टर और सदस्यों की सूची का पुष्टिकरण और अनुरक्षण;
- (xvii) यह उपबंध करना कि किसी सोसाइटी की शेयर पूंजी इस प्रकार उपलब्ध होगी जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि शेयरों का मूल्य बढ़े नहीं और आवश्यक पूंजी सोसाइटी की अपेक्षा के अनुसार उपलब्ध रहे;
- (xviii) वह रीति विनियमित करना जिससे किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग द्वारा शेयरों या डिबेंचरों के माध्यम से या अन्यथा निधियां जुटायी जा सकेंगी और इस प्रकार जुटायी गयी निधि की मात्रा;
- (xix) किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग द्वारा, विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के पेटे या प्रतिभूति के बिना दिये जाने वाले उधारों की सीमाएं तथा उधार देने की प्रक्रिया;
- (xx) उधार वापस लेने की रीति;
- (xxi) किसी ऋणेत्तर सोसाइटी या ऋणेत्तर सोसाइटियों के किसी वर्ग द्वारा ऋण देने की सीमाएं;
- (xxii) वह रीति जिससे किसी सोसाइटी के प्रतिनिधि साधारण निकाय का निर्वाचन किया जा सकेगा;
- (xxiii) सहकारी सोसाइटी की साधारण बैठक की अध्यक्षता करना और वह समय जिसके भीतर ऐसी साधारण बैठक बुलाई जायेगी;

- (xxiv) सदस्यों की साधारण बैठकें, ऐसी बैठकों की प्रक्रिया और ऐसी बैठकों द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली शक्तियां;
- (xxv) सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा समिति के सदस्यों का निर्वाचन;
- (xxvi) किसी समिति की सदस्यता के लिए अर्हताएं या निरर्हताएं;
- (xxvii) वे शर्तें, जिनमें किसी सहकारी सोसाइटी के किसी सदस्य को मत देने के लिए निरर्हित किया जा सकेगा;
- (xxviii) समिति के सदस्यों और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, निलम्बन, हटाया जाना, पदावधि और आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना तथा धारा 30 के अधीन प्रशासक की नियुक्ति और समिति की बैठक की प्रक्रिया तथा समिति, प्रशासक और अन्य अधिकारियों द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली शक्तियां और पालित किये जाने वाले कर्तव्य;
- (xxix) वह रीति जिससे किसी सहकारी सोसाइटी का निर्वाचन संचालित किया जायेगा;
- (xxx) ऐसे मामलों में, जिनमें किसी सोसाइटी की या ऐसी सोसाइटी की, जिसके कार्यकलापों के परिसमापन का आदेश रजिस्ट्रार द्वारा या ऐसा करने के हकदार किसी व्यक्ति द्वारा दे दिया गया हो, पुस्तकों, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकदी और अन्य सम्पत्तियों पर कब्जा करने का प्रतिरोध किया जाता है या बाधा डाली जाती है तब, रजिस्ट्रार द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया;
- (xxxi) ऐसे मामलों में, जिनमें निधियों का दुर्वित्तियोग, न्यास भंग या कपट किया गया है या जिनमें यह संदेह या आशंका हो कि पुस्तकों, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकदी और अन्य सम्पत्तियों में गड़बड़ी या नष्ट किये जाने या हटाये जाने की संभावना है, धारा 54, 55 और 56 के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा सोसाइटी की पुस्तकों, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकदी और अन्य सम्पत्तियों का कब्जा लेने में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया;
- (xxxii) सोसाइटी के प्रबंधक, सचिव, लेखाकार या किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी की अर्हताएं तथा अनुशासन और नियंत्रण को सम्मिलित करते हुए उनकी सेवा की शर्तें;
- (xxxiii) किसी सहकारी सोसाइटी के ऐसे अधिकारियों का प्रतिषेध जो सोसाइटी के साथ की संविदाओं में हितबद्ध हों;
- (xxxiv) वे शर्तें जिन पर किसी सोसाइटी के पक्ष में किये गये किसी भार की तुष्टि की जायेगी और वह सीमा जिस तक और वह क्रम जिसमें भारग्रस्त सम्पत्ति उसकी तुष्टि के लिए उपयोग में ली जायेगी और धारा 39 के अधीन की जाने वाली घोषणा का प्ररूप;

- (xxxv) धारा 39 के अधीन भार का युक्तियुक्त नोटिस;
- (xxxvi) वह प्रक्रिया जिससे कोई सहकारी सोसाइटी अपने डूबंत ऋणों की संगणना और उनका अपलेखन करेगी;
- (xxxvii) वह प्ररूप जिसमें धारा 41 के अधीन कोई करार निष्पादित किया जा सकेगा;
- (xxxviii) सहकारी सोसाइटियों में सरकार की प्रत्यक्ष तथा परोक्ष साझेदारी से संबंधित मामले;
- (xxxix) वह दर जिससे सहकारी सोसाइटियों द्वारा लाभांश का संदाय किया जा सकेगा;
- (xl) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा किसी वर्ष के अपने शुद्ध लाभ में से आरक्षित निधियों को अन्तरित किये जाने हेतु कालावधि, जिसके भीतर-भीतर ऐसा अन्तरण किया जायेगा;
- (xli) किसी सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण निधि का गठन और उस निधि में किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा अपने स्वयं के लाभों में से किया जाने वाला संदाय तथा उसके विनिधान का ढंग तथा उसकी प्रक्रिया;
- (xlii) किसी सहकारी सोसाइटी की निधियों के विनिधान का ढंग;
- (xliii) ऐसी भविष्य निधि का अनुरक्षण और प्रशासन जो किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा, उसके द्वारा नियोजित अधिकारियों और कर्मचारियों के फायदे के लिए स्थापित की जाये तथा ऐसी भविष्य निधि का प्रशासन;
- (xliv) किसी सहकारी सोसाइटी की आरक्षित निधि के उद्देश्य और उसके विनिधान का ढंग;
- (xlv) किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन पर उसकी आरक्षित निधि के व्ययन का ढंग;
- (xlvi) वह सीमा और शर्तें जिनके अध्याधीन रहते हुए कोई सहकारी सोसाइटी निक्षेप और उधार प्राप्त कर सकेगी;
- (xlvii) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा गैर-सदस्यों के साथ संव्यवहार किये जाने पर निर्बंधन;
- (xlviii) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा उसके शेयरों के विरुद्ध उधार मंजूर किये जाने पर निर्बंधन;
- (xlix) निक्षेप स्वीकार करने वाली तथा नकद ऋण देने वाली सहकारी सोसाइटियों द्वारा संधारित किये जाने वाले तरल संसाधनों का स्वरूप और स्तरमान;
- (l) सहकारी सोसाइटियों से लेखापरीक्षा फीस का उद्ग्रहण;
- (li) लेखापरीक्षा किये जाने की प्रक्रिया, वे मामले जिन पर लेखापरीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, वह प्ररूप जिसमें लेखा विवरण उसकी लेखापरीक्षा के लिए तैयार किया जायेगा, वे

सीमाएं जिनके भीतर-भीतर लेखापरीक्षक किसी सोसाइटी के धन संबंधी संव्यवहारों की परीक्षा कर सकेगा, लेखापरीक्षा-ज्ञापन तथा रिपोर्ट का प्ररूप;

- (lii) धारा 54 के अधीन लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया;
- (liii) धारा 55 के अधीन जांच करने के लिए प्रक्रिया और सिद्धांत;
- (liv) जांच और निरीक्षण के व्यय के प्रभाजन तथा धारा 57 के अधीन अपचारी संप्रवर्तकों के विरुद्ध नुकसानी के निर्धारण के लिए तथा व्यय और नुकसानी की वसूली के लिए प्रक्रिया;
- (lv) रजिस्ट्रार, मध्यस्थ या विवादों का विनिश्चय करने वाले अन्य व्यक्ति के समक्ष कार्यवाहियों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया;
- (lvi) वह प्ररूप जिसमें कोई विवाद रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट किया जायेगा;
- (lvii) आदेशिकाओं का जारी और तामील किया जाना और उनकी तामील साबित किये जाने का ढंग;
- (lviii) अधिनिर्णयों के निष्पादन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;
- (lix) वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए किसी सहकारी सोसाइटी की आस्तियां किसी समापक में निहित होंगी और किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया;
- (lx) वे मामले जिनमें धारा 63 के अधीन नियुक्त किसी समापक के आदेश से अपील हो सकेगी;
- (lxi) वह समय जिसके भीतर-भीतर, और वह रीति जिससे भूमि विकास बैंक धारा 78 के अधीन के फायदे लेने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को बंधक की लिखत की प्रति भेज सकेगा;
- (lxii) किसी सहकारी सोसाइटी को देय या संदेय रकमों की वसूली के लिए प्रक्रिया;
- (lxiii) वह रीति जिससे रजिस्ट्रार या कलक्टर धारा 88 की उप-धारा (1) के अधीन किये गये किसी आवेदन पर कार्रवाई कर सकेगा;
- (lxiv) निर्णय के पूर्व कुर्की करने का ढंग;
- (lxv) ऐसे दावों और आक्षेपों का अन्वेषण जो रजिस्ट्रार द्वारा की गयी कुर्की के विरुद्ध किये जायें;

- (lxvi) धारा 101 के अधीन कुर्क की गयी सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया;
- (lxvii) किसी भूमि विकास बैंक को बंधकित सम्पत्ति के करस्थम् और विक्रय की प्रक्रिया;
- (lxviii) ऐसी किसी सोसाइटी द्वारा, जिस पर अध्याय 12 लागू होता है, जारी किये गये डिबेंचरों के जारी किये जाने, मोचन, पुनः जारी किये जाने, अंतरण, प्रतिस्थापन या संपरिवर्तन की प्रक्रिया और शर्तें;
- (lxix) ऐसी किसी सोसाइटी द्वारा, जिस पर अध्याय 12 लागू होता है, जारी किये गये डिबेंचरों की प्रत्याभूति के लिए मूलधन की अधिकतम रकम, ब्याज की दर और अन्य शर्तें;
- (lxx) धारा 89 के अधीन विक्रय की क्रियान्विति के लिए किसी अधिकारी को अर्हताएं और नियुक्ति का ढंग और वे शक्तियां और कृत्य जिनका ऐसा अधिकारी प्रयोग कर सकेगा;
- (lxxi) धारा 89 के अधीन बंधकित सम्पत्ति या विक्रय के आगमों तथा आय के लिये प्राप्त की नियुक्ति, वे शर्तें जिनके अधीन वह नियुक्त किया जा सकेगा या हटाया जा सकेगा, वे शक्तियां जिनका वह प्रयोग कर सकेगा और वे कृत्य जिन्हें वह कर सकेगा और प्रबंध पर होने वाला व्यय तथा पारिश्रमिक जो वह प्राप्त कर सकेगा;
- (lxxii) वह प्रक्रिया जिसके अनुसार किसी भूमि विकास बैंक द्वारा बंधककर्ता के विरुद्ध धारा 89 के अधीन कार्रवाई की जा सकेगी;
- (lxxiii) अध्याय 12 के अधीन स्थावर सम्पत्ति के विक्रय के मामले में-
 - (क) विक्रय की उद्घोषणा तथा संचालन की प्रक्रिया और वे शर्तें जिनमें विक्रय के किसी प्रयत्न का परित्याग किया जा सकेगा;
 - (ख) विक्रय या प्रयत्नित विक्रय के आनुषंगिक व्ययों की संगणना का ढंग;
 - (ग) निक्षेप की प्राप्ति और विक्रय के आगमों के व्ययन की प्रक्रिया;
 - (घ) पुनः विक्रय के लिए प्रक्रिया जब किसी प्रयत्नित विक्रय का परित्याग कर दिया जाता है या क्रयधन विहित समय के भीतर-भीतर जमा नहीं कराया जाता है और ऐसे क्रेता के विरुद्ध उद्ग्रहणीय शास्ति जो क्रयधन जमा कराने में विफल रहता है;
 - (ङ) किसी भूमि विकास बैंक द्वारा धारा 91 के अधीन धन के व्ययन का प्रकार तथा ढंग;
 - (च) धारा 92 के अधीन किसी विक्रय प्रमाण-पत्र का प्ररूप;

- (छ) क्रय की गयी सम्पत्ति को धारा 92 के अधीन न्यायालय द्वारा क्रेता को परिदत्त किये जाने की प्रक्रिया;
- (ज) धारा 97 में निर्दिष्ट नोटिस का प्ररूप; और
- (झ) ऐसे नोटिस की तामील के लिए संदेय फीस और ऐसे नोटिस के तामील कराये जाने की रीति;
- (lxxiv) ऐसा समय जिसके भीतर-भीतर और ऐसी प्रक्रिया, जिसके अनुसार अध्याय 12 के अधीन स्थावर सम्पत्ति के विक्रय में किसी भूमि विकास बैंक द्वारा खरीदी गयी सम्पत्ति का बैंक द्वारा व्ययन किया जायेगा;
- (lxxv) प्रत्याभूति निधियों का गठन, अनुरक्षण और उपयोग, ऐसी दर जिस पर राज्य भूमि विकास बैंक और भूमि विकास बैंक प्रत्याभूति निधि में अभिदाय करेंगे;
- (lxxvi) वह रीति, जिससे धारा 103 के अधीन किसी सोसाइटी को अन्तरित किये जाने के लिए आदिष्ट सम्पत्ति या उसका कोई भाग किसी सोसाइटी को अन्तरित किया जायेगा;
- (lxxvii) अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें और चयन की प्रक्रिया;
- (lxxviii) अपीलें प्रस्तुत करने तथा उन्हें निपटाने हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया;
- (lxxix) इस अधिनियम या नियमों के अधीन संसूचित या प्रकाशित किये जाने के लिए अपेक्षित किसी आदेश, विनिश्चय या अधिनिर्णय को संसूचित या प्रकाशित करने का ढंग;
- (lxxx) किन्हीं भी नियमों के उल्लंघन संबंधी अपराध;
- (lxxxii) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा रखी जाने वाली लेखा पुस्तकें और रजिस्टर तथा लेखे तथा पुस्तकें अभिलिखित किये जाने का निर्देश देने की रजिस्ट्रार की शक्ति;
- (lxxxiii) किसी सहकारी सोसाइटी की पुस्तकों में की गयी प्रविष्टियों के और उसके द्वारा उसके कारबार के अनुक्रम में रखे जाने वाले दस्तावेजों की प्रतियों के प्रमाणीकरण की रीति;
- (lxxxiii) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण तथा विवरणियां;
- (lxxxiv) विधि व्यवसायी के रूप में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों पर निर्बंधन;
- (lxxxv) दस्तावेजों का निरीक्षण और उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियां मंजूर किये जाने के लिए किसी सहकारी सोसाइटी को संदेय फीस;
- (lxxxvi) रजिस्ट्रार द्वारा हटायी गयी किसी समिति के स्थान पर नियुक्त किसी प्रशासक को संदेय पारश्रमिक;

(lxxxvii) वे विषय जिनका विहित किया जाना इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से अपेक्षित या अनुज्ञात है या जिनके लिए नियम बनाये जा सकेंगे।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् इसके अधीन बनाये गये समस्त नियम और विनियम उनके बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन की ऐसी कुल कालावधि के लिए रखे जायेंगे जो एक सत्र या दो या अधिक उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, और यदि ऐसे सत्र जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या यथापूर्वोक्त उत्तरोत्तर सत्रों की समाप्ति के पूर्व, सदन नियमों या, यथास्थिति, विनियमों में कोई भी उपांतरण करने पर सहमत हो जाता है, या यह संकल्प करता है कि कोई नियम, या, यथास्थिति, विनियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो ऐसे नियम, या, यथास्थिति, विनियम तत्पश्चात् ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई उपांतरण या बातिलकरण इन नियमों या, यथास्थिति, विनियमों के अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

123. Power to make rules.— (1) The State Government may, for the whole or any part of the state and for any class of co-operative societies, after previous publication, make rules to carry out the purposes of this Act :

Provided that any rule may be made under this section without previous publication if the State Government considers that it should be brought into force at once.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

- (i) the manner in which application for registration of a society may be made;
- (ii) class of societies; minimum share capital for societies, for the purpose of registration, criteria on the basis of which a society may be registered;
- (iii) the applicants to whom the order refusing the registration of co-operative society may be sent by the Registrar;
- (iv) the procedure and conditions for change in the form and extent of the liability of a co-operative society;

- (v) the qualifications or disqualifications relating to membership of a co-operative society;
- (vi) the manner in which the proposal for an amendment of the bye-laws or for transfer of assets and liabilities, division and amalgamation of a co-operative society shall be forwarded to the Registrar;
- (vii) the provision for a second or casting vote by the Chairperson of a meeting of a co-operative society;
- (viii) the appointment by a co-operative society of one of its members to represent and vote on its behalf at a meeting of another co-operative society of which it is a member;
- (ix) the withdrawal, removal or expulsion of members, the payments to be made to them, the liabilities of past members and the estates of deceased members;
- (x) the procedure for the nomination of a person to whom the share or interest of a member on his death may be transferred or the value thereof may be paid;
- (xi) the class of persons and local authorities, which may be admitted as a nominal member in a society; the class of societies, in which the spouse of a member may be admitted as an associate member;
- (xii) the procedure for the admission of members of a Hindu Joint Family, and minors and persons of unsound mind inheriting the share or interest of deceased members and provision for their rights and liabilities;
- (xiii) the mode in which the value of a deceased member's share shall be ascertained;
- (xiv) the payments to be made and the conditions to be complied with by members applying for loans, the period for which loans may be made and the amount which may be lent to an individual member;

- (xv) the inspection of documents in the Registrar's office and the levy of fee for granting certified copies of the same;
- (xvi) the confirmation and maintenance of a register of members, and where the liability of members is limited by shares, of a register of shares and a list of members;
- (xvii) providing that the share capital of any society shall be available in such way as may be necessary to secure that the share shall not appreciate in value and that necessary capital shall be available for the society as required;
- (xviii) regulating the manner in which funds may be raised by a society or class of societies by means of shares or debentures or otherwise and the quantum of funds so raised;
- (xix) the limits for loans to be granted by a society or class of societies against different classes of securities or without security and the procedure for granting loans;
- (xx) manner of recalling a loan;
- (xxi) the limits for granting credit by a non-credit society or a class of non credit societies;
- (xxii) the manner in which the Delegate General Body of a society may be elected;
- (xxiii) the requisitioning of a general meeting of co-operative society; and the time within which a general meeting shall be called;
- (xxiv) general meetings of the members, the procedure at such meetings and the powers to be exercised by such meetings;
- (xxv) the election of members of committee by the general body of a co-operative society;
- (xxvi) the qualifications or disqualifications for membership of a committee;

- (xxvii) the conditions in which a member of a co-operative society may be disqualified from voting;
- (xxviii) the appointment, suspension, removal, term of office and filling of casual vacancies of the members of the committee and other officers and for the appointment of Administrator under section 30 and the procedure at meeting of the committee and the powers to be exercised and the duties to be performed by the committee, Administrator and other officers;
- (xxix) the manner in which election of a co-operation society shall be conducted;
- (xxx) the procedure to be adopted by the Registrar in cases where the taking of possession of books, documents, securities, cash and other properties of a society or of a society the affairs of which have been ordered to be wound up by the Registrar or by a person entitled to the same is resisted or obstructed;
- (xxxi) the procedure to be adopted by taking possession of books, documents, securities, cash and other property of a society by a person acting under sections 54, 55 and 56 in cases where misappropriation of funds, breach of trust, or fraud has been committed or where it is suspected or apprehended that the books, documents, securities, cash and other properties are likely to be tampered with or destroyed or removed;
- (xxxii) the qualifications of a Manager, Secretary, Accountant or any other officer or an employee of the society and the conditions of their service including discipline and control;
- (xxxiii) the prohibition against officers of a co-operative society, being interested in contracts with the society;
- (xxxiv) the conditions on which any charge in favour of a society shall be satisfied and the extent to which and the order in which the property

to the charge shall be used in its satisfaction; and the form of declaration to be made under section 39;

(xxxv) reasonable notice of the charge under section 39;

(xxxvi) the procedure by which a co-operative society shall calculate and write-off bad debts;

(xxxvii) the form in which an agreement under section 41 may be executed;

(xxxviii) the matters connected with the direct and indirect partnership of the Government in co-operative societies;

(xxxix) the rate at which dividend may be paid by co-operative societies;

(xl) the period within which a co-operative society shall, out of its net profit in a year, transfer the amount to the reserve fund;

(xli) the constitution of a Co-operative Education and Training Fund and the payment to be made to that fund by a co-operative society out of its own profits and the mode of its investment and the procedure thereof;

(xlii) the mode of investment of funds of a co-operative society;

(xliii) maintenance and administration of the Provident Fund which may be established by a co-operative society for the benefit of officers and servants employed by it and for the administration of such Provident Fund;

(xliv) the objects of the Reserve Fund of a co-operative society and the mode of its investment;

(xlv) the mode of disposal of Reserve Fund of a co-operative society on its winding up;

(xlvi) the extent and conditions subject to which a co-operative society may receive deposits and loans;

- (xlvii) the restrictions on transactions by a co-operative society with non-members;
- (xlviii) the restrictions on grant of loans by a co-operative society against its shares;
- (xlix) the forms and standards of fluid resources to be maintained by co-operative societies accepting deposits and granting cash credits;
 - (I) the levy of audit fees on co-operative societies;
 - (li) the procedure for conducting audit, the matters on which the auditor shall submit a report, the form in which the statement of account shall be prepared for his audit, the limits within which the auditor may examine the monetary transactions of a society, the form of audit memorandum and report;
 - (lii) the procedure for appointment of auditors under section 54;
 - (liii) the procedure and principles for the conduct of inquiry under section 55;
 - (liv) the procedure for apportioning the cost of inquiry and inspection and for assessing damages against delinquent promoters under section 57 and for recovery of cost and damages;
 - (lv) the procedure to be followed in proceedings before the Registrar, Arbitrator or other person deciding disputes;
 - (lvi) the form in which a dispute shall be referred to the Registrar;
 - (lvii) the issue and service of processes and the mode of proving of service thereof;
 - (lviii) the procedure to be followed in execution of awards;
 - (lix) the conditions subject to which assets of a co-operative society shall vest in a Liquidator and the procedure to be adopted in winding up of a co-operative society;

- (lx) the matters in which an appeal shall lie from the order of a Liquidator appointed under section 63;
- (lxi) the time within which, and the manner in which Land Development Bank may send a copy of the instrument of mortgage to the Registering Officer in order to avail the benefit under section 78;
- (lxii) the procedure for recovery of amounts due or payable to a co-operative society;
- (lxiii) the manner, in which the Registrar or Collector may take action on an application made under sub-section (1) of section 88;
- (lxiv) the mode of making attachment before judgement;
- (lxv) the investigation of claims and objections that may be preferred against any attachment effected by the Registrar;
- (lxvi) the procedure to be followed for the custody of property attached under section 101;
- (lxvii) the procedure for the distraint and sale of property mortgaged to a Land Development Bank;
- (lxviii) the procedure and conditions for the issue, redemption, re-issue, transfer, replacement or conversion of debentures issued by a society to which Chapter XII is applicable;
- (lxix) the maximum amount of principal, the rate of interest and other conditions for the guarantee of debentures issued by a society to which Chapter XII is applicable;
- (lxx) the qualifications and methods of appointment of an officer to effect sale under section 89 and the powers and functions which such an officer may exercise;
- (lxxi) the appointment of a receiver of the proceeds and income of mortgaged property or sale under section 89, the conditions in which he

may be appointed or removed, the powers and functions which he may exercise and the expenses of management and the remuneration which he may receive;

(lxxii) the procedure according to which action may be taken by a Land Development Bank against the mortgager under section 89;

(lxxiii) in case of sale of immovable property under Chapter XII-

(a) the procedure for proclamation and conduct of sale and the conditions on which an attempt of sale may be abandoned;

(b) the method of calculating the expenses incidental to the sale or attempted sale;

(c) the procedure for the receipt of deposit and disposal of the proceeds of sale;

(d) the procedure for resale if an attempted sale is abandoned or the purchase money is not deposited within the prescribed time and the penalty to be levied against the purchaser who fails so to deposit the purchase money;

(e) the form and method of disposal of money by a Land Development Bank under section 91;

(f) the form of a sale certificate under section 92;

(g) the procedure for delivery by the court of the property purchased, to the purchaser under section 92;

(h) the form of the notice referred to in section 97; and

(i) the fee payable for the service of such notice and the manner of serving such notice;

(lxxiv) the time within which and the procedure according to which property purchased by a Land Development Bank at a sale of immovable property under Chapter XII shall be disposed of by the bank;

(lxxv) constitution, maintenance and utilisation of Guarantee Funds; the rate

at which the State Land Development Bank and Land Development Banks shall contribute to the Guarantee Funds;

- (lxxvi) the manner in which the property or any portion thereof, ordered to be transferred to a society under section 103, shall be transferred to a society;
- (lxxvii) the condition of service and procedure for selection of chairman and members of the Tribunal;
- (lxxviii) the procedure to be followed in presenting and disposing of appeals;
- (lxxix) the method of communicating or publishing any order, decision or award required to be communicated or published under this Act or the rules;
- (lxxx) offences for contravening any of the rules;
- (lxxxii) the account books and registers to be kept by a co-operative society and power of Registrar to direct the accounts and books to be written up;
- (lxxxiii) the manner of certification of entries in the books of a co-operative society and of copies of documents kept by it in the course of its business;
- (lxxxiv) the statements and returns to be furnished by a co-operative society to the Registrar;
- (lxxxv) the restrictions on persons appearing as legal practioners;
- (lxxxvi) the inspection of documents and the fees to be paid to a co-operative society for granting certified copies thereof;
- (lxxxvii) the remuneration payable to an Administrator appointed in place of a committee removed by the Registrar;
- (lxxxviii) the matters expressly required or allowed by this Act to be prescribed or for which rules may be made.

(3) All rules and regulations made under this Act after its commencement, shall be laid, as soon as may be after they are made, before the House of the State Legislature while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which they are so laid or the successive sessions as aforesaid, the House agrees in making any modification in the rules or regulations, as the case may be, or resolves that the rules or regulations, as the case may be, should not be made, the rules or regulations, as the case may be, shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under these rules or regulations, as the case may be.

124. राज्य के बाहर सोसाइटियों की शाखाएं आदि— (1) रजिस्ट्रार की पूर्वानुमति से ही कोई सोसाइटी, राजस्थान राज्य के बाहर अपनी कोई शाखा या अपने कारबार का कोई स्थान स्थापित कर सकेगी अथवा किसी अन्य राज्य में किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारी सोसाइटी राजस्थान राज्य में अपनी कोई शाखा या कारबार का कोई स्थान स्थापित कर सकेगी।

स्पष्टीकरण :— इस धारा के प्रयोजनार्थ 'रजिस्ट्रार' के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी नहीं आयेंगे, जिन्हें इस अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं।

(2) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, जो किसी भी अन्य राज्य में किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और पूर्ववर्ती उप-धारा के अधीन जिसे राजस्थान में कोई शाखा या कारबार का स्थान स्थापित करने की अनुमति दी गयी है या जिसकी कोई शाखा या कारबार का स्थान इस अधिनियम के प्रारंभ के समय राजस्थान में है, ऐसी शाखा या कारबार का स्थान स्थापित करने से या, यथास्थिति, इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन मास के भीतर-भीतर, रजिस्ट्रार को उपविधियों और संशोधनों की प्रमाणित प्रति, और यदि वे अंग्रेजी भाषा में नहीं हैं तो अंग्रेजी या हिन्दी में उनका प्रमाणित अनुवाद प्रस्तुत करेगी और रजिस्ट्रार को ऐसी विवरणियां और सूचनाओं के अतिरिक्त जो उस राज्य के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जायें, जिसमें ऐसी सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत है, ऐसी विवरणियां और सूचनाएं रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगी जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसी ही सोसाइटियों द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं।

124. Branches etc. of society outside the State— (1) A society may open a branch or a place of business outside the State of Rajasthan or a co-operative society registered under any law in any other State may open a branch or place of business in the State of Rajasthan, with the prior permission of the Registrar.

Explanation :- For the purpose of this section 'Registrar' shall not include officers on whom powers of the Registrar have been conferred under sub-section (2) of section 4.

(2) Every co-operative society registered under any law in any other State, and permitted to open a branch or place of business in Rajasthan under the foregoing sub-section or which has a branch or place of business in Rajasthan at the commencement of this Act, shall, within three months from the opening of such branch or place of business or from the commencement of this Act, as the case may be, file with the Registrar, a certified copy of the bye-laws and amendments and, if these are not written in English language, a certified translation thereof in English or Hindi, and shall submit to the Registrar such returns and information as are submitted by similar societies registered under this Act in addition to those which may be submitted to the Registrar of the State where such society is registered.

125. कतिपय संकल्पों को विखंडित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति— (1) यदि, रजिस्ट्रार की राय में, किसी सहकारी सोसाइटी या उसकी समिति की बैठक में पारित कोई संकल्प सोसाइटी के उद्देश्यों के विरुद्ध है या उस सोसाइटी या उसके समस्त सदस्यों के हितों के प्रतिकूल है या सोसाइटी की शक्तियों के आधिक्य में है तो, रजिस्ट्रार, ऐसे संकल्प की क्रियान्विति को अन्तरिम रूप से स्थगित करते हुए, उसे विखण्डित किया जाना प्रस्तावित कर सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार, ऐसे मामले में, जहां उप-धारा (1) के अधीन किसी संकल्प के निष्पादन पर उसने अन्तरिम रूप से रोक लगा दी हो, पैंतालीस दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर विखण्डन का प्रस्ताव अधिकरण को विचारार्थ भेजेगा।

(3) अधिकरण सोसाइटी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् रजिस्ट्रार के प्रस्ताव पर विनिश्चय करेगा और उस पर अन्तिम आदेश पारित करेगा।

125. Power of Registrar to rescind certain resolution.— (1) If in the opinion of the Registrar, any resolution passed at the meeting of any co-operative society or committee thereof is opposed to the objects of the society or is prejudicial to the interests of the society or its members at large, or is in excess of the powers of the society, the Registrar may, staying execution of the resolution interrimly, propose to rescind the resolution.

(2) In case, where the Registrar has interrimly stayed execution of any resolution

under sub-section (1), he shall, within a period of forty five days, send the proposal of rescinding the resolution to the Tribunal for consideration.

(3) The tribunal shall, after giving the society an opportunity of being heard, decide upon the proposal of the Registrar and pass its final order.

126. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति— (1) यदि इस अधिनियम के या किसी विद्यमान विधि के उपबन्धों को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई उद्भूत हो तो सरकार, जैसा अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, आदेश द्वारा, कोई भी ऐसी बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आदेश द्वारा किये गये उपबन्धों का प्रभाव इस प्रकार होगा मानो वे इस अधिनियम में अधिनियमित किये गये हों और ऐसा कोई भी आदेश किसी भी ऐसी भूतलक्षी तारीख से किया जा सकेगा जो इस अधिनियम का प्रारम्भ होने की तारीख से पहले की न हो :

परन्तु किसी व्यक्ति को किसी अधिसूचना के ऐसे भाग के कारण, जिसे भूतलक्षी प्रभाव दिया गया हो, अधिसूचना के जारी होने की तारीख के पूर्व के किसी अपराध का दोषी नहीं समझा जायेगा।

126. Power to remove difficulties.— (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act or of any existing law, the Government may, as occasion may require, by order, do anything, which appears to it to be necessary for the purpose of removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) The provisions made by order under sub-section (1) shall have effect as if enacted in this Act, and any such order may be made so as to be retrospective to any date not earlier than the date of the commencement of this Act:

Provided that no person shall be deemed to be guilty of an offence by reason of so much of any notification as makes any provision thereof retrospective to any date before the making thereof.

127. निरसन और व्यावृत्तियाँ— (1) राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1965 (1965

का अधिनियम सं. 13) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन निरसन का प्रभाव इस प्रकार निरसित अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन पर नहीं पड़ेगा और निरसित अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन की गयी कोई बात या कोई कार्रवाई या की गयी समझी गयी बात या कार्रवाई (जिसमें की गयी कोई नियुक्ति या प्रत्यायोजन, फाइल किया गया आवेदन या अन्य दस्तावेज, दिया गया कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, निष्पादित करार, जारी की गयी अधिसूचना, आदेश, निदेश या नोटिस, बनाये गये और रजिस्ट्रीकृत विनियम, प्ररूप या उपविधि, बनाया गया या बनाया गया समझा गया नियम या किसी रजिस्ट्रार, मध्यस्थ, समापक या अन्य अधिकारी, प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष संस्थित कार्यवाही सम्मिलित है) जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, इस अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन की गयी समझी जायेगी और तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक इस अधिनियम के अधीन की गयी किसी कार्यवाही द्वारा अतिष्ठित न कर दी जाये।

(3) तदनुसार, निरसित अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गयी समस्त सोसाइटियां, जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम का प्रारंभ होने के समय प्रवृत्त है, ऐसा प्रारंभ होने पर इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की हुई समझी जायेंगी, और ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी रजिस्ट्रार, मध्यस्थ, समापक या अन्य अधिकारी, प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष निरसित अधिनियम के उपबंधों के अधीन लंबित समस्त कार्यवाहियां, जहां आवश्यक हो, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार, मध्यस्थ, समापक या अन्य तत्समान अधिकारी, प्राधिकारी या व्यक्ति को, और यदि ऐसा कोई अधिकारी, प्राधिकारी या व्यक्ति विद्यमान न हो या यदि तत्समान अधिकारी, प्राधिकारी या व्यक्ति के संबंध में कोई संदेह हो तो, ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या व्यक्ति को, जिसे राज्य सरकार पदाभिहित करे, अन्तरित हो जायेंगी तथा ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार चालू रखी जायेंगी और निपटायी जायेंगी।

(4) निरसित अधिनियम के या उसके किन्हीं उपबंधों के या तदधीन किन्हीं कृत्यों से न्यस्त किसी अधिकारी, प्राधिकारी या व्यक्ति के प्रति तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या किसी लिखत या दस्तावेज में, कोई निर्देश, जहां आवश्यक हो, इस अधिनियम के या इसके सुसंगत उपबंधों के या इस अधिनियम के अधीन कार्य कर रहे तत्समान अधिकारी, प्राधिकारी या व्यक्ति के प्रति निर्देश समझा जायेगा, और तत्समान अधिकारी, प्राधिकारी या, यथास्थिति, व्यक्ति के कृत्य वे होंगे जो निरसित अधिनियम के अधीन या लिखतों या दस्तावेजों के अधीन हैं और वह उनका क्रियान्वयन करेगा।

127. Repeal and Savings.— (1) The Rajasthan Co-operative Societies Act, 1965 (Act No. 13 of 1965) is hereby repealed.

(2) The repeal under sub-section (1) shall not affect the previous operation of the Act so repealed and anything done or action taken or deemed to have been done

or taken (including any appointment or delegation made, application or other document filed, certificate of registration granted, agreements executed, notification, order, direction or notice issued, regulation, form or bye-law framed and registered, rule made or deemed to be made or proceeding instituted before any Registrar, Arbitrator, Liquidator, or other officer, authority or person) by or under the provisions of the repealed Act shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act, and shall continue in force unless and until superseded by anything done or any action taken under this Act.

(3) Accordingly, all societies registered or deemed to be registered under the repealed Act, the registration of which is in force at the commencement of this Act, shall on such commencement be deemed to be registered under this Act; and all proceedings pending immediately before such commencement before any Registrar, Arbitrator, Liquidator or other officer, authority or person under the provisions of the repealed Act shall stand transferred, where necessary, to the Registrar, Arbitrator, Liquidator or other corresponding officer, authority or person under this Act, and if no such officer, authority or person exists or if there be a doubt as to the corresponding officer, authority or person, to such officer, authority or person as the State Government may designate and shall be continued and disposed of before such officer, authority or person in accordance with the provisions of this Act.

(4) Any reference to the repealed Act or to any provisions thereof or to any officer, authority or person entrusted with any functions thereunder, in any law for the time being in force or in any instrument or document, shall be construed, where necessary, as a reference to this Act or its relevant provisions or the corresponding officer, authority or person functioning under this Act, and the corresponding officer, authority or person, as the case may be, shall have and exercise the functions under the repealed Act or under the instruments or documents.

□ □

अनुसूची-क

(धारा 5 देखिए)

सहकारिता के सिद्धांत

सहकारिता के सिद्धांत ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जिनके द्वारा सहकारी संस्थाएं अपने मूल्यों को व्यवहार में लाती हैं।

प्रथम सिद्धांत : स्वैच्छिक और खुली सदस्यता

सहकारी संस्थाएं ऐसे स्वैच्छिक संगठन हैं जो इनकी सेवाओं का उपयोग करने में समर्थ और सदस्यता के उत्तरदायित्वों को स्वीकार करने के इच्छुक सभी व्यक्तियों के लिए लैंगिक, सामाजिक, जातीय, राजनैतिक या धार्मिक भेदभाव के बिना खुले हैं।

द्वितीय सिद्धांत : सदस्यों का लोकतांत्रिक नियंत्रण

सहकारी संस्थाएं अपने ऐसे सदस्यों के द्वारा नियंत्रित लोकतांत्रिक संगठन हैं जो उनकी नीतियां बनाने और विनिश्चय करने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करने वाले पुरुष और महिलाएं सदस्यों के प्रति जवाबदेह होते हैं। प्राथमिक सहकारी संस्थाओं में सदस्यों को समान मत (एक सदस्य, एक मत) देने के अधिकार प्राप्त होते हैं और अन्य स्तर पर भी सहकारी संस्थाएं लोकतांत्रिक रीति से संगठित की जाती हैं।

तृतीय सिद्धांत : सदस्यों की आर्थिक सहभागिता

सदस्य, अपनी सहकारी संस्था की पूंजी में अभिदाय करते हैं, और उस पर लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रण करते हैं। उस पूंजी का न्यूनतम भाग प्रायः सहकारी संस्थाओं की सामान्य सम्पत्ति है। सदस्य, सदस्यता की शर्त के रूप में अभिदत्त पूंजी पर प्रायः सीमित प्रतिकर, यदि कोई हो, प्राप्त करते हैं। सदस्य, निम्नलिखित किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए अधिशेष आवंटित करते हैं :-

अपनी सहकारी संस्था का यथासंभव ऐसी आरक्षित स्थापित करके जिसका कम से कम एक भाग अविभाज्य होगा, विकास करना, सदस्यों को सहकारी संस्था के साथ उनके संव्यवहारों के अनुपात में फायदा पहुंचाना, और सदस्यों द्वारा अनुमोदित अन्य क्रियाकलापों का समर्थन करना।

चतुर्थ सिद्धांत : स्वायत्तता और स्वतंत्रता

सहकारी संस्थाएं अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित स्वायत्त, स्वसाहाय्य संगठन हैं। यदि वे सरकारों सहित अन्य संगठनों के साथ करार करती हैं या, बाह्य स्रोतों से पूंजी जुटाती हैं तो वे ऐसा उन निबंधनों पर करती हैं जो उनके सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक नियंत्रण को सुनिश्चित करे और उनकी सहकारी स्वायत्तता को बनाये रखे।

पंचम सिद्धांत : शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना

सहकारी संस्थाएं अपने सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रबंधकों और कर्मचारियों को शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराती हैं जिससे वे अपनी सहकारी संस्थाओं के विकास के लिए प्रभावी रूप से सहयोग कर सकें। वे, सहकारिता के स्वरूप और फायदों के बारे में जनसाधारण, विशेष रूप से युवाओं और मतनायकों को सूचित करती हैं।

षष्ठम् सिद्धांत : सहकारी संस्थाओं के मध्य सहकारिता

सहकारी संस्थाएं अपने सदस्यों द्वारा अनुमोदित नीतियों के माध्यम से अपने समुदायों के पोषणीय विकास के लिए कार्य करती हैं।

SCHEDULE-A

(See Section 5)

CO-OPERATIVE PRINCIPLES

The co-operative principles are guidelines by which co-operative put their values into practice.

1st Principle : Voluntary and Open Membership

Co-operatives are voluntary organisations, open to all persons able to use their services and willing to accept the responsibilities of membership, without gender, social, racial, political, or religious discrimination.

2nd Principle : Democratic Member Control

Co-operatives are democratic organisations controlled by their members, who actively participate in setting their policies and making decisions. Men and women serving as elected representatives are accountable to membership. In primary co-

operatives members have equal voting rights (one member, one vote) and co-operatives at other levels are also organised in a democratic manner.

3rd Principle : Member Economic Participation

Members contribute to, and democratically control, the capital of their co-operative. At least part of that capital is usually the common property of the co-operative. Members usually receive limited compensation, if any, on capital subscribed to as a condition of membership. Members allocate surpluses for any of the following purposes :-

Developing their co-operative, possibly by setting up reserves, part of which at least would be indivisible, benefiting members in proportion to their transactions with the co-operative, and supporting other activities approved by the membership.

4th Principle : Autonomy and Independence

Co-operatives are autonomous, self-help organisations controlled by their members. If they enter into agreements with other organisations, including Governments or, raise capital from external sources, they do so on terms that ensure democratic control by their members and maintain their co-operative autonomy.

5th Principle : Education, Training and Information

Co-operatives provide education and training for their members, elected representatives, managers and employees so they can contribute effectively to the development of their co-operatives. They inform the general public particularly young people and opinion leaders about the nature and benefits of co-operation.

6th Principle : Co-operation among Co-operatives

Co-operatives work for the sustainable development of their communities through policies approved by their members.



अनुसूची-ख

(धारा 8 देखिए)

उपविधियों की विषयवस्तु

- (1) किसी सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में निम्नलिखित विषयों का उपबंध किया जायेगा, अर्थात् :-
- (क) सोसाइटी का नाम और पता;
 - (ख) उसका कार्यक्षेत्र;
 - (ग) सोसाइटी के उद्देश्य;
 - (घ) वह रीति जिससे निधियां जुटायी जा सकेंगी और अधिकतम शेयर पूंजी जो कोई एकल सदस्य धारण कर सकेगा;
 - (ङ) सदस्यों के दायित्व का प्रकार और सीमा;
 - (च) वह सीमा जिस तक सोसाइटी निधियां उधार ले सकेगी और ऐसी निधियों पर संदेय ब्याज की दरें;
 - (छ) सदस्यों से संगृहीत की जाने वाली प्रवेश और अन्य फीसें;
 - (ज) वे प्रयोजन जिनके लिए उसकी निधियों का उपयोजन किया जा सकेगा;
 - (झ) सदस्यों के सम्मिलित किये जाने के निबंधन, अर्हताएं और शर्तें और उनके अधिकार और दायित्व;
 - (ञ) ऋण सोसाइटियों की दशा में,-
 - (i) किसी सदस्य को अनुज्ञेय अधिकतम उधार;
 - (ii) सदस्यों को दिये गये उधारों के ब्याज की अधिकतम दरें;
 - (iii) वे शर्तें जिन पर सदस्यों को उधार मंजूर किया जा सकेगा;
 - (iv) उधारों और अग्रिमों के प्रतिसंदाय के लिए समय बढ़ाने की मंजूरी के लिए प्रक्रिया;

(v) किसी शोध राशि के संदाय में व्यतिक्रम के परिणाम; और

(vi) वे परिस्थितियां जिनके अधीन उधार वापस लिया जा सकेगा।

(ट) ऋणेत्तर सोसाइटियों की दशा में, कारबार, क्रय, विक्रय, स्टॉक मिलान करने का ढंग और अन्य सहबद्ध मामले;

(ठ) बैठकें करने और नोटिस जारी करने का ढंग;

(ड) समिति की निर्वाचन द्वारा या अन्यथा नियुक्ति और समिति को हटाने का ढंग तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति और उनको हटाये जाने का ढंग, समिति और ऐसे अधिकारियों के कर्तव्य और शक्तियां तथा उनकी अवधि;

(ढ) शुद्ध लाभों का व्ययन;

(ण) रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणों को तैयार करना और प्रस्तुत करना तथा उनका प्रकाशन;

(त) ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के मामले में, जो सम्बद्ध कृषि सहकारी ऋण सोसाइटियों के कार्य को सुकर बनाती है और जिसने सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त की है, "कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि" का गठन;

(थ) निधियों का गठन और अनुरक्षण;

(द) नाममात्र के और सहयुक्त सदस्यों को सम्मिलित करते हुए सदस्यों के विशेषाधिकार, अधिकार, कर्तव्य और दायित्व;

(ध) उपविधियों को बनाने, परिवर्तित करने और निराकृत करने की रीति;

(न) अध्यक्ष की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य तथा बहुमत का समर्थन खो देने पर उसका हटाया जाना;

(प) वार्षिक और विशेष साधारण बैठकें बुलाने, नोटिस जारी करने का ढंग तथा उनमें किया जाने वाला कारबार;

(फ) अन्य सोसाइटी को प्रतिनिधि भेजने;

(ब) अपने कारबार के प्रबंध से आनुषंगिक कोई अन्य मामले।

(2) कोई सोसाइटी निम्नलिखित विषयों के लिए उपविधियां बना सकेगी, अर्थात् :-

(क) सोसाइटी के वेतन पाने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों की भर्ती का ढंग, सेवा की शर्तें और उनके वेतनमानों और भत्तों को नियत, पुनरीक्षित या विनियमित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और उनके विरुद्ध अनुशासनिक मामलों के निपटारे में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया;

- (ख) वे परिस्थितियां जिनके अधीन सदस्यता से प्रत्याहरण अनुज्ञात किया जा सकेगा;
- (ग) सदस्यों के प्रत्याहरण, अपात्रता और मृत्यु की दशा में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया;
- (घ) वे शर्तें, यदि कोई हों, जिनके अधीन किसी सदस्य के शेयर या हित का अन्तरण अनुज्ञात किया जा सकेगा;
- (ङ) ऐसे सदस्यों द्वारा, जिनसे धन शोध्य है, किये गये संदायों के विनियोजन का ढंग;
- (च) सोसाइटी की ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित करने और प्रतिवाद करने के लिए अधिकारी या अधिकारियों की शक्तियां।

SCHEDULE-B

(See Section 8)

SUBJECT MATTER OF BYE-LAWS

- (1) The bye-laws of a co-operative society shall provide for the following matters, namely :-
 - (a) the name and address of the society;
 - (b) the area of its operation;
 - (c) the objects of the society;
 - (d) the manner in which funds may be raised and the maximum share-capital which a single member may hold;
 - (e) the nature and extent of the liability of the members;
 - (f) the extent to which the society may borrow funds and the rates of interest payable on such funds;
 - (g) the entrance and other fees to be collected from members;
 - (h) the purposes for which its funds may be applied;
 - (i) the terms, qualifications and conditions of admission of members and their rights and liabilities;

- (j) in the case of credit societies,—
- (i) the maximum loan admissible to a member;
 - (ii) the maximum rates of interest of loans to members;
 - (iii) the conditions on which loans may be granted to members;
 - (iv) the procedure for granting extension of time for the re-payment of loans and advances;
 - (v) the consequences of default in payment of any sum due; and
 - (vi) the circumstances under which a loan may be recalled.
- (k) the mode of conducting business, purchases, sale, stock-taking and other allied matters in case of non-credit societies;
- (l) the mode of holding meetings and issue of notices;
- (m) the mode of appointment of the committee by election or otherwise and removal of the committee and mode of appointment and removal of other officers, the duties and powers of the committee and such officers and their term;
- (n) the disposal of net profits;
- (o) the preparation and submission of the annual statements specified by Registrar and the publication of the same;
- (p) the constitution of an "Agricultural Credit Stabilisation Fund" in case of every co-operative society which facilitates the operations of affiliated agricultural co-operative credit societies and which has received financial assistance from the Government.
- (q) constitution and maintenance of funds;
- (r) the privileges, rights, duties and liabilities of members including nominal and associate members;
- (s) the manner of making, altering and abrogating bye-laws;

- (t) the Chairperson's powers, duties and functions and his removal on his losing support of the majority;
- (u) the mode of convening annual and special general meetings, issue of notices, and the business which may be transacted thereat;
- (v) to send a representative to another society;
- (w) any other matters incidental to the management of its business.

(2) A society may make bye-laws for the following matters, namely :-

- (a) the method of recruitment, the conditions of service and the authority competent to fix, revise or regulate the scales of pay and allowances of paid officers and employees of the society and the procedure to be followed in the disposal of disciplinary cases against them;
- (b) the circumstances under which withdrawal from membership may be permitted;
- (c) the procedure to be followed in case of withdrawal, ineligibility and death of members;
- (d) the conditions, if any, under which the transfer of share or interest of a member may be permitted;
- (e) the method of appropriating payments made by members from whom moneys are due;
- (f) powers of an officer or officers to sign documents and to institute and defend suits and other legal proceedings on behalf of the society.

□ □



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 24, शुक्रवार, शाके 1931-अक्टूबर 16, 2009
Asvina 24, Friday, Saka 1931-October 16, 2009

भाग 4 (ख)

राज्यपाल, राजस्थान के अध्यादेश।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 16, 2009

संख्या प. 4 (7) विधि/2/2009.—राजस्थान राज्य के राज्यपाल द्वारा 16 अक्टूबर, 2009 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया निम्नांकित अध्यादेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:—

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2009

(2009 का अध्यादेश संख्यांक 7)

[राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर, 2009 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया।]

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 को और संशोधित करने के लिए अध्यादेश।

यतः राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं है और राजस्थान राज्य के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है ;

अतः अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में इसके द्वारा निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इस अध्यादेश का नाम राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2009 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 2 का संशोधन.— राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम सं. 16), जिसे इस अध्यादेश में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,—

- (i) उसके विद्यमान खण्ड (क) को खण्ड (कक) के रूप में पुनःसंख्याकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनःसंख्याकित खण्ड (कक) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

“(क)” शीर्ष सहकारी बैंक” से ऐसी शीर्ष सोसाइटी अभिप्रेत है जो राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंकों का परिसंघीय निकाय है और बैंककारी के व्यवसाय में लगी हुई है ; ” ;

- (ii) विद्यमान खण्ड (घ) में, अन्त में आये हुए विराम चिह्न “ ; ” के स्थान पर विराम चिह्न “ : ” प्रतिस्थापित किया जायेगा ;

- (iii) इस प्रकार संशोधित विद्यमान खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

“परन्तु लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी के संबंध में कार्यक्षेत्र से संबंधित निर्बन्धन लागू नहीं होंगे। ” ;

- (iv) विद्यमान खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

“(घक) “केन्द्रीय सहकारी बैंक” से ऐसी केन्द्रीय सोसाइटी अभिप्रेत है जिसके सदस्य प्राथमिक कृषि साख सोसाइटियां हैं और जो बैंककारी के व्यवसाय में लगी हुई है ; ” ;

(v) विद्यमान खण्ड (त) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

“(तक) “राष्ट्रीय बैंक” से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 61) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अभिप्रेत है ; ”;

(vi) विद्यमान खण्ड (थ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

“(थक) “प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी” से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) की धारा 5 के खण्ड (गगiv) के अधीन यथा परिभाषित और इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है ; ” ;

(vii) विद्यमान खण्ड (न) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

“(नक) “ भारतीय रिजर्व बैंक ” से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का केन्द्रीय अधिनियम सं.2) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक अभिप्रेत है ; ” ; और

(viii) विद्यमान खण्ड (भ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

“(भक) “लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी” से, या तो शीर्ष स्तर पर, केन्द्रीय स्तर पर या प्राथमिक स्तर पर लघु अवधि सहकारी साख व्यवसाय में लगी हुई कोई सोसाइटी अभिप्रेत है

और इसमें शीर्ष सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी सम्मिलित है ; ” ।

3. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 5 का संशोधन.—
मूल अधिनियम की धारा 5 में विद्यमान उप-धारा (3) के पश्चात् एक नयी उप-धारा (4) जोड़ी जायेगी, अर्थात् :-

“(4) किसी भी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी या उसका परिसंघ या संगम (सिवाय उनके जिन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) के अधीन बैंक के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया गया है) को उसके रजिस्ट्रीकृत नाम में शब्द “बैंक” या शब्द “बैंक” के किसी भी अन्य व्युत्पन्न शब्द के साथ रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जायेगा या अपने नाम के भाग रूप में उसका उपयोग नहीं करेगा :

परन्तु जहां किसी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी या इसको परिसंघ या संगम को (सिवाय उनके जिन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) के अधीन बैंक के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया गया है) राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (2009 का अध्यादेश सं. 7) के प्रारंभ से पूर्व उसके रजिस्ट्रीकृत नाम में शब्द “बैंक” या उसके किसी भी व्युत्पन्न शब्द के साथ रजिस्ट्रीकृत किया गया है, वहां वह ऐसे प्रारंभ की तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर अपना नाम परिवर्तित करेगा ताकि धारा 9 के उपबंधों के अनुसार उसके नाम से शब्द ‘बैंक’ या उसका व्युत्पन्न शब्द, यदि कोई हो, हटाया जा सके :

परन्तु यह और कि जहां पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट कोई सोसाइटी उक्त परन्तुक के उपबंधों का, उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर अनुपालन करने में विफल रहती है, वहां रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी के परिसमापन का आदेश करेगा । ” ।

4. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 15 का संशोधन.— मूल अधिनियम की धारा 15 में विद्यमान उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात् :-

“(4) उप-धारा (2) या उप-धारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो किसी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी में ऐसी न्यूनतम रकम, ऐसी न्यूनतम कालावधि के लिए, जो रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाये, जमा कराता है तो वह उस कालावधि जिसके दौरान, जमा राशि सोसाइटी में रहती है, पूर्ण मतदान अधिकारों सहित उस सोसाइटी का सदस्य समझा जायेगा।”।

5. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 27 का संशोधन.— मूल अधिनियम की धारा 27 की विद्यमान उप-धारा (2) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (3) के पूर्व निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात् :-

“(2-क) उपरोक्त उप-धारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शीर्ष सहकारी बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंकों की समिति में वृत्तिकों की इतनी संख्या होगी, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाये और जो लेखांकन, विधि, बैंककारी, प्रबंध, कृषि या ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले या ऐसे क्षेत्रों में, यदि कोई हों, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, ऐसा ज्ञान या अनुभव रखने वाले हों और यदि ऐसी संख्या में वृत्तिक निर्वाचित नहीं होते तो, ऐसे शीर्ष सहकारी बैंक या, यथास्थिति, केन्द्रीय सहकारी बैंक की समिति यह विचार किये बिना कि आया ऐसे वृत्तिक सदस्य हैं या नहीं, ऐसी संख्या में वृत्तिकों का पूर्ण मतदान अधिकारों सहित सहयोजन कर सकेगी :

परन्तु जहां अपेक्षित न्यूनतम अर्हता के बिना कोई व्यक्ति इस उप-धारा के अधीन समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित कर लिया जाये, वहां उसका सहयोजन अकृत और शून्य समझा

जायेगा और उसको सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् पद से हटाया जायेगा । ”।

6. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 में एक नयी धारा 27-क का अन्तःस्थापन.— मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 27 के पश्चात् और विद्यमान धारा 28 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

“27-क. मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति और हटाया जाना.— (1) शीर्ष सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक का मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित बैंक की समिति द्वारा नियुक्त किया जायेगा और वह ऐसे मानदंड पूरे करेगा जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियत किये जायें।

(2) कोई व्यक्ति जो शीर्ष सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा-नियत मानदंड पूरे नहीं करता है तो वह ऐसे पद के लिए अपात्र समझा जायेगा और यदि ऐसा व्यक्ति पद धारण करता है तो उसे भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक द्वारा इस आशय की सलाह प्राप्त होने पर हटा दिया जायेगा।”।

7. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 28 का संशोधन.— मूल अधिनियम की धारा 28 में,—

(i) विद्यमान उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(3) कोई भी व्यक्ति किसी समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए या समिति के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह उस सोसाइटी या किसी भी अन्य सोसाइटी का, उसके द्वारा लिये गये किसी भी उधार या उधारों के संबंध में ऐसी कालावधि के लिए, जो संबंधित सोसाइटी की उप-विधियों में विनिर्दिष्ट है या किसी

भी स्थिति में तीन मास से अधिक की कालावधि के लिए व्यतिक्रमी रहा है :

परन्तु यह निरर्हता सदस्य सोसाइटी पर लागू नहीं होगी।"; और

- (ii) यथापूर्वोक्त संशोधित उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात् :-

“(3-क) उप-धारा (3) में अंतर्विष्ट कसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति निर्वाचित, सहयोजित, नामनिर्देशित, या अन्यथा नियुक्ति के लिए या किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक या शीर्ष सहकारी बैंक की समिति के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह—

7

- (i) किसी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी से भिन्न किसी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है और ऐसी सोसाइटी उसके द्वारा ऐसे बैंक से लिये गये किसी भी उधार या उधारों के संबंध में नब्बे दिवस से अधिक की कालावधि के लिए व्यतिक्रमी है ;
- (ii) ऐसा व्यक्ति है जो किसी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी का व्यतिक्रमी है या ऐसी किसी व्यतिक्रमी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी, जो एक वर्ष से अधिक की कालावधि से व्यतिक्रमी है, का प्रतिनिधि है जब तक कि व्यतिक्रम दूर न कर दिया जाये ;
- (iii) ऐसा व्यक्ति है जो, ऐसी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी समिति अधिकांत कर दी गयी है या उसकी स्वयं की समिति में सदस्य न रहा हो। ”।

8. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 29 का संशोधन.— मूल अधिनियम की धारा 29 में,—

- (i) उप-धारा (1) में, अन्त में आये हुए विराम चिह्न “।” के स्थान पर विराम चिह्न “ : ” प्रतिस्थापित किया जायेगा ; और

(ii) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (1) के विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

“परन्तु यह और कि यदि सरकार ने शेयर पूंजी में अभिदाय किया हो तो, राज्य सरकार को शीर्ष सहकारी बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंकों की समिति में केवल एक सदस्य नामनिर्देशित करने का अधिकार होगा और वह शेयर पूंजी में सरकार के अभिदाय को विचार में लाये बिना किसी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी की समिति में कोई सदस्य नामनिर्देशित नहीं करेगी।”

(iii) विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(2) इस अधिनियम या किसी सोसाइटी की उप-विधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां सरकार ने किसी लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी सोसाइटी की शेयर पूंजी में पांच लाख रुपये या अधिक की सीमा तक अभिदाय किया है, वहां सरकार या इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई भी अन्य प्राधिकारी उप-धारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त दूसरा सदस्य नामनिर्देशित कर सकेगा और उसे ऐसी सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा, जो समिति का पदेन सदस्य-सचिव होगा। सरकार या यथानिर्दिष्ट ऐसा प्राधिकारी ऐसी सोसाइटी में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सहायता करने के लिए किसी अन्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति भी कर सकेगा।”

9. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 30 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 30 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(1) यदि, रजिस्ट्रार की राय में, किसी सहकारी सोसाइटी की समिति या ऐसी समिति का कोई सदस्य इस अधिनियम

या नियमों या उप-विधियों द्वारा उस समिति या उस सदस्य पर अधिरोपित कर्तव्यों के पालन में बार-बार व्यतिक्रम करता है या उपेक्षा करता है या ऐसा कोई कार्य करता है जो सोसाइटी या उसके सदस्यों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है या सहकारी उत्पादन और सरकार द्वारा अनुमोदित या जिम्मे लिये गये अन्य विकास कार्यक्रमों के समुचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ रजिस्ट्रार द्वारा जारी किये गये निदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करता है या अन्यथा अपने कृत्यों का समुचित रूप से निर्वहन नहीं करता है या राज्य सहकारी बैंक या किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी सोसाइटियों के संबंध में समय-समय पर बनाये या जारी किये गये विनियमों का अनुपालन नहीं करता है या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट पात्रता मानदण्डों को पूरा नहीं करता है और भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक से इस आशय का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है तो रजिस्ट्रार ऐसी समिति या, यथास्थिति, ऐसी समिति के सदस्य को हटाये जाने का प्रस्ताव कर सकेगा।”।

(ii) विद्यमान उप-धारा (2) में खण्ड (ख) के अन्त में आये हुए विद्यमान विराम चिन्ह “।” के स्थान पर विराम चिन्ह “ : ” प्रतिस्थापित किया जायेगा ; और

(iii) इस प्रकार संशोधित विद्यमान उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित नये परन्तुक जोड़े जायेंगे, अर्थात् :-

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन शीर्ष सहकारी बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक की समिति के हटाये जाने के पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श किया जायेगा :

परन्तु यह और कि भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर शीर्ष सहकारी बैंक या किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक की समिति के हटाये जाने और प्रशासक नियुक्त करने की प्रक्रिया ऐसी सिफारिश से एक मास के भीतर-भीतर पूरी की जायेगी :

परन्तु यह भी कि किसी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी की समिति को निम्नलिखित शर्तों के सिवाय नहीं हटाया जायेगा, अर्थात् :-

(क) सोसाइटी को निरन्तर तीन वर्षों में हानि हुई है ; या
(ख) सोसाइटी में गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं या कपट की पहचान हुई है; या

(ग) इस आशय के न्यायिक निर्देश हैं ; या

(घ) समिति में गणपूर्ति की स्थायी कमी है ; "।

(iv) विद्यमान उप-धारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात् :-

" (6) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी शीर्ष सहकारी बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक की समिति को भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर ऐसी सिफारिश के एक मास के भीतर-भीतर रजिस्ट्रार द्वारा लोकहित में हटाया या अधिक्रांत किया जा सकेगा।"।

10. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 में नयी धारा 30-क और 30-ख का अंतःस्थापन:- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 30 के पश्चात् और विद्यमान धारा 31 के पूर्व निम्नलिखित नयी धाराएं अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :-

31-क. भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की रजिस्ट्रार की बाध्यता.- (1) रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समिति के अधिकमण या शीर्ष सहकारी बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक के परिसमापन की सिफारिश सहित भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक निर्देशों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सलाह दिये जाने से एक मास के भीतर-भीतर क्रियान्वित कर लिया गया है ।

(2) रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समिति के परिसमापन या अधिकमण के लिए सलाह से एक मास के भीतर-भीतर परिसमापक या, यथास्थिति, प्रशासक की नियुक्ति कर दी गयी है ।

(3) रजिस्ट्रार, शीर्ष सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक के ऐसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी को, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट पात्रता मानदण्ड पूरे नहीं करता है और भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक से इस आशय का अनुरोध प्राप्त हुआ है, एक मास के भीतर-भीतर हटाया जाना सुनिश्चित करेगा ।

(4) रजिस्ट्रार, भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक द्वारा सलाह दिये जाने पर धारा 27 की उप-धारा (2-क) के अधीन समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित या सहयोजित ऐसे किसी व्यक्ति का, जो उसमें वर्णित अपेक्षित अर्हताएं न रखता हो, एक मास के भीतर-भीतर हटाया जाना सुनिश्चित करेगा ।

31-ख. समस्त वित्तीय और आन्तरिक प्रशासनिक मामलों में स्वायत्तता.—इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी लघु अवधि सहकारी साख सोसाइटी को निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए अपने समस्त वित्तीय और आन्तरिक प्रशासनिक मामलों में स्वायत्तता होगी, अर्थात् :—

- (क) कार्मिक नीति, कर्मचारिवृन्द, नियोजन, पदस्थापन और कर्मचारिवृन्द को प्रतिकर ;
- (ख) अपनी पसंद की किसी परिसंघीय संरचना में किसी भी स्तर पर सम्मिलित होने और बाहर जाने को सम्मिलित करते हुए उससे संबद्धता या असंबद्धता से संबंधित मामले ।
- (ग) अपनी कारबारी आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्षेत्र ; और
- (घ) आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियां । ” ।

11. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 44 का संशोधन.— मूल अधिनियम की धारा 44 में,—

- (i) उप-धारा (1) में विद्यमान परन्तुक के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न “।” के स्थान पर विराम चिह्न “ : ” प्रतिस्थापित किया जायेगा ; और

(ii) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (1) के विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

“ परन्तु यह और कि सरकार किसी लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी की कुल शेयर पूंजी का पच्चीस प्रतिशत से अधिक धारित नहीं करेगी और ऐसी सोसाइटी या सरकार के पास सरकार की शेयर पूंजी और घटाने का विकल्प होगा ।” ।

12. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 में नयी धारा 47-क का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 47 के पश्चात् और विद्यमान धारा 48 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात् :-

“47-क. प्रूडेन्शियल मानक.- कोई प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी जोखिम भारित अनुपात के लिए पूंजी को सम्मिलित करते हुए ऐसे प्रूडेन्शियल मानकों का अनुसरण करेगी जो राष्ट्रीय बैंक के परामर्श से रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जायें ।” ।

13. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 48 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 48 में,-

- (i) उप-धारा (2) में अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न “।” के स्थान पर विराम चिह्न “:” प्रतिस्थापित किया जायेगा ; और
- (ii) इस प्रकार संशोधित विद्यमान उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जायेंगे, अर्थात् :-

“परन्तु कोई लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी किसी ऐसी निधि, जो इसकी शुद्ध आस्ति के उन्नयन के लिए स्थापित या संधारित की जाये, के सिवाय किसी अन्य निधि में अंशदान करने के लिए आबद्ध नहीं होगी :

परन्तु यह और कि कोई प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी राष्ट्रीय बैंक की सलाह से रजिस्ट्रार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार इसके शुद्ध लाभ के व्ययन का विनिश्चय और लाभांश की घोषणा कर सकेगी।” ।

14. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 49 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 49 में अंत में आये विद्यमान विराम

चिह्न "।" के स्थान पर, विराम चिह्न " : " प्रतिस्थापित किया जायेगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी अपनी निधियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी बैंक या वित्तीय संस्था में विनिहित या निक्षिप्त कर सकेगी।"।

15. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 50 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 50 के विद्यमान उपबंध उसकी उप-धारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किये जायेंगे और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात् :-

"(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी-

(i) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी बैंक या वित्तीय संस्था से उधार ले सकेगी और किसी राष्ट्रीय बैंक या किसी अन्य पुनर्वित्त एजेंसी से सीधे या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी वित्तीय संस्था के माध्यम से पुनर्वित्त प्राप्त कर सकेगी और उसके लिए केवल उस परिसंघीय स्तर जिससे यह सहबद्ध है, से वित्त प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप जमाओं और उधारों पर ब्याज-दरें विनिश्चित कर सकेगी।"।

16. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 51 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 51 की विद्यमान उप-धारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात् :-

"(6) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई लघु अवधि साख संरचना सोसाइटी अपनी उधार नीतियां

अवधारित कर सकेगी और सोसाइटी और इसके सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसके सदस्यों को व्यक्तिगत उधार विनिश्चित कर सकेगी।”।

17. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 54 का संशोधन.— मूल अधिनियम की धारा 54 की विद्यमान उप-धारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धाराएं जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :—

“(9) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी उप-धारा (1) के अधीन तैयार किये गये लेखापरीक्षकों के पैनल में से उसके द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों में से किसी के द्वारा अपने लेखाओं को संपरीक्षित और प्रमाणित करा सकेगी :

परन्तु शीर्ष सहकारी बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक के लेखा, राष्ट्रीय बैंक द्वारा अनुमोदित पैनल (सूची) में से उसके द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 38) में यथा परिभाषित चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा संपरीक्षित और प्रमाणित किये जायेंगे :

परन्तु यह और कि लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी लेखापरीक्षा के लिए प्रतिकर विनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र होगी।

(10) लेखा परीक्षक, जो लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा करता है, की लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय बैंक और रजिस्ट्रार को पृष्ठांकित करेगा।

(11) रजिस्ट्रार, यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियत रीति और प्ररूप में अनुरोध किया जाये तो राज्य सहकारी बैंक या किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक की विशेष लेखापरीक्षा करवाये जाने को सुनिश्चित करेगा और नियत समय के भीतर-भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट भी देगा।”।

18. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 61 का संशोधन.— मूल अधिनियम की धारा 61 की विद्यमान उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात् :—

“(3) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी शीर्ष सहकारी बैंक या किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक के परिसमापन का आदेश भारतीय रिजर्व बैंक की लोकहित में इस आशय की सिफारिश के एक मास के भीतर-भीतर जारी कर दिया जायेगा।”।

19. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 62 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 62 में,—

(i) खण्ड (ii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “रजिस्ट्रार द्वारा” के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति “किया जायेगा” के पूर्व अभिव्यक्ति “एक मास के भीतर-भीतर” अन्तःस्थापित की जायेगी ;

(ii) खण्ड (iii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “ऐसी अपेक्षा की जाये तो” के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति “बैंक की समिति या” के पूर्व अभिव्यक्ति “रजिस्ट्रार द्वारा ऐसी अपेक्षा के एक मास के भीतर-भीतर” अन्तःस्थापित की जायेगी।

20. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 125 का संशोधन.— मूल अधिनियम की धारा 125 की उप-धारा (1) में अंत में आए हुए विद्यमान विराम चिह्न “।” के स्थान पर विराम चिह्न “ : ” प्रतिस्थापित किया जायेगा ; और इस प्रकार संशोधित विद्यमान उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

“परन्तु सरकार या रजिस्ट्रार कोई भी ऐसा कार्य या कार्रवाई नहीं करेगा या ऐसा आदेश या निदेश जारी नहीं करेगा जो इस अधिनियम के अधीन किसी लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी को प्रदत्त स्वतंत्रता या शक्तियों को कम करता हो या इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो।”।

शीलेन्द्र कुमार सिंह,
राज्यपाल, राजस्थान।

एस. एस. कोठारी,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(Group-II)

NOTIFICATION

Jaipur, October 16, 2009

No. F. 4 (7) Vidhi/2/2009.- In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is Pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Sahakari Society (Sanshodhan) Adhyadesh, 2009 (2009 Ka Adhyadesh Sankhyank 7) promulgated by him on the 16th day of October, 2009:-

(Authorized English Translation)

THE RAJASTHAN CO-OPERATIVE SOCIETIES

(AMENDMENT) ORDINANCE, 2009

(Ordinance No. 7 of 2009)

(Made and promulgated by the Governor on the 16th day of October, 2009)*An**Ordinance**further to amend the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001.*

Whereas the Rajasthan Legislative Assembly is not in session and the Governor of the State of Rajasthan is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor hereby promulgates in the Sixtieth Year of the Republic of India, the following Ordinance, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Ordinance may be called the Rajasthan Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2009.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 2 of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001 (Act No. 16 of 2002), hereinafter in this Ordinance referred to as the principal Act,-

- (i) the existing clause (a) shall be renumbered as clause (aa) thereof and before clause (aa), so renumbered, the following new clause shall be added, namely :-

“(a) “Apex Co-operative Bank” means an apex society which is the federal body of the Central Co-operative Banks in the State and is engaged in the business of banking;”;

- (ii) in the existing clause (d), for the existing punctuation mark “;”, appearing at the end, the punctuation mark “: ” shall be substituted;

- (iii) after the existing clause (d), so amended, the following new proviso shall be added, namely :

“Provided that in respect of a short term co-operative credit structure society, restrictions regarding the area of operation shall not be applicable.”;

- (iv) after the existing clause (d), the following new clause shall be added, namely :-

“(da) “Central Co-operative Bank” means a central society which has primary agricultural credit societies as its members and is engaged in the business of banking;”;

- (v) after the existing clause (p), the following new clause shall be added, namely :-

“(pa) “National Bank” means the National Bank for Agriculture and Rural Development established under section 3 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (Central Act No. 61 of 1981);”;

- (vi) after the existing clause (q), the following new clause shall be added, namely :-

“(qa) “primary agricultural credit society” means a co-operative society as defined under clause (cciv) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No.10 of 1949) and is registered under the Act;”;

- (vii) after the existing clause (t), the following new clause shall be added, namely :-

“(ta) “Reserve Bank of India” means the Reserve Bank of India established under section 3 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (Central Act No.2 of 1934);”;

- (viii) after the existing clause (x), the following new clause shall be added, namely :-

“(xa) “short term co-operative credit structure society” means a society engaged in short-term co-operative credit business either at the apex level, central level or primary level and includes the Apex Co-operative Bank, a Central Co-operative Bank and a primary agricultural credit society;”.

3. Amendment of section 5, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 5 of the principal Act, after the existing sub-section (3), a new sub-section (4) shall be added, namely :-

"(4) No primary agricultural credit society or its federation or association (except those which are permitted to act as a bank under the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No.10 of 1949)) shall be registered with the word 'bank' or any other derivative of the word 'bank' in its registered name or shall use the same as a part of its name:

Provided that where any primary agricultural credit society or its federation or association (except those which are permitted to act as a bank under the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No.10 of 1949)) has been registered before the commencement of the Rajasthan Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2009 (Ordinance No. 7 of 2009) with the word 'bank' or any of its derivatives in its registered name, it shall within three months from the date of such commencement, change its name so as to remove the word 'bank' or its derivative, if any, from its name in accordance with the provisions of section 9:

Provided further that where any society referred to in the preceding proviso fails to comply with the provisions of the said proviso within the period specified therein, the Registrar shall order the winding up of such society."

4. Amendment of section 15, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 15 of the principal Act, after the existing sub-section (3), the following new sub-section shall be added, namely:-

“(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) or sub-section (3), an individual, who deposits in a primary agricultural credit society such minimum amount for such minimum period as may be specified by the Registrar from time to time, shall be deemed to be the member of that society with full voting rights during the period for which the deposit remains with the society.”.

5. Amendment of section 27, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- After the existing sub-section (2) and before the existing sub-section (3) of section 27 of the principal Act, the following new sub-section shall be added, namely:-

“(2-A) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) above, there shall be such number of professionals on the committee of the Apex Co-operative Bank and Central Co-operative Banks as may be specified by the Reserve Bank of India from time to time and having special knowledge or experience in the field of accounting, law, banking, management, agriculture or rural economy or such knowledge or experience in such fields, if any, as may be specified by the Reserve Bank of India and in case such number of professionals do not get elected, the committee of such Apex Co-operative Bank or the Central Co-operative Bank, as the case may be, shall co-opt such number of professionals with full voting rights irrespective of whether such professionals are members or not:

Provided that where a person has been co-opted as a member of the committee under this sub-section without having the requisite minimum qualifications, his co-option shall be treated as null and void and shall be removed from the office after giving him a reasonable opportunity of being heard.”.

6. Insertion of a new section 27-A, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- After the existing section 27, and before the existing section 28 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

“27-A. Appointment and Removal of the Chief Executive Officer.- (1) The Chief Executive Officer of the Apex Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank shall be appointed by the committee of the concerned bank and fulfil such criteria as may be stipulated by the Reserve Bank of India.

(2) A person who does not fulfil the criteria for the post of the Chief Executive Officer of the Apex Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank as stipulated by the Reserve Bank of India shall be treated as ineligible for such post and if such person is holding the post, he shall be removed on receipt of advice to this effect from the Reserve Bank of India or the National Bank.”.

7. Amendment of section 28, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 28 of the principal Act,-

(i) for the existing sub-section (3), the following shall be substituted, namely:-

“(3) No person shall be eligible for being elected or appointed as a member of a committee or for continuing as member on the committee if he is in default to the society or to any other society, in respect of any loan or loans taken by him for such period as is specified in the bye-laws of the society concerned or in any case for a period exceeding three months:

Provided that this disqualification shall not apply on a member society.”; and

(ii) after sub-section (3), amended as aforesaid, the following new sub-section shall be added, namely:-

“(3-A) Notwithstanding anything contained in sub-section (3), no person shall be eligible for being elected, co-opted, nominated, or otherwise appointed, or for continuing as a member of the committee of a Central Co-operative Bank or the Apex Co-operative Bank, if he –

- (i) represents a society other than a primary agricultural credit society and such society is in default to such bank, in respect of any loan or loans taken by it for a period exceeding ninety days;
- (ii) is a person who is defaulter of a primary agricultural credit society or is a representative of a defaulting primary agricultural credit society for a period exceeding one year unless the default is cleared; and
- (iii) is a person, who represents a society whose committee is superseded or has ceased to be a member on the committee of his own society.”.

8. Amendment of section 29, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 29 of the principal Act,-

- (i) in sub-section (1), for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted;
- (ii) after the existing proviso to sub-section (1), so amended, the following new proviso shall be added, namely :-

"Provided further that the State Government shall have right to nominate only one member on the

committee of the Apex Co-operative Bank and Central Co-operative Banks if the Government has subscribed to the share capital and shall not nominate any member on the committee of a primary agricultural credit society irrespective of the Government's subscription to the share capital.”; and

- (iii) for the existing sub-section (2), the following shall be substituted, namely:-

“(2) Notwithstanding anything contained in this Act or the bye-laws of a society, where the Government has subscribed to the share capital of a co-operative society other than a short term co-operative credit structure society to the extent of five lakhs rupees or more, the Government or any other authority specified in this behalf may nominate another member in addition to those nominated under sub-section (1) and appoint him as Chief Executive Officer of such society who shall be the ex-officio Member-Secretary of the committee. The Government or such authority as specified may also appoint any other Executive Officer to assist the Chief Executive Officer in such society.”.

9. Amendment of section 30, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 30 of the principal Act,-

- (i) for the existing sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

“(1) If, in the opinion of the Registrar, the committee of a co-operative society or any member of such committee persistently makes default or is negligent in the performance of the duties imposed on

it or him by this Act or the rules or the bye-laws or commits any act which is prejudicial to the interest of the society or its members, or wilfully disobeys directions issued by the Registrar for the purpose of securing proper implementation of co-operative production and other development programmes approved or undertaken by the Government, or is otherwise not discharging its or his functions properly, or in the case of the State Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank, does not comply with the regulations made or issued by the Reserve Bank of India from time to time in respect of such societies or does not fulfil any eligibility criteria specified by the Reserve Bank of India and a request has been received from the Reserve Bank of India or the National Bank to that effect, the Registrar may propose removal of such committee or the member of such committee, as the case may be.”;

- (ii) in the existing sub-section (2), for the existing punctuation mark “.”, appearing at the end of clause (b), the punctuation mark “:” shall be substituted;
- (iii) after the existing sub-section (2), so amended, the following new provisos shall be added, namely :-

“Provided that before removal of the committee of the Apex Co-operative Bank and a Central Co-operative Bank under this section the Reserve Bank of India shall be consulted:

Provided further that the process of removing the committee and appointing an administrator of the Apex Co- operative Bank or a Central Co-operative Bank on the recommendation of the Reserve Bank of

India shall be completed within one month of such recommendation:

Provided also that the committee of a primary agricultural credit society shall not be removed except on the following conditions, namely:-

- (a) the society has incurred losses for three consecutive years; or
 - (b) serious financial irregularities or frauds have been identified in the society; or
 - (c) there are judicial directives to this effect; or
 - (d) there is perpetual lack of quorum in the committee;” and
- (iv) after the existing sub-section (5), the following new sub-section shall be added, namely:-

“(6) Notwithstanding anything contained in this Act, the committee of the Apex Co-operative Bank and Central Co-operative Bank shall be removed or superseded by the Registrar in public interest at the recommendation of the Reserve Bank of India within one month of being so advised.”.

10. Insertion of a new sections 30-A and 30-B in Rajasthan Act No. 16 of 2002.- After the existing section 30, and before the existing section 31, of the principal Act, the following new sections shall be inserted, namely:-

“30-A. Obligations of the Registrar to ensure compliance of Reserve Bank of India’s regulatory prescriptions.- (1) The Registrar shall ensure that Reserve Bank of India’s regulatory prescriptions including recommendation for supersession of the committee or

winding up of the Apex Co-operative Bank and Central Co-operative Banks are implemented within one month of being advised by the Reserve Bank of India.

(2) The Registrar shall ensure that the liquidator or the Administrator, as the case may be, is appointed within one month of being advised by the Reserve Bank of India for winding up or supersession of the committee.

(3) The Registrar shall, within one month, ensure removal of Chief Executive Officer of the Apex Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank who does not fulfil eligibility criteria specified by the Reserve Bank of India and a request has been received from the Reserve Bank of India or the National Bank to that effect.

(4) The Registrar shall, within one month, on being advised by the Reserve Bank of India or the National Bank, ensure removal of any person elected or co-opted as a member of the committee under sub-section (2-A) of section 27 without having the requisite qualification mentioned therein.

30-B. Autonomy in all financial and internal administrative matters.—Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, a short term co-operative credit structure society shall have autonomy in all its financial and internal administrative matters including the following areas, namely:-

- (a) personnel policy, staffing, recruitment, posting and compensation to staff;
- (b) issues relating to affiliation and disaffiliation with any federal structure of its choice including entry and exit at any level;

- (c) area of operation according to its business requirements; and
- (d) internal control systems.”.

11. Amendment of section 44, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 44 of the principal Act,-

- (i) in sub-section (1), for the existing punctuation mark ".", appearing at the end of the existing proviso, the punctuation mark ":" shall be substituted; and
- (ii) after the existing proviso to sub-section (1), so amended, the following new proviso shall be added, namely :-

"Provided further that the Government shall not hold more than twenty-five percent of the total share capital of a short term co-operative credit structure society and such society or the Government shall have option to further reduce the Government's share capital."

12. Insertion of a new section 47-A, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- After the existing section 47, and before the existing section 48, of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"47-A. Prudential norms.- A primary agricultural credit society shall follow such prudential norms including Capital to Risk Weighted Assets Ratio as may be specified by the Registrar from time to time in consultation with the National Bank."

13. Amendment of section 48, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 48 of the principal Act,-

- (i) in sub-section (2), for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted; and

- (ii) after the existing sub-section (2), so amended, the following new provisos shall be added, namely :-

"Provided that a short term co-operative credit structure society shall not be bound to contribute to any funds other than funds as may be established or maintained for the improvement of its net worth:

Provided further that a primary agricultural credit society may decide disposal of its net profits and declare dividend as per the guidelines issued by the Registrar in consultation with the National Bank."

14. Amendment of section 49, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 49 of the principal Act, for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and thereafter the following new proviso shall be added, namely :-

"Provided further that a short term co-operative credit structure society may invest or deposit its funds in any bank or financial institution regulated by the Reserve Bank of India. "

15. Amendment of section 50, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- The existing provision of section 50 of the principal Act shall be renumbered as sub-section (1) thereof and after sub-section (1), so renumbered, the following new sub-section shall be added, namely:-

"(2) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, a short term co-operative credit structure society may -

- (i) borrow from any bank or financial institution regulated by the Reserve Bank of India and

refinance from the National Bank or any other refinancing agency directly or through any financial institution regulated by the Reserve Bank of India and not necessarily from only the federal tier to which it is affiliated; and

- (ii) decide interest rates on deposits and loans in conformity with the guidelines issued in this regard by the Reserve Bank of India."

16. Amendment of section 51, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- After the existing sub-section (5) of section 51 of the principal Act, the following new sub-section shall be added, namely :-

"(6) Notwithstanding anything contained in this section, a short term co-operative credit structure society may determine its loan policies and decide individual loan to its members keeping in view the interests of the society and its members."

17. Amendment of section 54, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- After the existing sub-section (8) of section 54 of the principal Act, the following new sub-sections shall be added, namely:-

"(9) Notwithstanding anything contained in this section, a primary agricultural credit society may get its accounts audited and certified by any of the auditors appointed by it from the panel of auditors prepared under sub-section (1):

Provided that the accounts of the Apex Co-operative Bank and a Central Co-operative Bank shall be audited and certified by Chartered Accountants as defined in the Chartered Accountant Act, 1949 (Central Act No. 38

of 1949) appointed by it from the panel approved by the National Bank:

Provided further that the short term co-operative credit structure society shall be free to decide the compensation for audit.

(10) The auditor who audits the accounts of a short term co-operative credit structure society shall endorse a copy of the audit report to the Reserve Bank of India, the National Bank and the Registrar.

(11) The Registrar shall ensure conduct of special audit of State Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank if requested by the Reserve Bank of India in the manner and form stipulated by the Reserve Bank of India and also furnish the report to Reserve Bank of India within the time stipulated."

18. Amendment of section 61, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- After the existing sub-section (2) of section 61 of the principal Act, the following new sub-section shall be added, namely:-

"(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), an order for winding up of the Apex Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank shall be issued within one month of the recommendation of the Reserve Bank of India to that effect in public interest."

19. Amendment of section 62, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 62 of the principal Act,-

- (i) in clause (ii), after the existing expression "the Registrar", and before the existing expression "if so required ", the expression "within a month" shall be inserted; and

- (ii) in clause (iii), after the existing expression "an order shall be made ", and before the existing expression "for the removal of", the expression, " by the Registrar within one month of such requisition " shall be inserted.

20. Amendment of section 125, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In sub-section (1) of section 125 of the principal Act, for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted; and after the existing sub-section (1), so amended, the following new proviso shall be added, namely :-

“Provided that the Government or the Registrar shall not do anything or take action or issue any order or directive which has effect of curtailing any of the freedom or powers given under this Act to any short term co-operative credit structure society or adversely affect the provisions of this Act.”.

**SHILENDRA KUMAR SINGH
GOVERNOR OF RAJASTHAN.**

एस. एस. कोठारी,
Principal Secretary to the Government.